वार्षिक रिपोर्ट

2019-2020

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

वार्षिक रिपोर्ट

2019–2020

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

सैक्टर–24, नौएडा – 201 301 (उ.प्र.)

प्रकाशक : वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर–24, नौएडा – 201 301, उ.प्र.

प्रतियों की संख्या : 150

यह रिपोर्ट संस्थान की वेबसाइट www.vvgnli.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

मुद्रण स्थान :
आउट ऑफ द बॉक्स
3728, गली बरना,
पहाड़ी धीरज,
नई दिल्ली–110006

विषय–सूची

- प्रमुख उपलब्धियाँ 01
- संस्थान का विज़न और मिशन 17
- संस्थान का अधिदेश 18
- संस्थान की संरचना 19
- अनुसंधान 23

  श्रम बाजार अध्ययन केंद 24

  कृषि संबंध, ग्रामीण और व्यवहार अध्ययन केंद्र 28

  राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र (एनआरसीसीएल) 31

  रोजगार संबंध और विनियमन केंद्र 39

  एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम 41

  लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र 45

  पूर्वोत्तर भारत केंद्र 54

  श्रम एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र 58

  जलवायु परिवर्तन और श्रम केंद्र 59

  अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग केंद्र 61
- प्रशिक्षण और शिक्षा 63
- एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र 77
- राजभाषा नीति का कार्यान्वयन 79
- प्रकाशन 81
- पक्ष समर्थन और प्रसार 84
- संस्थान के ई–गवर्नेंस एवं डिजिटल अवसंरचना का उन्नयन 87
- कर्मचारियों की संख्या 88
- फैकल्टी 89
- लेखापरीक्षा रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा 2019–2020 91

प्रमुख उपलब्धियाँ (2019–20)

❖ **वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम एवं संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन एवं परामर्श कार्य करने वाला एक अग्रणी संस्थान है।** 1974 में स्थापित यह संस्थान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है। संस्थान का पुनःनामकरण 1995 में, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं प्रसिद्ध ट्रेड यूनियन नेता श्री वी. वी. गिरि के नाम पर किया गया। संस्थान ने विश्व स्तर के एक प्रतिष्ठित संस्थान और कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य–संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध श्रम अनुसंधान एवं शिक्षा में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में उभरने के प्रयासों को जारी रखा।

❖ **सामाजिक भागीदारों को परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना:** भारत अभी कार्य की दुनिया में तीव्र परिवर्तनों का सामना कर रहा है, जिससे उसे अवसरों के साथ–साथ चुनौतियां भी मिल रही हैं। संस्थान ने 149 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें श्रम प्रशासकों, औद्योगिक संबंध प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं शोधकर्ताओं जैसे प्रमुख हितधारकों और सामाजिक साझेदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4533 प्रतिभागियों ने परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से अपने कौशलों एवं क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भाग लिया। अपनी स्थापना के बाद से एक वर्ष में वीवीजीएनएलआई द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की यह सबसे अधिक संख्या है। संस्थान ने 19 कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जिनमें 651 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

❖ **नीति–निर्माण के लिए ज्ञान का आधार:** संस्थान ने श्रम के विभिन्न पहलुओं पर 24 अनुसंधान परियोजनाएं/मामला अध्ययन (12 अनुसंधान परियोजनाएं एवं 12 मामला अध्ययन) शुरु तथा पूरे किए जिन्होंने विभिन्न हितधारकों और सामाजिक साझेदारों को आवश्यक ज्ञान आधार प्रदान किया।

❖ **विशेषज्ञ समूह सेवाएँ:** संस्थान समय–समय पर आवश्यक इनपुट प्रदान करता रहता है जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के लिए नीति–निर्माण में प्रासंगिक होते हैं। ये इनपुट गहन शोध, विभिन्न हितधारकों यथा शिक्षाविदों, विशेषज्ञों, ट्रेड यूनियन अधिकारियों, सिविल सोसायटी के सदस्यों, नियोक्ता एवं कर्मचारी संगठनों आदि के साथ विचार–विमर्श के आधार पर तैयार किये जाते हैं।

❖ **असंगठित कामगारों को सशक्त बनाना:** संस्थान ने असंगठित क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर 31 क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें 947 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ऐसे प्रशिक्षण हस्तक्षेपों का मुख्य उद्देश्य श्रम बाजार में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों और जमीनी स्तर के अधिकारियों के सामने आ रही समस्याओं का समाधान करना, तथा यह दिखाना था कि कैसे सशक्तिकरण सामाजिक व आर्थिक समावेशन का एक शक्तिशाली साधन बन सकता है।

❖ **पूर्वोत्तर क्षेत्र की चिंताओं के समाधान के लिए विशेषीकृत प्रशिक्षण:** संस्थान ने 13 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रम प्रशासकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, गैर सरकारी संगठनों एवं सामाजिक साझेदारों के लिए किया। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वीवीजीएनएलआई में आयोजित किए गए तथा इनमें 437 कार्मिकों ने भाग लिया। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों ने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सराहा है तथा यहाँ यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दों का समाधान करने पर जोर दे रहा है। संस्थान ने निम्नलिखित कार्यशाला भी आयोजित की:

  ❑ संस्थान ने पूर्वोत्तर भारत केंद्र, महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय (एमएसी) नई दिल्ली में 22–23 अगस्त 2019 के दौरान **'पूर्वोत्तर भारत से शहरी महानगरों में युवाओं का पलायन पर एक राष्ट्रीय सेमिनार'** का आयोजन किया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य दिल्ली जैसे महानगरों में उत्तर–पूर्व के युवा प्रवासियों की विभिन्न आकांक्षाओं,

अवसरों और चुनौतियों को उजागर करना था। प्रतिभागियों में दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली में स्थित अन्य विश्वविद्यालयों में विभिन्न कॉलेजों के संकाय सदस्य और छात्र थे।

❖ **श्रम के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का हब (केंद्र):** संस्थान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के आईटीईसी/एससीएएपी के अंतर्गत एक प्रशिक्षण संस्थान के तौर पर सूचीबद्ध है। संस्थान ने श्रम और रोजगार संबंध, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, नेतृत्व कौशलों को बढ़ाना, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन, कार्य की दुनिया में लैंगिक मुद्दे तथा स्वास्थ्य सुरक्षा एवं संरक्षण जैसे प्रमुख विषयों पर 06 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें 58 देशों के 174 विदेशी अधिकारियों ने भाग लिया।

❖ **श्रम मुद्दों से संबंधित सूचना एवं विश्लेषण का प्रसार** : संस्थान सात आंतरिक प्रकाशन, लेबर एंड डेवलपमेंट (छमाही पत्रिका), अवार्ड्स डाइजेस्ट (तिमाही पत्रिका), श्रम विधान (तिमाही हिंदी पत्रिका), वीवीजीएनएलआई इंद्रधनुष (द्विमासिक पत्रिका), चाइल्ड होप (तिमाही पत्रिका) तथा श्रम संगम (छमाही हिंदी पत्रिका) प्रकाशित करता है। संस्थान के अनुसंधान निष्कर्षों को मुख्यतः एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। संस्थान ने वर्ष 2019–20 के दौरान 38 प्रकाशन प्रकाशित किये।

संस्थान ने सरकार के प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वीवीजीएनएलआई पॉलिसी पर्सपेक्टिव्ज़ का प्रकाशन किया। डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक द्वारा लिखित 'इंडियाज़ कोड ऑन वेजिज – सस्टेनेबल एंड इनक्लूसिव ग्रोथ' शीर्षक वाला इसका एक अंक 2019–20 के दौरान प्रकाशित हुआ।

❑ वीवीजीएनएलआई की महापरिषद की बैठक श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा अध्यक्ष, महापरिषद की अध्यक्षता में 27 जनवरी 2020 को संपन्न हुई।

श्री हीरालाल सामरिया, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा उपाध्यक्ष, महापरिषद; डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय सांसद (लोक सभा); श्री कामाख्या प्रसाद तासा, माननीय सांसद (राज्य सभा); सुश्री शिवानी स्वाइं, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; सुश्री कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; श्री पराग गुप्ता, सलाहकार (एसडी एंड ई), नीति आयोग; श्री बी. सुरेंद्रन, बीएमएस; श्री सुकुमार दामले, एआईटीयूसी तथा श्री वीरेंद्र कुमार, श्रम विशेषज्ञ ने डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई एवं सदस्य सचिव, महापरिषद, वीवीजीएनएलआई द्वारा समन्वित इस बैठक में भाग लिया।

श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); श्री हीरालाल सामरिया, सचिव (श्रम एवं रोजगार); श्रीमती शिवानी स्वाइं, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; श्रीमती कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई 27.01.2020 को आयोजित संस्थान की महापरिषद की बैठक के दौरान प्रकाशनों का लोकार्पण करते हुए

❑ वीवीजीएनएलआई की नवगठित कार्यपरिषद की पहली बैठक श्री हीरालाल सामरिया, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा अध्यक्ष, कार्यपरिषद की अध्यक्षता में 24 जुलाई 2019 को संपन्न हुई। सुश्री शिवानी स्वाइं, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; सुश्री कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई एवं सदस्य सचिव, कार्यपरिषद; श्री बी. पी. पंत, फिक्की; श्री जी. पी. श्रीवास्तव, एसोचेम; श्री बी. सुरेंद्रन, बीएमएस तथा श्री सुकुमार दामले, एआईटीयूसी ने बैठक में भाग लिया।

श्री हीरालाल सामरिया, सचिव (श्रम एवं रोजगार); श्रीमती शिवानी स्वाइं, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; श्रीमती कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई एवं कार्यपरिषद के अन्य सदस्य 27.07.2019 को आयोजित कार्यपरिषद की बैठक के दौरान प्रकाशनों का लोकार्पण करते हुए

❖ **व्यावसायिक भागीदारी करना एवं उसे सुदृढ़ बनानाः** आज का युग नेटवर्किंग का युग है। संस्थान ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोगात्मक व्यवस्था बनाते हुए व्यासायिक नेटवर्किंग को स्थापित करने एवं उसे सुदृढ़ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखा। संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी), ट्यूरिन, इटली के साथ पाँच वर्ष की अवधि के लिए 28 नवम्बर 2018 को ट्यूरिन, इटली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्तक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) का उद्देश्य दोनों संस्थानों के मध्य प्रशिक्षण एवं शिक्षा में सहयोग को सुगम बनाना है जिसके परिणामस्वरूप तकनीकी क्षमताओं के साथ–साथ श्रम एवं रोजगार प्रोफाइल के क्षेत्र स्तरीय देश–विशिष्ट अवबोधन को बढ़ाया जा सके। वीवीजीएनएलआई और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी–आईएलओ), ट्यूरिन के समझौता ज्ञापन के एक भाग के तौर पर संस्थान ने अफगानिस्तान सरकार के अधिकारियों के लिए दो सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम यथा (i) नाजुक राज्यों में युवा रोजगार को बढ़ावा देना (07–10 मई 2019), तथा (ii) अफगानिस्तान में टीवीईटी की क्षमता को मजबूत करना (12–15 मई 2019) आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में अफगानिस्तान सरकार के अधिकारियों, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एवं वीवीजीएनएलआई के अधिकारियों सहित कुल 37 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

❖ वीवीजीएनएलआई को भारत सरकार द्वारा **ब्रिक्स** देशों के अन्य श्रम संस्थानों के साथ नेटवर्क के लिए नोडल श्रम संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है।

❑ इस नेटवर्क की व्यावसायिक गतिविधियों के एक हिस्से के रूप में संस्थान ने श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क, 2019 के तत्वावधान में **'भारत में युवा एवं श्रम बाजार परिदृश्यः मुद्दे और परिप्रेक्ष्य'** पर एक शोध अध्ययन किया।

❑ 26 अगस्त 2019 को कज़ान, रूस में आयोजित 'वर्ल्ड स्किल्स' के मानकों के अनुसार वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन प्रोफेशनल स्किल्स के मौके पर रशियन फेडरेशन के श्रम एवं सामाजिक संरक्षण मंत्रालय और अखिल रूस वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान के साथ आईएलओ डीसेंट वर्क टेक्नीकल सपोर्ट टीम एवं कंट्री ऑफिस फॉर ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया ने ब्रिक्स देशों के श्रम संस्थानों के साथ नेटवर्क के एक हिस्से के तौर पर **'युवा रोजगार और कार्य का भविष्य'** पर एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया तथा वीवीजीएनएलआई के कार्यों के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया।

❖ **नीतिगत मुद्दों पर गहन बहस करने एवं प्रमुख पहलों के प्रसार हेतु मंचः** समसामयिक मुद्दों एवं नीति–निर्माण के संबंध में संस्थान द्वारा आयोजित कुछ कार्यशालाएं निम्न प्रकार हैं:

❑ विश्व बाल श्रम निषेध दिवस (डब्ल्युडीएसीएल), 2019 पर 12 जून 2019 को वीवीजीएनएलआई, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा आईएलओ ने 'सतत विकास लक्ष्य, लक्ष्य 8.7 को प्राप्त करने और भारत में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए उभरती रणनीतियों पर तकनीकी परामर्श' का आयोजन किया। डब्ल्युडीएसीएल का विषय थाः 'बच्चों को खेतों में नहीं, बल्कि सपनों पर काम करना चाहिए'। इस परामर्श का उद्घाटन श्री हीरालाल सामरिया, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने किया। सुश्री कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव (बाल श्रम), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ने भारत सरकार द्वारा बाल श्रम के उन्मूलन की दिशा में शुरु की गई विभिन्न नीतिगत पहलों एवं स्कीमों पर प्रकाश डाला। डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक ने अपने स्वागत भाषण में इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि यद्यपि गरीबी बाल श्रम के महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, इस समस्या के प्रति समाज की मानसिकता और दृष्टिकोण में बदलाव समस्या को सुधारने में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है, तकनीकी परामर्श के लिए आधार तैयार किया। सुश्री वॉल्टर डग्मर, निदेशक, आईएलओ डीडब्ल्युटी फॉर साउथ एशिया एंड कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया ने बाल श्रम के प्रभावी उन्मूलन के लिए आईएलओ की प्रतिबद्धता और लड़कों एवं लड़कियों के लिए शिक्षा कार्यक्रमों के निरंतर सुधार और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। इस परामर्श में केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों के विभागों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अधिकारियों; सिविल सोसायटी संगठनों, कामगार

संगठनों, शिक्षाविदों तथा नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों सहित 42 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस तकनीकी परामर्श का समन्वय डॉ. हेलन आर. सेकर, वरिष्ठ फेलो ने किया।

श्री हीरालाल सामरिया, सचिव (श्रम एवं रोजगार), भारत सरकार; सुश्री डग्मर वॉल्टर, निदेशक, आईएलओ डीडब्ल्युटी फॉर साउथ एशिया एंड कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया; सुश्री कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई तथा डॉ. हेलन आर. सेकर, सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई की उपस्थिति में उद्घाटन भाषण देते हुए

सुश्री डग्मर वाल्टर, निदेशक, आईएलओ डीडब्ल्युटी फॉर साउथ एशिया एंड कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया, श्री हीरालाल सामरिया, सचिव (श्रम एवं रोजगार), भारत सरकार; सुश्री कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई तथा डॉ. हेलन आर. सेकर, सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई की उपस्थिति में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

❑ भारत सरकार और विशेष रूप से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की विभिन्न श्रम संबंधी कल्याणकारी योजनाओं और वीवीजीएनएलआई की गतिविधियों के बारे में सूचना और ज्ञान का प्रसार करने के लिए अभिविन्यास और पक्ष समर्थन गतिविधियों के एक भाग के रूप में, संस्थान ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के कार्यक्रमों में भाग लिया:

(i) संस्थान ने टीएआरएमईएच ईवेंट्स द्वारा 14 – 16 फरवरी 2020 को एचआरआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्युशंस, गाजियाबाद में आयोजित 'राइज़ इन उत्तर प्रदेश 2020' में प्रथम उप–विजेता (द्वितीय सर्वश्रेष्ठ स्टॉल) पुरस्कार प्राप्त किया। इस कार्यक्रम में लगभग 40 केंद्रीय मंत्रालयों, राष्ट्रीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भाग लिया। श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार

श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के स्टॉल का दौरा करते हुए

जनरल वी. के. सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री और
डॉ. अनिल कुमार अग्रवाल, माननीय सांसद (राज्य सभा) श्री अमिताभ पी. खुंटिआ,
एसोसिएट फेलो और श्री राजेश कर्ण, वीवीजीएनएलआई को पुरस्कार प्रदान करते हुए

मंत्री, भारत सरकार ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन तथा डॉ. अनिल कुमार अग्रवाल, माननीय सांसद, राज्य सभा; सुश्री आशा शर्मा, मेयर, गाजियाबाद के साथ वीवीजीएनएलआई स्टॉल का दौरा किया। इस कार्यक्रम का समन्वय श्री पी. अमिताभ खुंटिआ, एसोसिएट फेलो और श्री राजेश कर्ण, वीवीजीएनएलआई ने किया।

(ii) संस्थान ने 04–06 दिसंबर 2019 के दौरान कठुआ, जम्मू और कश्मीर में आयोजित एक तीन–दिवसीय प्रदर्शनी 'संरचना 2019' में भाग लिया। इसमें भारत सरकार द्वारा शुरु की गई प्रमुख स्कीमों के बारे में जागरूकता सृजन किया गया। इसमें लगभग 30 केंद्रीय मंत्रालयों, राष्ट्रीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भाग लिया तथा लगभग 10,000 आगंतुकों ने प्रदर्शनी स्थल का दौरा किया। इस कार्यक्रम का समन्वय डॉ. रम्य रंजन पटेल, डॉ. मनोज जाटव, एसोसिएट फेलो और श्री राजेश कर्ण, वीवीजीएनएलआई ने किया।

(iii) संस्थान ने टीएआरएमईएच ईवेंट्स द्वारा आयोजित ''राइज़ इन हरियाणा 2019'' (29 – 31 अगस्त 2019) में प्रतिभागिता की। वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने इस कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस कार्यक्रम के दौरान आगतुकों को संस्थान के कार्यकलापों यथा अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रकाशन के साथ बाल श्रम पर सुग्राहीकरण, लैंगिक मुद्दे तथा कार्य का भविष्य पर जागरूक किया गया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की प्रमुख पहलों के बारे में जागरूकता एवं सुग्राहीकरण कार्यकलाप किए गए। इस कार्यक्रम का समन्वय श्री पी. अमिताभ खुंटिआ, एसोसिएट फेलो और श्री राजेश कर्ण ने किया।

(iv) संस्थान ने 18–20 दिसंबर 2019 के दौरान सुरेंद्रनगर, गुजरात में आयोजित 'डेस्टिनेशन गुजरात 2019' में भी भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन संसा फाउंडेशन ने किया था तथा इसमें लगभग 40 केंद्रीय मंत्रालयों, राष्ट्रीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भाग लिया। संस्थान ने **'प्रशिक्षण कार्यक्रम जागरूकता में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल'** का पुरस्कार जीता। इस कार्यक्रम का समन्वय डॉ. मनोज जाटव, एसोसिएट फेलो और श्री राजेश कर्ण ने किया।

(v) संस्थान ने प्रतिभागियों के मध्य संस्थान की सभी गतिविधियों नामतः अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन आदि तथा श्रम

एवं रोजगार मंत्रालय के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों और पहलों के बारे में जानकारी का प्रसार करने के उद्देश्य से 26 जनवरी – 03 फरवरी 2020 के दौरान स्वदेशी जागरण मंच द्वारा बलिया, उत्तर प्रदेश में आयोजित स्वदेशी मेला, 2020 में भाग लिया। विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों और शिक्षकों सहित 30000 से अधिक लोगों ने संस्थान के स्टॉल का दौरा किया। कई युवाओं को राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल के बारे में जागरूक किया गया और नामांकन प्रक्रिया में उनकी मदद की गई। मेला में संस्थान के कुछ नवीनतम प्रकाशन भी प्रदर्शित किए गए। कार्यक्रम का समन्वय श्री राजेश कर्ण ने किया।

❑ संस्थान द्वारा पहली बार, 24–28 जून 2019 के दौरान अपने परिसर में **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के सहयोग से आपदा प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला** का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का समन्वय श्री पी. अमिताभ खुंटिआ, एसोसिएट फेलो ने किया।

❑ **कर्मचारी राज्य बीमा निगम** (ईएसआईसी) के साथ हुए समझौते के एक भाग के तौर पर संस्थान ने **नव–नियुक्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों (एसएसओ) के लिए 08 आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम** आयोजित किए। इन आठ कार्यक्रमों को अलग–अलग बैचों में समन्वित किया गया था। इन

श्री राज कुमार, भा.प्र.से. महानिदेशक, ईएसआईसी; डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई; श्री अनीश सिंघल, निदेशक, ईएसआईसी, नौएडा एवं डॉ. रम्य रंजन पटेल, एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई की उपस्थिति में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उद्देश्य इस प्रकार थेः (क) ईएसआई अधिनियम, 1948 के विभिन्न प्रावधानों और समय–समय पर जारी किए गए इसके समर्थकारी नियमों, विनियमों और निर्देशों का अवलोकन प्रदान करना; (ख) सामान्य कार्यालय प्रक्रिया, टिप्पण और आलेखन, जीएफआर, ई–गवर्नेंस, सॉफ्ट स्किल्स, लोक शिकायत निवारण तंत्र, सतर्कता मामले, समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता, आदि पर क्षमता निर्माण; (ग) कार्यकारी एवं पर्यवेक्षी स्तरों पर सरकारी काम को संभालने के लिए उन्हें अपेक्षित जानकारी और कौशल से लैस करना तथा तैयार करना; (घ) सामाजिक सुरक्षा तंत्र के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ढांचे, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अभिसमयों, स्वास्थ्य बीमा और ईएसआईसी की भूमिका को समझना; और (ङ) नियोक्ता अर्थात ईएसआईसी के प्रति अपनेपन की भावना पैदा करना। इन आठ कार्यक्रमों का समन्वय डॉ. अनूप सतपथी, फेलो; डॉ. रम्य रंजन पटेल, एसोसिएट फेलो और डॉ. मनोज जाटव, एसोसिएट फेलो ने किया।

- संस्थान ने 01–15 मई 2019 के दौरान **'स्वच्छता पखवाड़ा'** का आयोजन किया। डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक ने संस्थान के स्वच्छता पखवाड़े में भाग लेने वाले सभी संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 'स्वच्छता शपथ' दिलाई तथा संस्थान परिसर को स्वच्छ रखने, बगीचों को हरा रखने और इस मिशन को बनाए रखने के लिए प्रमुख कार्यकलाप किए गए। परिसर में वृक्षारोपण के कार्यकलाप भी किए गए।
- संस्थान ने 21 जून 2019 को *''अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस''* मनाया। इसमें संस्थान के संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों के साथ–साथ विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- राष्ट्रपिता स्व. (श्री) महात्मा गाँधी के 150वीं जयंती समारोह के अवसर पर वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 18 जुलाई 2019 को '150 वर्ष – 150 वृक्ष' नारे के तहत व्यापक वृक्षरोपण कार्यक्रम आयोजित किया।

संस्थान के महानिदेशक, संकाय सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी 'राष्ट्रपिता का 150वां जयंती समारोह–150 वृक्ष कार्यक्रम' के एक भाग के तौर पर परिसर में वृक्षारोपण करते हुए

- *'कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी एवं औद्योगिक संबंध'* पर पहली बार एक आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 29 जुलाई – 02 अगस्त 2019 के दौरान किया गया। इस कार्यक्रम में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सरकारी संगठनों के 16 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसका समन्वय डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो ने किया।
- महात्मा गाँधी के 150वें जयंती समारोह के अवसर पर दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गयाः

  (i) 02 अक्टूबर 2019 को 'महात्मा गाँधी और ग्रामीण औद्योगिकीकरण' पर एक कार्यशाला का आयोजन

किया गया जिसमें ग्रामीण औद्योगिकीकरण की क्षमता की रोजगार सृजन, ग्रामीण गरीबों की आय बढ़ाने के साथ ही बाल श्रम के समाधान के साथ संबद्धता पर चर्चा की गयी। इस कार्यशाला में देश के विभिन्न भागों से सरकारी विभागों, सिविल सोसायटी संगठनों, ट्रेड यूनियनों, स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित 80 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और इसका समन्वय डॉ. हेलन आर. सेकर, वरिष्ठ फेलो ने किया।

(ii) अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संस्थान में 13 मार्च 2020 को *'गाँधी और महिला सशक्तिकरण'* पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण पर गांधीवादी परिप्रेक्ष्य पर विचार–विमर्श करना था। इस कार्यशाला में संस्थान के संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। इसका समन्वय डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो और श्री बीरेंद्र सिंह रावत, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, वीवीजीएनएलआई ने किया।

❑ संस्थान ने भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा और भारतीय रेलवे लेखा सेवा (आईआरएएस) के सिविल सेवा परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए 14–18 अक्टूबर 2019 के दौरान 'श्रम कानून और श्रमिक मुद्दे' पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में चालीस अधिकारियों ने भाग लिया और इसका समन्वय डॉ. मनोज जाटव, एसोसिएट फेलो ने किया।

श्रीमती अनुराधा प्रसाद, अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय आईआरपीएस और आईआरएएस के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए, साथ में मंचासीन हैं डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई एवं डॉ. मनोज जाटव, एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई

श्री मनोज पांडे, सदस्य (स्टाफ), रेल मंत्रालय; श्री मोहन ए. मेनन, प्रोफेसर, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी और डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई की उपस्थिति में आईआरपीएस और आईआरएएस के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए

- संस्थान ने पहली बार सिविल सेवा (भारतीय राजस्व सेवा और सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क) के 70वें बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए 05 नवंबर 2019 को 'श्रम एवं रोजगार' के मुद्दे' पर एक अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्रीमती विभा भल्ला, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने किया और समन्वय डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो ने किया। इस कार्यक्रम में आईआरएस के 52 अधिकारियों ने भाग लिया।
- संस्थान ने एक विशेष कार्यक्रम के तौर पर पहली बार नौसेना के लेफ्टिनेंट और कैप्टन रैंक के अधिकारियों के लिए 11 – 16 नवंबर 2019 के दौरान *'श्रम कानून एवं ट्रेड यूनियनवाद'* एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में नौसेना के 22 अधिकारियों ने भाग लिया और इसका समन्वय डॉ. एलीना सामंतराय जेना, फेलो ने किया।

श्रीमती विभा भल्ला, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय 05 नवंबर 2019 को डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई एवं डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो की उपस्थिति में आईआरएस के 70वें बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए

- *प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 का रोजगार पर प्रभावः* अधिनियम के कार्यान्वयन में सकारात्मक पहल एवं चुनौतियों की पहचान करना' पर कार्यशाला का आयोजन 22 नवंबर 2019 को किया गया। इस कार्यशाला का प्राथमिक उद्देश्य प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों एवं बाधाओं तथा महिलाओं के रोजगार और भर्ती पर इसके प्रभाव की पहचान करना था। इस कार्यशाला में घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में जटिलता का तकनीकी और मानक, दोनों परिप्रेक्ष्य से और उनके कानूनी समावेश का भी पता लगाया गया। इस कार्यशाला का समन्वय डॉ. शशि बाला, फेलो ने किया।
- वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से एलएनएमएस– महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान में 09 दिसंबर 2019 को 'सामाजिक संवाद' पर एक राष्ट्रीय त्रिपक्षीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला के उद्देश्य इस प्रकार थेः (i) महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु के संबंध में प्रचलित सामाजिक संवाद प्रथाओं के क्षेत्र में आईएलओ द्वारा हाल ही में किए गए शोध के निष्कर्षों को साझा करना; (ii) सामाजिक संवाद को मजबूत करने के लिए अन्य राज्यों द्वारा आवश्यक तकनीकी सहायता की पहचान करना; (iii) राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक संवाद को मजबूत करने के लिए संभावित कार्रवाई की पहचान करना। इस कार्यशाला में 35 प्रतिभागियों ने भाग लिया और इसका समन्वय डॉ. संजय उपाध्याय, वरिष्ठ फेलो ने किया।

श्री सतोशी सासाकी, उप निदेशक, आईएलओ कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया एंड डिसेंट वर्क टीम फॉर साउथ एशिया (प्रथम पंक्ति में बायें से छठे स्थान पर बैठे हुए); डॉ. संजय उपाध्याय, वरिष्ठ फेलो, वीवीजीएनएलआई – कार्यशाला समन्वयक (प्रथम पंक्ति में बायें से सातवें स्थान पर बैठे हुए); श्री महेंद्र नायडू, दक्षिण एशिया के लिए सामाजिक संवाद और श्रम प्रशासन विशेषज्ञ, आईएलओ (बायें से सातवें स्थान पर खड़े हुए); श्री रवि पेरिस, वरिष्ठ विशेषज्ञ नियोक्ता कार्यकलाप, आईएलओ (बायें से आठवें स्थान पर खड़े हुए) कार्यशाला के सूवधार और प्रतिनिधियों के साथ

- संस्थान ने पहली बार इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में 17 जनवरी 2020 को भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए 'श्रम एवं रोजगार संबंध' एक अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भारतीय वन सेवा के 45 अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का समन्वय डॉ. एस. के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो ने किया।

- राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यु) ने वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के सहयोग से गाँधीनगर, बेंगलुरु, गुवाहाटी, कटक और दिल्ली में *'भारत में महिला श्रम बल भागीदारी'* पर पाँच क्षेत्रीय परामर्शों का आयोजन किया। इन क्षेत्रीय परामर्शों का समन्वय डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो ने किया। गुवाहाटी में क्षेत्रीय परामर्श का आयोजन डॉ. धन्या एम. बी., एसोसिएट फेलो ने किया।

  पहला क्षेत्रीय परामर्श गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (जीएनएलयू), गांधीनगर के सहयोग से 04 जनवरी 2020 को जीएनएलयू परिसर, गांधीनगर में आयोजित किया गया।

दूसरा क्षेत्रीय परामर्श पंजाब विश्वविद्यालय के सहयोग से 06 जनवरी 2020 को पंजाब विश्वविद्यालय परिसर, चंडीगढ़ में आयोजित किया गया।

तीसरा क्षेत्रीय परामर्श नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू), बेंगलुरु के सहयोग से 18 जनवरी 2020 को से एनएलएसआईयू परिसर, बेंगलुरु में आयोजित किया गया।

चौथा क्षेत्रीय परामर्श नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड जुडीशियल एकेडमी के सहयोग से 06 फरवरी 2020 को गुवाहाटी, असम में आयोजित किया गया।

पांचवाँ क्षेत्रीय परामर्श नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के सहयोग से 06 मार्च 2020 को कटक, ओडिशा में आयोजित किया गया।

- *'एसडीजी पर श्रम रोजगार और शिक्षा से संबंधी संकेतक'* पर क्षेत्रीय समिति पैनल चर्चा का आयोजन 09 जनवरी 2020 को किया गया। इसकी अध्यक्षता श्री पीटर जॉनसन, महानिदेशक (सांख्यिकी), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने की।
- संस्थान ने राज्य श्रम संस्थान, ओडिशा; तथा श्रम निदेशालय, ओडिशा के सहयोग से 10 जनवरी 2020 को ओडिशा में *'मजदूरी संहिता और कार्यान्वयन कार्य योजना की पहचान करना'* पर एक एक–दिवसीय अभिविन्यास कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में राज्य न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के सदस्यों और राज्य श्रम विभाग के वरिष्ठ एवं मध्यम स्तरीय पदाधिकारियों सहित 35 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का समन्वय डॉ. अनूप सतपथी, फेलो ने किया।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के डिसेंट वर्क कंट्री प्रोग्राम (डीडब्ल्युसीपी) के '2020–21 की द्विवार्षिकी के लिए कार्यान्वयन और योजना' की अंतरिम समीक्षा 23 जनवरी 2020 को संस्थान में की गयी। श्रीमती अनुराधा प्रसाद, अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोउसा उमारू, उप महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन; श्री आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान तथा सुश्री डग्मर वॉल्टर, निदेशक, आईएलओ डीडब्ल्युटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया एंड कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया ने बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में सरकार, ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संगठनों, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले 70 वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाग लिया।

श्रीमती अनुराधा प्रसाद, अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; श्री मोउसा उमारू, उप महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन; तथा सुश्री डग्मर वॉल्टर, निदेशक, आईएलओ डीडब्ल्युटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया एंड कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया की उपस्थिति में बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई

❑ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय द्वारा जून 2019 में आयोजित अपने 336वें सत्र में लिए गए निर्णय के आधार पर आईएलओ द्वारा 25–28 फरवरी 2020 के दौरान 'अचीविंग डीसेंट वर्क इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स' पर एक तकनीकी बैठक आयोजित की गई। डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक ने श्री एस. वी. रमन्ना, अवर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुख्यालय जेनेवा, स्विटजरलैंड में आयोजित इस तकनीकी बैठक में भाग लिया।

डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई तथा श्री एस. वी. रमन्ना, अवर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय आईएलओ मुख्यालय, जेनेवा, स्विटजरलैंड में 25–28 फरवरी 2020 के दौरान 'अचीविंग डीसेंट वर्क इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स' पर तकनीकी बैठक में भाग लेते हुए

❖ संस्थान ने 28 फरवरी 2020 को संस्थान में 'स्टार्टअप्स और युवा उद्यमीः अवसर एवं चुनौतियां' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप शुरू करने और बढ़ती युवा बेरोजगारी से निपटने में इसकी भूमिका के बारे में सभी संबंधित हितधारकों के बीच एक संवाद शुरू करना था। इस कार्यशाला में संस्थान द्वारा 'युवा रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देनाः 'स्टार्ट–अप्स' के विशेष संदर्भ में अध्ययन' पर शुरू किए गए स्टार्टअप्स पर शोध अध्ययन के निष्कर्षों का प्रसार किया गया। इस कार्यशाला में विशेषज्ञों एवं नीति निर्माताओं ने भाग लिया। इसका समन्वय डॉ. धन्या एम. बी., एसोसिएट फेलो ने किया।

❖ **पुस्तकालय एवं सूचना प्रणालीः** संस्थान का पुस्तकालय, एन.आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र, देश में श्रम अध्ययनों के क्षेत्र में सबसे सम्पन्न पुस्तकालय है। वर्तमान में, पुस्तकालय में लगभग 65,530 किताबें/रिपोर्टें/सजिल्द पत्र–पत्रिकाएं हैं, तथा यह 148 व्यावसायिक पत्रिकाओं का अभिदान करता है। पुस्तकालय अपने पाठकों को विभिन्न व्यावसायिक सेवाएं भी उपलब्ध कराता है तथा पुस्तकालय की प्रयोज्यता सुकर बनाने के लिए विभिन्न उत्पाद भी उपलब्ध कराता है। संस्थान ने नई वेब–आधारित पुस्तकालय सेवाओं को शुरु करने के लिए पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर का एक नवीनीकृत संस्करण ''एलआईबीएसवाईएस 10 ईजेबी'' खरीदा है।

❖ आधुनिक भारत को आकार देने में श्रम की भूमिका पर प्रकाश डालना: संस्थान ने श्रम से संबंधित ऐतिहासिक दस्तावेजों के शीर्ष भंडार के तौर पर काम करने हेतु श्रम पर एक डिजिटल आर्काइव स्थापित किया है। लेबर आर्काइव की वेबसाइट (www.indialabourarchives.org) में श्रम इतिहास के महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लगभग 190000 पेज डिजिटल रूप में अपलोड किये गए हैं।

❖ **राजभाषा को बढ़ावा देना** – वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), नौएडा द्वारा दिनाँक 29.01.2020 को राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, सैक्टर – 62 नौएडा में आयोजित नराकास, नौएडा की 39वीं बैठक में निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया:

i) वर्ष 2018–19 के दौरान राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन संबंधी कार्यकलापों में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए ***प्रोत्साहन पुरस्कार***, तथा

ii) पिछले कई वर्षों से राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में निरंतर और सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए ***राजभाषा रत्न***।

नराकास की बैठक के अध्यक्ष श्री संजय कुमार गंगवार, सदस्य (तकनीकी), भा.अ.ज.प्रा से राजाभाषा रत्न और प्रोत्साहन पुरस्कार ग्रहण करते हुए डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, डॉ. संजय उपाध्याय, वरिष्ठ फेलो; श्री विनय कुमार शर्मा, सहायक प्रशासन अधिकारी तथा श्री बीरेन्द्र सिंह रावत, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक

संस्थान का विज़न और मिशन

विज़न

संस्थान को श्रम अनुसंधान और प्रशिक्षण में वैश्विक रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त ऐसे संस्थान के रूप में विकसित करना जो उत्कृष्टता का केन्द्र हो तथा कार्य की गुणवत्ता और कार्य संबंधों को बढ़ावा देने के प्रति कृत संकल्प हो।

मिशन

संस्थान का मिशन निम्नलिखित के माध्यम से श्रम तथा श्रम संबंधों को विकास की कार्यसूची में विशेष केन्द्र के रूप में स्थापित करना है:–

- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना
- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना, और
- ऐसे विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण और साझेदारी बनाना जो श्रम से संबंधित हैं।

संस्थान का अधिदेश

जुलाई 1974 में स्थापित, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई), श्रम अनुसंधान और शिक्षा के एक शीर्ष संस्थान के रूप में विकसित हुआ है। संस्थान ने आरंभ से ही अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रकाशन के माध्यम से संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रम के विभिन्न पहलुओं से जुड़े विविध समूहों तक पहुँच बनाने का प्रयास किया है। ऐसे प्रयासों के केन्द्र में शैक्षिक अंतर्दृष्टि और समझ को नीति निर्माण और कार्रवाई में शामिल करना रहा है ताकि समतावादी और लोकतांत्रिक समाज में श्रम को न्यायोचित स्थान मिल सके।

उद्देश्य और अधिदेश

संगम ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उन विविध कार्यकलापों का उल्लेख किया गया है जो संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। संस्थान के अधिदेश में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं:–

(i) स्वयं अथवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों तरह के अभिकरणों के सहयोग से अनुसंधान करना, उसमें सहायता करना, उसे बढ़ावा देना और उसका समन्वय करना;

(ii) शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करना और उनके आयोजन में सहायता करना;

(iii) निम्नलिखित के लिए स्कंध स्थापित करना

  क. शिक्षा, प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण

  ख. अनुसंधान, जिसमें क्रियानिष्ठ अनुसंधान भी शामिल है

  ग. परामर्श और

  घ. प्रकाशन और अन्य ऐसे कार्यकलाप, जो संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हों

(iv) श्रम तथा संबद्ध कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन में आने वाली विशिष्ट समस्याओं का विश्लेषण करना और उपचारी उपाय सुझाना

(v) लेख, पत्र–पत्रिकाएं और पुस्तकें तैयार करना, उनका मुद्रण और प्रकाशन करना

(vi) पुस्तकालय एवं सूचना सेवाएं स्थापित एवं अनुरक्षित करना

(vii) समान उद्देश्य वाली भारतीय और विदेशी संस्थाओं और अभिकरणों के साथ सहयोग करना, और

(viii) फेलोशिप, पुरस्कार और वृत्तिकाएं प्रदान करना।

संस्थान की संरचना

संस्थान एक महापरिषद् द्वारा शासित है, जो एक त्रिपक्षीय निकाय है जिसमें केन्द्रीय सरकार, नियोक्ता संगठनों, कर्मकार संगठनों के प्रतिनिधि, माननीय सांसद और श्रम के क्षेत्र में तथा अनुसंधान संस्थानों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले ख्यातिप्राप्त व्यक्ति शामिल हैं। केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री महापरिषद् के अध्यक्ष हैं। महापरिषद् संस्थान के कार्यकलापों के लिए विस्तृत नीति संबंधी मानक निर्धारित करती है। महापरिषद् के सदस्यों से नामित कार्यपरिषद्, जिसके अध्यक्ष श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव होते हैं, संस्थान के कार्यकलापों को नियंत्रित, मॉनीटर एवं निर्देशित करती है। संस्थान के महानिदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और इसके कार्यों के प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। संस्थान के संकाय सदस्य; प्रशासन अधिकारी, जो कार्यालय प्रमुख हैं; लेखा अधिकारी एवं अन्य स्टाफ सदस्य महानिदेशक की सहायता करते हैं।

महापरिषद् का गठन

1. श्री संतोष कुमार गंगवार — अध्यक्ष
   माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
   श्रम शक्ति भवन
   नई दिल्ली–110001

केंद्र सरकार के छः प्रतिनिधि

2. श्री हीरालाल सामरिया — उपाध्यक्ष
   सचिव (श्रम एवं रोजगार)
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
   श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली

3. श्रीमती अनुराधा प्रसाद — सदस्य
   अपर सचिव
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
   श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली

4. श्रीमती शिवानी स्वाइं — सदस्य
   अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
   श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली–110001

5. श्रीमती कल्पना राजसिंहोत — सदस्य
   संयुक्त सचिव
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
   श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली–110001

6. श्री अमित खरे — सदस्य
सचिव
माध्यमिक एवं उच्चत्तर शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001

7. श्री पराग गुप्ता सदस्य — सदस्य
सलाहकार (एलईएम)
नीति आयोग, नई दिल्ली–110001

दो संसद सदस्य
(लोक सभा और राज्य सभा से एक–एक)

8. डॉ. वीरेंद्र कुमार — सदस्य
माननीय सांसद (लोक सभा)
22, महादेव रोड़, नई दिल्ली–110001

9. श्री कामाख्या प्रसाद तासा — सदस्य
माननीय सांसद (राज्य सभा)
157, साउथ एवेन्यु, नई दिल्ली–110001

कर्मकारों के दो प्रतिनिधि

10. श्री बी. सुरेंद्रन — सदस्य
अखिल भारतीय उप–आयोजन सचिव,
भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस),
केशावर कुदिल, 5 रंगासायी स्ट्रीट, पेराम्बूर
चेन्नई–600011 (तमिलनाडु)

11. श्री सुकुमार दामले — सदस्य
राष्ट्रीय सचिव
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीयूसी)
एआईटीयूसी भवन, 35–36, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग
राउज एवेन्यू, नई दिल्ली – 110002

नियोक्ताओं के दो प्रतिनिधि

12. श्री बी. पी. पंत — सदस्य
सलाहकार
भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल महासंघ (फिक्की)
फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली – 110001

13. डॉ. जी. पी. श्रीवास्तव — सदस्य
मुख्य सलाहकार
एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड
इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचेम)
5, सरदार पटेल मार्ग, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली – 110021

चार प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्होंने श्रम के क्षेत्र में अथवा उससे संबंधित क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है

14. श्री वीरेंद्र कुमार — सदस्य
भारतीय मजदूर संघ
कार्यालय – राम नरेश भवन
तिलक गली, चूना मंडी, पहाड़गंज, नई दिल्ली

15. श्री पी. के. गुप्ता — सदस्य
कुलाधिपति
शारदा विश्वविद्यालय
ग्रेटर नौएडा (उ. प्र.)

16. श्री सतीश रोहतगी — सदस्य
डॉ. बद्री प्रसाद क्लीनिक के सामने
बड़ा बाजार, बरेली (उ. प्र.)

17. श्री राजा एम. षणमुगम — सदस्य
अध्यक्ष
तिरुपुर निर्यातक संघ
62, अप्पाची नगर मेन रोड़
कोंगू नगर, तिरुपुर – 641607

अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधि

18. श्री विपुल मित्रा, भा.प्र.से. — सदस्य
अपर मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)/
महानिदेशक
महात्मा गांधी श्रम संस्थान,
ड्राइव–इन रोड़, मानव मंदिर के पास, मेम नगर
अहमदाबाद–380054 (गुजरात)

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा के प्रतिनिधि

19. डॉ. एच. श्रीनिवास — सदस्य–सचिव
महानिदेशक
वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान,
सैक्टर–24, नौएडा–201301
जिला–गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.)

अनुसंधान

संस्थान के कार्यकलापों में अनुसंधान का प्रमुख स्थान है। संस्थान आरंभ से ही अनुसंधान कार्यों में सक्रिय रूप से लगा रहा है, जिसमें श्रम से जुड़े मुद्दों के विभिन्न आयामों पर क्रियानिष्ठ अनुसंधान भी शामिल है और इनका फोकस श्रम बल के हाशिए पर स्थित, वंचित एवं कमजोर वर्गों से संबंधित मुद्दों से निपटने पर है।

संस्थान के अनुसंधान कार्यकलापों के मुख्य उद्देश्यों को तीन व्यापक स्तरों पर रखा जा सकता है;

- ❖ अनुसंधान किए जा रहे मामलों की सैद्धान्तिक समझ को उन्नत बनाना;
- ❖ समुचित नीतिगत प्रतिक्रियाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सैद्धान्तिक और आनुभविक आधार बनाना; और
- ❖ क्षेत्र स्तरीय कार्यों/हस्तक्षेपों की खोज करना, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रम बल के असंगठित एवं संगठित वर्गों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करना है।

इन उद्देश्यों में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि अनुसंधान कार्यकलाप आवश्यक रूप में सक्रिय प्रकृति के हैं और इन्हें सदैव उभरती चुनौतियों के अनुरूप बनाया गया है। संस्थान की अनुसंधान एवं प्रशिक्षण गतिविधियों का एक सहजीवी संबंध है। नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा सरकार के अन्य मंत्रालयों एवं संस्थानों के लिए एक प्रमुख तरीके से योगदान देने के अलावा अनुसंधान के आउटपुट संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के डिजाइन एवं कार्यप्रणाली को आकार देने में इनपुट के तौर पर लिए जाते हैं। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षुओं से प्राप्त फीडबैक अनुसंधान गतिविधियों के इनपुट के रूप में कार्य करता है। संस्थान के विभिन्न अनुसंधान केंद्रों द्वारा श्रम, श्रम बाजार और कार्य की दुनिया को प्रभावित करने वाले इन परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान कार्यनीतियां, एजेंडा और अनुसंधान अध्ययन विकसित किए जा रहे हैं।

निम्नलिखित नौ केंद्र श्रम एवं रोजगार में अनुसंधान से संबंधित प्रमुख विषयों पर अध्ययन करते हैं:

1. श्रम बाजार अध्ययन केंद्र
2. रोजगार संबंध और विनियमन केंद्र
3. कृषि संबंध, ग्रामीण और व्यवहार अध्ययन केंद्र
4. राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र
5. एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम
6. श्रम एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र
7. लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र
8. पूर्वोत्तर भारत केंद्र
9. जलवायु परिवर्तन और श्रम केंद्र

श्रम बाजार अध्ययन केंद्र

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में अनुसंधान गतिविधियाँ विभिन्न केंद्रों के तत्वावधान में चलाई जाती हैं। इन्हीं केंद्रों में से एक, श्रम बाजार अध्ययन केंद्र श्रम बाजार में चल रहे परिवर्तनों के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए प्रतिबद्ध है। अनुसंधान गतिविधियों का उद्देश्य श्रम बाजार के परिणामों के उन्नयन हेतु नीतिगत निदेश प्रदान करना है। केंद्र की वर्तमान गतिविधियाँ निम्नलिखित मुख्य मुद्दों पर केंद्रित हैं।

- रोजगार और बेराजगारी
- प्रवासन और विकास
- कौशल विकास
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था एवं उत्कृष्ट श्रम
- मजदूरी
- कार्य का भविष्य

पूरी कर ली गई परियोजनाएं

1. भारत में युवा और श्रम बाजार परिदृश्यः मुद्दे एवं परिप्रेक्ष्य

(श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क के तत्वावधान में किया गया अनुसंधान अध्ययन)

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क, जिसे 2017 में स्थापित किया गया था, में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इस नेटवर्क के अन्य संस्थान इस प्रकार हैंः नेशनल लेबर मार्किट ऑब्जर्वेटरी ऑफ दि मिनिस्ट्री ऑफ ब्राजील, ब्राजील; ऑल रशिया रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर लेबर एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल प्रोटेक्शन ऑफ दि रशियन फेडरेशन; चाइनीज़ एकेडमी ऑफ लेबर एंड सोशलन सिक्योरिटी, चाईना; तथा यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ट हेयर, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका।

इस नेटवर्क का एक प्रमुख उद्देश्य श्रम से संबंधित समकालीन चिंताओं पर अनुसंधान अध्ययन करना और मजबूत, टिकाऊ एवं समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए नीतिगत इनपुट प्रदान करना है। तदनुसार श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क ने 2019 में युवा रोजगार से संबंधित एक अनुसंधान किया है। यह अनुसंधान अध्ययन वर्तमान में चल रहे जनसांख्यिकीय संक्रमण, तीव्र और त्वरित तकनीकी परिवर्तनों और सतत विकास लक्ष्य, 2030 में बताए गए वांछित विकास प्रक्षेपवक्रों के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है।

अनुसंधान के उद्देश्य

यह शोध अध्ययन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों के साथ किया गया थाः (i) सहस्राब्दी शुरु होने के बाद से देश के आर्थिक प्रदर्शन की जांच करना; (ii) युवा श्रम बाजार की विशेषताओं का विश्लेषण करना; (iii) भारत में हाल ही में शुरू की गई प्रमुख नीतियों और कार्यक्रमों, जिनका उद्देश्य युवाओं के श्रम बाजार के परिणामों में सुधार करना है, पर प्रकाश डालना; और (iv) विशेष रूप से चल रहे तकनीकी परिवर्तनों और कार्य के भविष्य के संदर्भ में युवाओं को विकास प्रक्रियाओं का एक प्रमुख उत्प्रेरक बनने में समर्थन करने के लिए अभिनव और टिकाऊ कार्यनीतियों के सुझाव देना।

परिणाम

युवाओं, जो आबादी और श्रम बल का एक बड़ा हिस्सा हैं, के लिए के लिए उचित और लाभकारी रोजगार और आय–अर्जित करने के अवसर पैदा करना अर्थव्यवस्था में प्रभावी मांग को बढ़ावा देने, निवेश को प्रोत्साहित करने और स्थायी आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए एक उत्प्रेरक हो सकता है। देश में युवाओं के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित उच्च बेरोजगारी दर और एनईईटी की दरों से निपटने के परिप्रेक्ष्य से और तेजी से बढ़ते शिक्षित युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भी युवा रोजगार को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। श्रम बाजार में लैंगिक अंतर को कम करने के लिए, खासकर महिलाओं के बीच कम भागीदारी दर और उच्च बेरोजगारी दर से निपटने के लिए प्रभावी युवा रोजगार कार्यनीतियां भी महत्वपूर्ण हैं। अनौपचारिक रोजगार में लगे युवाओं के बड़े हिस्से को औपचारिक रोजगार और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में लाने के लिए अभिनव उपाय भी आवश्यक हैं। भारत के युवाओं के कौशल आधार को, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों दृष्टि से उन्नत बनाना भारत में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसके साथ ही युवाओं को प्रासंगिक कौशलों से लैस करने की आवश्यकता है ताकि वे अपनी रोजगार क्षमता बढ़ा सकें और तकनीकी प्रगति के अवसरों को लाभ ले सकें। यह देखते हुए कि भारत में प्रौद्योगिकी का उपयोग व्यापक हो रहा है, युवाओं के रोजगार के मुख्य पहलुओं, जैसे कि सार्वजनिक रोजगार सेवाओं का विस्तार करना, युवाओं में उद्यमशीलता का विकास करना, युवा श्रमिकों के लिए सीखने के संसाधन विकसित करना, और हरित अवसंरचना एवं नौकरियों का विकास करना, में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल उपकरणों का उचित उपयोग महत्वपूर्ण होगा।

यह अध्ययन युवाओं के लिए बेहतर कार्य के भविष्य को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित मुख्य बातों की पहचान करता है: रोजगार–केंद्रित व्यापक आर्थिक और क्षेत्रीय नीतियां; कौशल पारिस्थितिक तंत्र का पुनर्भिविन्यास; प्रौद्योगिकी और डिजिटल उपकरणों का अभिनव उपयोग; श्रम विनियमन प्रणालियों का पुनः विनियमन; और एक बेहतर श्रम बाजार सूचना प्रणाली, विशेष रूप से रोजगार के नए रूपों के संबंध में।

इस अध्ययन के निष्कर्षों को 16–20 सितंबर 2019 के दौरान ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स श्रम मंत्रिस्तरीय बैठक के विचार–विमर्श के दौरान इस्तेमाल किया गया था।

इस अध्ययन को *एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला (नं. 140/2019)* के रूप में प्रकाशित किया गया है।

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को जनवरी 2019 में शुरु, एवं अगस्त 2019 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. एस. के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो)

2. युवा रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देनाः 'स्टार्ट–अप्स' के विशेष संदर्भ में अध्ययन

उद्देश्य

यह अनुसंधान अध्ययन शुरु करने के उद्देश्य इस प्रकार थेः 1) यह पता लगाना कि स्टार्टअप युवाओं में रोजगार को कैसे बढ़ावा देते हैं और यह समझना कि युवाओं के लिए श्रम बाजार के परिणामों में 'स्टार्टअप' कैसे बदलाव लाते हैं; 2) उद्यमशीलता और नवाचार को विकसित करने के लिए एक नया पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में विश्वविद्यालयों की भूमिका की जांच करना; 3) स्टार्टअप्स से संबंधित मौजूदा नीतियों और एक ऐसे माहौल जिसमें स्टार्टअप विकसित होते हैं तथा युवा रोजगार सृजन में अपना योगदान देते हैं, को बनाने में सरकार की नीतियां कैसे बनाई जाती हैं, पर चर्चा करना।

परिणाम

इस अनुसंधान में स्टार्टअप्स का अन्वेषणात्मक मामला अध्ययन तैयार किया गया जिसने छोटी फर्मों के जटिल स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का विश्लेषण एक विस्तृत तरीके से करने को सुगम बनाया। कुल सैंपल स्टार्टअप्स के निष्कर्षों में बताया गया है कि कैसे विभिन्न नवाचारों को विभिन्न प्रकार के स्टार्टअप्स में बदला जाता है और जिससे रोजगार सृजन होता है। अध्ययन में यह भी बताया गया है कि इस तरह की स्टार्टअप पहलों के लिए निजी क्षेत्र की प्रतिभा की पहचान और रुचि के लिए रचनात्मक रूप से इस्तेमाल किए जा रहे शैक्षिक मंच इस संबंध में एक स्वागत योग्य प्रवृत्ति है। इस अध्ययन से निकलने वाली कुछ प्रमुख नीतिगत बातें हैं: समर्थन प्राप्त करने, प्रेरणा और सीखने का साझाकरण करने के लिए समान क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के ज्ञान परिवर्तन और सहयोग की सुविधा प्रदान करना; एक बेंचमार्क स्थापित करना, जिसका पालन मेंटरशिप, सीड फंडिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर या अन्य निवेशकों के साथ जुड़ाव के लिए किया जाना चाहिए; नवीनतम नवाचारों के बारे में सूचना प्रसारित करने का त्वरित और प्रभावी तरीका और स्टार्टअप्स पर बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम करना।

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को अगस्त 2017 में शुरु, एवं मार्च 2020 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशक: डॉ. धन्या एम. बी., एसोसिएट फेलो)

मामला अध्ययन

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रवासन शासन पर अच्छी प्रथाएं: भारत के ईमाइग्रेट का मामला अध्ययन – डॉ. एस. के. शशिकुमार

प्रमुख कार्यशालाएं/सम्मेलन

- **2020–21 की द्विवार्षिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के डिसेंट वर्क कंट्री प्रोग्राम (डीडब्ल्युसीपी) के कार्यान्वयन और योजना की अंतरिम समीक्षा**

  2020–21 की द्विवार्षिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के डिसेंट वर्क कंट्री प्रोग्राम (डीडब्ल्युसीपी) के कार्यान्वयन और योजना की अंतरिम समीक्षा 23 जनवरी 2020 को वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में की गयी।

  श्रीमती अनुराधा प्रसाद, अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोउसा उमारू, उप महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन; श्री आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान तथा सुश्री डगमर वॉल्टर, निदेशक, आईएलओ डीडब्ल्युटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया एंड कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया ने बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में सरकार, ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले 70 वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाग लिया।

  इस बैठक में तृतीय इंडिया डीसेंट वर्क कंट्री प्रोग्राम (डीडब्ल्युसीपी: 2018–2022) द्वारा 2018–19 की अवधि के दौरान की गई प्रगति तथा द्विवार्षिकी 2020–21 के लिए भारत में आईएलओ के घटकों द्वारा वचनबद्ध नौ परिणामों में से तीन प्राथमिकताओं का प्राप्त करने लिए प्रमुख कार्यनीतियों पर विस्तार से विचार–विमर्श किया गया। ये तीन प्राथमिकताएं इस प्रकार हैं:

- प्राथमिकता 1: काम के अस्वीकार्य रूपों से श्रमिकों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को बढ़ावा देना, अपनाना और लागू करना।

- प्राथमिकता 2: महिलाओं और युवाओं के लिए स्थायी, समावेशी और उत्कृष्ट रोजगार सृजित करना, विशेष रूप से सामाजिक–आर्थिक और पर्यावरणीय बहिष्करण और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के कमजोर लोगों के लिए।
- प्राथमिकता 3: श्रम प्रशासन, ओएसएच और सामाजिक संरक्षण को बढ़ावा देने के माध्यम से श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए त्रिपक्षीय तंत्र बेहतर काम करते हैं।

इस कार्यशाला का समन्वय डॉ. एस. के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो ने किया।

- **'स्टार्टअप्स और युवा उद्यमी: अवसर एवं चुनौतियां' पर कार्यशाला**

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने 28 फरवरी 2020 को संस्थान में 'स्टार्टअप्स और युवा उद्यमी: अवसर एवं चुनौतियां' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप शुरू करने और बढ़ती युवा बेरोजगारी से निपटने में इसकी भूमिका के बारे में सभी संबंधित हितधारकों के बीच एक संवाद शुरू करना था। इस कार्यशाला में संस्थान द्वारा 'युवा रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना: 'स्टार्ट–अप्स' के विशेष संदर्भ में अध्ययन' पर शुरू किए गए स्टार्टअप्स पर शोध अध्ययन के निष्कर्षों का प्रसार किया गया और विशेषज्ञों एवं नीति निर्माताओं के बीच चर्चा के लिए एक मंच प्रदान किया गया। इस अवसर पर सुश्री ए. श्रीजा, आर्थिक सलाहकार, आर्थिक मामला विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार विशेष व्याख्यान दिया। डॉ. एस. के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो, वीवीजीएनएलआई ने सभी प्रतिभागियों एवं प्रतिनिधियों का स्वागत किया और सत्र का परिचयात्मक व्याख्यान दिया। डॉ. धन्या एम. बी., एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई ने कार्यशाला के संदर्भ एवं उद्देश्य निर्धारित किए। विशेषज्ञ पैनल चर्चा में सुश्री राधा आर. आस्रित, सांख्यिकीय सलाहकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार; सुश्री शिवांगी जैन, स्टार्टअप्स इंडिया; प्रो. एम. एस. फारुकी, निदेशक एयूडी ऊष्मायन, नवाचार एवं उद्यमशीलता केंद्र, अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली; श्री वी. के. मिश्रा, वरिष्ठ सदस्य, प्रबंधन समिति, पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री; डॉ. मलिका बासु, प्रोपराइटर–डिवलपमेंट इनीशिएटिव फॉर चेंज (डीआई4सी) ने व्याख्यान दिए। श्रम एवं रोजगार अध्ययनों के प्रख्यात विशेषज्ञों तथा विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों एवं शिक्षाविदों ने इस चर्चा में भाग लिया। इसमें 43 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का समन्वय डॉ. धन्या एम. बी., एसोसिएट फेलो ने किया।

कृषि संबंध, ग्रामीण और व्यवहार अध्ययन केंद्र

उद्देश्य और कार्यकलाप

दुनिया भर में श्रम बाजार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के स्तर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि पूरी ग्रामीण श्रम शक्ति को अकेले कृषि क्षेत्र द्वारा पर्याप्त रूप से नियोजित नहीं किया जा सकता है, तथापि रोजगार सृजन में इसका सहयोग और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए इसका योगदान महत्वपूर्ण हैं।

ग्रामीण आबादी के लिए श्रम बाजारों तक पहुंच मुख्य रूप से आवश्यक है, क्योंकि यह उनकी आजीविका को बनाए रखने का एकमात्र संसाधन हो सकता है। अक्सर, इन श्रमिकों के पास एकमात्र प्रतिभा उनका श्रम है। इसलिए, ग्रामीण श्रम बाजारों के कामकाज को मजबूत करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह उनकी सबसे बड़ी प्रतिभा और व्यवसाय की दक्षता को मानवीय बनाने का एकमात्र प्रभावी तरीका है। रोजगार सृजन और श्रम बाजारों के लिए स्थायी कृषि प्रथाओं को अपनाना एक महत्वपूर्ण सरोकार है। इसके लिए विस्तार से शोध की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बहुत सीमित प्रमाण हैं।

कृषि संबंधों और ग्रामीण श्रम बाजार की बढ़ती हुई जटिलताओं को देखते हुए यह अनुभव किया गया था कि कृषि स्थिति की जांच करने तथा इसका और अधिक वैज्ञानिक तौर पर एवं सुव्यवस्थित ढंग से विश्लेषण करने के लिए और अधिक विशेषज्ञता की जरूरत होगी, ताकि ग्रामीण श्रमिकों के विकास के लिए उनकी जरूरतों के लिए उपयुक्त नीति और कार्यक्रम तैयार किए जा सकें।

स्थायी विकास और समानता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण, अनुसंधान और वकालत के माध्यम से नीतियों, कौशल विकास, क्षमता निर्माण, सामाजिक संवाद और सशक्तीकरण के बारे में जागरूकता 'कृषि संबंध और ग्रामीण श्रम अध्ययन केंद्र' द्वारा की जाने वाली कुछ मुख्य गतिविधियां होंगी। इस ढांचे के भीतर केंद्र की गतिविधियों को अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और कार्य की दुनिया में कृषि और ग्रामीण श्रम से संबंधित विभिन्न आयामों पर वकालत के क्षेत्र में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान की स्थिति को उन्नत करने की परिकल्पना की गई है।

व्यवहार अध्ययन का महत्व

आज हम एक तकनीकी क्रांति को देखते हैं जो मूल रूप से हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से संबंधित होने के तरीके को बदल सकती है। इसके पैमाने और दायरे में, ये जो परविर्तन हो रहे हैं, उनकी कल्पना मानव द्वारा नहीं की गई होगी।

सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए, विशेष रूप से कार्यस्थल पर, यह न केवल महत्वपूर्ण है कि कठिन कौशल को तेज और सुदृढ़ किया जाना चाहिए बल्कि नरम कौशल को कार्य संस्कृति के अनुरूप विकसित करने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण और विकास के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले नरम कौशल, व्यवहार और अभिवृत्ति संबंधी हस्तक्षेप, व्यक्तियों और उन संगठनों जहां वे कार्य करते हैं, की उत्पादकता बढ़ाने और कार्यस्थल पर संस्कृति को बेहतर बनाने में भी काफी सहायक होंगे।

नरम कौशलों में अन्य कौशलों के साथ व्यक्तिगत कौशल, सामाजिक कौशल, चरित्र और व्यक्तित्व लक्षण, अभिवृत्ति, कैरियर की विशेषताएं, सामाजिक और भावनात्मक बुद्धिलब्धिमत्ता का एक संयोजन शामिल है, जो लोगों को दिन–प्रतिदिन पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाते हैं।

केंद्र का लक्ष्य विभिन्न हितधारकों और सामाजिक भागीदारों यानी ट्रेड यूनियन नेताओं और श्रमिकों; नियोक्ता संगठनों के सदस्यों; सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधकों एवं कर्मचारियों; केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के अधिकारियों; शोधकर्ताओं; प्रशिक्षकों, सिविल सोसायटी संगठनों के सदस्यों, पंचायती राज संस्थाओं; ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के जमीनी स्तर के संगठनों के सदस्यों आदि की व्यवहार और अभिवृत्ति कौशल आवश्यकताओं को संबोधित करना है। केंद्र सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑयल इंडिया लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नाल्को, एनटीपीसी, भेल इत्यादि जैसे विभिन्न संगठनों के प्रबंधकों और कर्मचारियों की क्षमताओं को बढ़ाता रहा है।

इस संस्थान द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में विभिन्न प्रकार के उपकरण और तकनीक जैसे कि मामला अध्ययन, रोल प्ले, मैनेजमेंट गेम्स, अभ्यास और अनुभव साझा करना आदि शामिल हैं।

पूरी कर ली गई परियोजनाएं

1. व्यवहार कौशल और अन्य प्रशिक्षण इनपुट पर प्रशिक्षण सामग्री मॉड्यूल विकसित करना

1.1 नेतृत्व विकास पर मॉड्यूल

उद्देश्य

परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना है और इनके प्रतिभागियों द्वारा अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में व्यवहार प्रशिक्षण कार्यक्रम के सीखने के परिणामों का उपयोग करवाना है।

प्रमुख परिणाम

i. नेतृत्व विकास पर मॉड्यूल
ii. नेतृत्व एवं उत्पादकता पर मॉड्यूल
iii. प्रेरणा पर मॉड्यूलः शैलियां एवं प्रभाव
iv. संप्रेषण कौशल पर मॉड्यूल
v. सकारात्मक दृष्टिकोण पर मॉड्यूल
vi. टीम निर्माण पर मॉड्यूल
vii. निर्णय लेना पर मॉड्यूल
viii. बातचीत के कौशल पर मॉड्यूल
ix. पारस्परिक कौशल पर मॉड्यूल

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

परियोजना को जून 2019 में शुरु, एवं अक्टूबर 2019 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशक : डॉ. शशि बाला, फेलो

परियोजना परामर्शदाताः डॉ. पूनम एस. चौहान, भूतपूर्व वरिष्ठ फेलो, वीवीजीएनएलआई)

1.2 संगठनात्मक संरचना, संस्कृति और उत्पादकता पर मॉड्यूल

उद्देश्य

परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना है और इनके प्रतिभागियों द्वारा अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में व्यवहार प्रशिक्षण कार्यक्रम के सीखने के परिणामों का उपयोग करवाना है।

प्रमुख परिणाम

1. भाग 1: संगठनात्मक संरचना, संस्कृति और उत्पादकता पर मॉड्यूल
2. भाग 2: तनाव एवं उसके प्रबंधन पर मॉड्यूलः सत्र प्रक्रिया

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

परियोजना को दिसंबर 2019 में शुरु, एवं फरवरी 2020 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशक : डॉ. शशि बाला, फेलो

परियोजना परामर्शदाताः डॉ. पूनम एस. चौहान, भूतपूर्व वरिष्ठ फेलो, वीवीजीएनएलआई)

मामला अध्ययन

- रोजगार और आजीविका संवर्धन के लिए ग्रामीण गरीब युवाओं का कौशल प्रशिक्षणः फील्ड इंटरैक्शंस से मामले – श्री पी. अमिताभ खुंटिआ
- सेवा और कुडुंबश्री के अनुभवः सामाजिक सुरक्षा आधार – डॉ. धन्या एम. बी.
- गाँधी के एक नेता के रूप में उभरने पर मामला अध्ययनः डॉ. रम्य रंजन पटेल
- असंरक्षित की रक्षा करनाः संगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए माथाडी मॉडल का एक मामला अध्ययन – डॉ. मनोज जाटव

जारी परियोजना

1. कृषि संकटः उत्पादन, रोजगार एवं उभरती चुनौतियों का अध्ययन

उद्देश्य

इसका मुख्य उद्देश्य गतिशील और सतत विकास के लिए कार्यनीति विकसित करने के लिए विभिन्न आयामों से कृषि की मौजूदा स्थितियों की जांच करना है। इस अनुसंधान के विशिष्ट उद्देश्यों में निम्न का अध्ययन करना है:

- कृषि में मौजूदा उत्पादन प्रक्रियाएं
- कृषि में रोजगार पैटर्न एवं उत्पादकता
- मूल्य एवं बाजार तंत्र के प्रभाव (व्यापार के संदर्भ में)
- जोखिम प्रबंधन ढांचा
- सरकारी नीतियां एवं कार्यक्रमः पहुंच एवं प्रभाव
- कृषि में संसाधन उपयोग की प्रक्रिया
- स्थायी कृषि विकास के लिए सिफारिशें

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को जनवरी 2020 में शुरु किया गया, एवं इसे सितंबर 2020 तक पूरा किया जाना है।

(परियोजना निदेशक : डॉ. शशि बाला, फेलो)

राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र (एनआरसीसीएल)

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र (एनआरसीसीएल) की स्थापना यूनीसेफ, आईएलओ और श्रम मंत्रालय के साथ साझेदारी में काम करने हेतु उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में की गई है। इसकी स्थापना का उद्देश्य एक ऐसी केंद्रीय एजेंसी उपलब्ध कराना था, जो बाल श्रम पर काबू पाने के कार्य में सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, एनजीओ, कामगार संगठनों, और नियोक्ता संगठनों सहित विभिन्न सामाजिक भागीदारों और हितधारकों के बीच सक्रिय सहयोग सुनिश्चित कर सके। यह केंद्र बाल श्रम के उत्तरोत्तर उन्मूलन के कार्य में कानून–निर्माताओं, नीति–निर्माताओं, योजनाकारों तथा परियोजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ताओं और अन्यों का समर्थन करता है। केंद्र विभिन्न सरकारी विभागों, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, समाज कार्य एवं सामाजिक विज्ञान के छात्रों, सीएसआर कार्यपालकों सहित विकास सैक्टर एवं कारपोरेट सैक्टर के कार्मिकों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों, आरडब्ल्युए के पदाधिकारियों, एनएसएस, एनवाईके और अन्य युवा समूहों, पंचायती राज संस्थाओं तथा बाल श्रम की रोकथाम एवं उन्मूलन की दिशा में कार्य करने वाले अन्य सामाजिक भागीदारों की क्षमताओं का विकसित करने का प्रयास करता रहा है।

एलआरसीसीएल की व्यापक गतिविधियों में शामिल हैं: अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रभाव आकलन, मूल्यांकन, निष्पादन आकलन, प्रशिक्षण मैन्युअल/मॉड्यूल/पैकेज विकसित करना, पाठ्यचर्या विकास, पक्ष–समर्थन, तकनीकी सहायता/सलाहकार सेवाएं/परामर्श, दस्तावेजीकरण, प्रकाशन, प्रसार, नेटवर्किंग, विभिन्न स्तरों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयासों को सुदृढ़ करते हुए अभिसरण को बढ़ावा देना तथा आबादी के विभिन्न समूहों के मध्य जागरूकता का सृजन करना जिससे जनता के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो सके। इन कार्यकलापों का मुख्य उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकारों की नीतियों के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान करना है।

अनुसंधान

अनुसंधान, एनआरसीसीएल के कार्यकलापों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है। अनुसंधान परियोजनाओं के केन्द्र में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है;

1. चुनिंदा खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन पर बेंचमार्क सूचना का सृजन करना।
2. बाल श्रम की रोकथाम, पहचान, बचाव, रिहाई, प्रत्यावर्तन, पुनर्वास, पुनः एकीकरण, एकीकरण के बाद तथा ट्रैकिंग एवं निगरानी के लिए कार्यनीतियां विकसित करना।
3. सफल अनुभव का प्रलेखन करके बाल श्रमिकों को काम से मुक्त करवाने की अवसर लागतों को स्पष्ट करना।
4. श्रमिक शोषण में बच्चों के मुद्दे पर प्रदर्शन मूल्यांकन, प्रभाव मूल्यांकन एवं मूल्यांकन अध्ययन।
5. बाल श्रम के वैचारिक और निश्चयात्मक पहलुओं का पता लगाने और बाल श्रम के अपराध के लिए जिम्मेदार कारकों के सामाजिक–आर्थिक निहितार्थों का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान अध्ययनों की समीक्षा करना।

इन सूक्ष्म–स्तरीय अध्ययनों में जिन पहलुओं का अध्ययन किया गया है, उनमें समस्या की मात्रा, श्रमिक शोषण के लिए बच्चों की तस्करी, बाल श्रमिकों की कमजोरियां एवं असुरक्षिताएं, बाल संरक्षण तंत्र की संरचना एवं प्रकार्य, विधायी रूपरेखा और कानूनों का प्रवर्तन, सरकारी तथा गैर–सरकारी हस्तक्षेपों का प्रभाव, शिक्षा की स्थिति, जीवन तथा कार्य दशाएं, व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम आदि शामिल हैं। एनआरसीसीएल ने कई अनुसंधान अध्ययनों और प्रमुख मूल्यांकन अध्ययनों को पूरा कर लिया है।

पूरी की गई परियोजनाएं

1. प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं प्रशिक्षण मैन्युअल बनाना तथा जिला–विशिष्ट योजना विकसित करके बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाईयों के अभिसरण के लिए प्रसारित करना।

उद्देश्य

- चुनिंदा उच्च बाल श्रमिक संकेंद्रण वाले राज्यों के 24 जिलों में कामकाजी बच्चों की संख्या में कमी लाने हेतु आधार तैयार करना।
- बाल श्रम की रोकथाम और अनुक्रिया में अधिक अभिसरित तरीके से कार्य करने हेतु राज्य और जिला–स्तरीय कार्यकर्ताओं को सुदृढ़ बनाना तथा यह सुनिश्चित करना कि बाल श्रम की रोकथाम और अनुक्रिया के लिए राज्य और जिला–स्तरीय कार्यकर्ताओं के पास वर्धित ज्ञान और कौशल हैं।

परिणाम

सरकारी और गैर–सरकारी दोनों सामाजिक हितधारक बाल संरक्षण और रोकथाम और बाल श्रम के उन्मूलन के लिए विभिन्न तंत्रों के हिस्से के रूप में स्थानीय आबादी पर काफी प्रभाव डालते हैं। वे बच्चों के लिए उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेदार हैं। इसलिए, किसी भी नीति, कानून या पुनर्वास के प्रयास के कार्यान्वयन में उनकी भागीदारी और योगदान बहुत अधिक है। बाल श्रम के मामले में, शिक्षा के क्षेत्र में उनकी जिम्मेदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि बच्चों को शिक्षित किया जाना है, तो उन्हें बाल श्रमिकों के रूप में नियोजित होने के बजाय स्कूल में उपस्थित होने और अपनी पढ़ाई करने के लिए समय चाहिए। इसलिए, इन बहु–हितधारकों को इस विषय पर संवेदनशील बनाने, उन विभिन्न विधानों और कानूनों, जो बाल श्रम पर रोक लगाते हैं और उन्हें कैसे लागू किया जाता है, के बारे में बताने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण मॉड्यूल और प्रशिक्षण मैन्युअल तैयार करके और उनका प्रसार करके बाल श्रम के खिलाफ अभिसरण कार्रवाई को मजबूत किया गया है। उन्हें अपने संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों के लिए कार्य योजना तैयार करने में सक्षम बनाने से उन्हें बाल श्रम की रोकथाम के लिए बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाने और पुनर्वास प्रयासों में योगदान करने की सुविधा मिलती है।

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

परियोजना को नवम्बर 2018 में शुरु, एवं सितंबर 2019 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. हेलन आर. सेकर, वरिष्ठ फेलो)

2. भारत में बाल श्रम मुद्दे की वास्तविकता और सरकार की नीतिगत अनुक्रिया पहलः एक विश्लेषण

ऐसी नीतियां जो शिक्षा को अधिक सार्थक बनाती हैं और परिवारों को उनके बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने और शिक्षा में उनका प्रतिधारण सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। कुशल मजूदरों की मजदूरी में वृद्धि शिक्षा की मांग में परिणामी वृद्धि के साथ बाल श्रम को कम करेगी और इसके कारण वयस्कों द्वारा बाल श्रम को प्रतिस्थापित करने के प्रभाव हो सकते हैं। शिक्षितों के लिए बेरोजगारी में वृद्धि के मामले में बाल श्रम में परिणामी वृद्धि के साथ शिक्षा की मांग में गिरावट आ सकती है। श्रम बाजार में बहु–संतुलन हो सकता है, एक जिसमें कम मजदूरी के साथ बाल श्रम होता है जबकि दूसरे में बाल श्रम की अनुपस्थिति में उच्च मजदूरी होती है। बचपन की अवधारणा में सैद्धांतिक विकास ने इसकी कमी के उद्देश्य से किए गए सफल हस्तक्षेपों को प्रभावित किया है।

भारत के संदर्भ में बाल श्रम समाज में व्यापक गरीबी और असमानता की अंतर्निहित समस्याओं का एक लक्षण है। यह गरीबी का कारण भी है, प्रारंभिक अवस्था में कार्यबल में शामिल होने वाले बच्चे किसी औपचारिक शिक्षा या

कौशल, जो उन्हें उपरिगामी गतिशीलता प्रदान करने में मदद करता, के बिना ऐसा करते हैं। ज्यादातर मामलों में, बच्चे नीरस और श्रमसाध्य कार्यों में लगे होते हैं और वे शिक्षा के बिना बड़े होते हैं और किसी भी रोजगार योग्य तकनीकी कौशल से रहित होते हैं। नतीजतन वे वयस्क होने पर कुछ कम मजूदरी वाले अकुशल काम में लग जाते हैं। जब वे एक गरीब आर्थिक स्थिति में होते हैं तो वे परिवार की आय को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को काम करने हेतु भेजने के लिए मजबूर होते हैं। वयस्कों के साथ नौकरियों के लिए होड़ करने वाले बच्चों की बड़ी संख्या के कारण बाल श्रम का दुश्चक्र – गरीबी – अशिक्षा वयस्क बेरोजगारी के कारण मजबूत होता है। इसके अलावा, बच्चे न केवल श्रम की आपूर्ति में वृद्धि करते हैं और परिणामस्वरूप वयस्क श्रमिकों को कम रोजगार मिलता या फिर उनकी बेरोजगारी बढ़ती है, यह श्रम को सस्ता बनाता है और साथ ही सामान्य मजदूरी स्तर को भी कम करता है। बच्चों द्वारा खतरनाक व्यवसायों में काम करने के दुष्परिणाम श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक चुनौती बन जाते हैं और कम उम्र में किसी भी काम के लिए व्यक्ति को अशक्त बनाने के मामले में स्वास्थ्य संबंधी खतरों के दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं। काम करने वाले बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी खतरों की भेद्यता कुपोषण और अल्पपोषण की उच्च घटनाओं से बढ़ जाती है, जो कि भारी कार्य कार्यकलापों को करने के लिए ऊर्जा उपयोग के लिए उनकी बढ़ती आवश्यकता के विपरीत है। इन बच्चों में संचारी रोगों की घटना हमेशा अधिक होती है। बाल श्रम के उन्मूलन के लिए कई दृष्टिकोणों की आवश्यकता है और बच्चों को बाल संरक्षण नीतियों में अधिकारों वाले व्यक्तियों के रूप में मानना महत्वपूर्ण है।

इस अध्ययन का उद्देश्य बाल श्रम को परिभाषित करने में सामान्य और विशिष्ट दृष्टिकोणों की पहचान करना है। इसका उद्देश्य बाल श्रम की परिभाषाओं, जो विशेष रूप से उम्र से संचालित होती हैं और जो काम के विभिन्न रूपों, जो बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित करते हैं, के संदर्भ में सशर्त दृष्टिकोण पर प्राप्त होती हैं का भी विश्लेषण करना है। यह बाल श्रम को कम करने और समाप्त करने के लिए सफल 'सरकारी–बिजनेस–सिविल सोसायटी'' कार्यक्रमों के विकास के लिए एक उत्प्रेरक होने के नाते सिद्धांत–नीति–अभ्यास साझेदारी की व्यवहार्यता का भी पता लगाता है। इस अध्ययन में स्थिरीकरण नीतियों, श्रम आपूर्ति में बदलाव संबधी साहित्य और वयस्कों की मजदूरी दरों की समीक्षा भी की जाएगी जो बाल श्रम की घटनाओं को प्रभावित कर सकते हैं।

परिणाम

शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में संसाधनों के आवंटन के संबंध में परिभाषाओं पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है। बाल विकास को बाल अधिकारों से जोड़ने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बाल विकास पर ध्यान केंद्रित करने में कोई कमी बाल श्रम की प्रगतिशील रोकथाम और उन्मूलन में एक बड़ी बाधा होगी। बाल विकास की दृष्टि से समाज के सबसे गरीब तबके के बच्चों को शिक्षा की सुविधा देने की प्रतिबद्धता सामाजिक संकेतकों पर बहुत प्रभाव डालेगी। कष्टदायक गरीबी के माहौल में वर्धित जागरूकता बच्चों के समग्र विकास की आवश्यकता को पहचानने और बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक धारणा बना सकती है। सम्मेलन नीति नियोजकों को किसी भी देश के सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक विकास से जुड़े मुद्दों के रूप में कार्यस्थल में शोषण और शिक्षा तक पहुंच के माध्यम से बचपन से इनकार करने की समस्या का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

सरकार द्वारा व्यापारी वर्ग, सिविल सोसायटी को एक साथ लाकर और शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाकर भारत में पहले से मौजूद अभिनव परियोजनाओं पर डिजाइनिंग, विकास, शासन और वितरण निर्माण का सह–नेतृत्व करना बाल श्रम, जो कि एक है प्रमुख सामाजिक चुनौती है, का समाधान करने में मदद करेगा। पूरे देश में सफल पहलों को बढ़ाने के लिए स्थानीय समुदायों को महत्वपूर्ण आर्थिक विकास के लिए सामाजिक गतिशीलता, कौशल विकास और नौकरी के सृजन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है, ताकि कमजोर समुदायों, जहां हालांकि रोजगार पाने के लिए श्रमिक उपलब्ध हैं किंतु सही कौशल की कमी है, के मध्य बेरोजगारी का समाधान करने के लिए एक संपन्न और समावेशी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया

जा सके। व्यापारी वर्ग, सरकार, सिविल सोसायटी का संयुक्त प्रयास बच्चों के श्रम शोषण का समाधान करने के लिए अधिक से अधिक सहयोग को बढ़ावा देने और नए सिरे से ऊर्जा देने के लिए एक वास्तविक अंतर पैदा करेगा।

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

परियोजना को अप्रैल 2019 में शुरु, एवं अगस्त 2019 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. हेलन आर. सेकर, वरिष्ठ फेलो)

3. बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम के तहत मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) तथा अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम सम्मेलनों के आधार पर बाल श्रम के विभिन्न रूपों की रोकथाम, उन्मूलन तथा बाल श्रम के पुनर्वास पर राज्य और जिला–स्तर पर बहु–हितधारकों की क्षमता का निर्माण

उद्देश्य

इसका उद्देश्य विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में कार्रवाई को मजबूत करने के लिए बाल श्रमिकों की स्थिति और स्थितियों का चित्रण करने के लिए हितधारकों की क्षमता का निर्माण और सुदृढ़ीकरण करना था। इसका उद्देश्य विकसित और प्रासंगिक संसाधन सामग्री का उपयोग करके तथा विधायी प्रावधानों, प्रोटोकॉल, एसओपी और संयुक्त राष्ट्र एवं आईएलओ सम्मेलनों के व्यापक प्रसार के लिए जिला और उप–जिला–स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना के लिए सहायता प्रदान करके प्रशिक्षकों की क्षमता में वृद्धि करना भी था।

परिणाम

इस परियोजना ने उच्च संवदेनशीलता के साथ विभिन्न आपूर्ति और मूल्य श्रृंखलाओं में बाल श्रम के रोजगार सहित बाल श्रम के विभिन्न पहलुओं और संबंधित अनेक मुद्दों के बारे में समझ बढ़ाने में सक्षम बनाया जिससे बाल श्रम संबंधी परियोजनाओं और योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन; राज्य कार्य योजना की तैयारी और सुदृढ़ीकरण; अधिनियम में संशोधनों, बनाए गए नियमों और मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में कानून का प्रवर्तन; तथा आईएलओ सम्मेलनों के अनुसमर्थन में मदद मिलेगी। इस प्रशिक्षण परियोजना ने बहु–हितधारकों की समझ को बढ़ाया और इसके परिणामस्वरूप विभिन्न सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों, ज्ञान सृजन और क्षमता निर्माण और अक्सर बेहतर हितधारक समन्वय के क्षेत्रों में प्रमुख गतिविधियों के कार्यान्वयन में बाल श्रम के मुद्दों के एकीकरण के लिए अभिनव विचारों को बढ़ाया।

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

परियोजना को नवंबर 2018 में शुरु, एवं सितंबर 2019 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. हेलन आर. सेकर, वरिष्ठ फेलो)

4. भारत में आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाल श्रम का समाधान करने की पहलें: क्षेत्रवार फोकस का मानचित्रण

उद्देश्य

- व्यवसाय प्रथाओं के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखलाओं में काम में बच्चों के प्रवेश को रोकने के लिए व्यापारियों की जिम्मेदारियों का पता लगाना।
- इस बात का पता लगाना कि आपूर्तिकर्ताओं के व्यवसाय अभ्यास को प्रभावित करने के लिए व्यापारी अपने उत्तोलन का उपयोग किस सीमा तक करता है।

- उन परियोजनाओं का पता लगाना जो व्यापारियों द्वारा उपचारी उपाय के तौर पर कार्य से हटाए गए बच्चों का पुनर्वास करते हैं।
- उन तरीकों का पता लगाना जिनमें व्यापारी पुनर्वास परियोजनाओं के साथ–साथ बाल श्रम की संपूर्ण रोकथाम और उन्मूलन के लिए योगदान दे सकते हैं।

परिणाम

बाल श्रम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चिंता के कई सरोकारों में से एक है। यहां तक कि जब ब्रांडों के पास आपूर्तिकर्ताओं के लिए सख्त दिशा–निर्देश होते हैं, तो भी काम अक्सर आगे के लिए उप–अनुबंधित हो जाता है और खरीदार को इस बारे में शायद ही पता चलता हो। उप–ठेकेदार श्रम के सस्ते से सस्ते स्रोतों को खोजने के लिए प्रेरित होते हैं। इस प्रकार कृषि और गैर–कृषि दोनों क्षेत्रों में ग्रामीण और दूरदराज के जनजातीय और अन्य भौगोलिक स्थानों में विस्तारित उत्पादन प्रक्रियाओं के साथ कई उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाल श्रम की उपस्थिति दृष्टिगोचर है। श्रम गहन कार्यों में बच्चों की आवश्यकता बढ़ रही है और इसके प्रमुख कारणों में शिक्षा और सशक्तीकरण का अभाव, गरीबी और माता–पिता के आगामी ऋण, और कानून के प्रभावी प्रवर्तन के लिए पहुंच और क्षमता की कमी शामिल हैं। मान्यता प्राप्त ब्रांडों को नियमित ऑडिट के साथ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पादन के प्रत्येक चरण में सभी आपूर्तिकर्ता बाल श्रम प्रथाओं के अपने कोड को पूरा करें। बाल श्रम का निरंतर शोषण एक असंतुलित स्थिति को इंगित करता है और इसके परिणामस्वरूप कमजोर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के बीच मानकीकरण, सहयोग और संचार के माध्यम से बल प्रयोग किया जा सकता है। व्यापारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन न हो और वे बाल श्रम के पुनर्वास में सहायता दें। वृद्धिशील निरंतर बदलाव आवश्यक हैं ताकि इससे वे बाल श्रम मुक्त आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ अच्छी तरह से काम करने वाले और अच्छी तरह से विनियमित बाजारों की ओर अग्रसर हों।

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

परियोजना को सितम्बर 2018 में शुरु, एवं मई 2019 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. हेलन आर. सेकर, वरिष्ठ फेलो)

5. बाल श्रम कानूनों में संशोधनों तथा अतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के अनुसमर्थन के आधार पर बाल श्रम की रोकथाम और पुनर्वास पर राज्य एवं जिला–स्तरीय बहु–हितधारकों की क्षमता का निर्माण (फेज–2)

उद्देश्य

- हॉट स्पॉट शहरों तथा 08 उच्च बाल श्रमिक संकेंद्रण वाले राज्यों के 24 जिलों में विभिन्न सामाजिक भागीदारों और हितधारकों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से विकसित मॉड्यूल और पुस्तिका का उपयोग करके बहु–हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- बाल श्रम का मुकाबला करने हेतु इनके अनुप्रयोग और उपयोग के लिए अधिगम को बनाए रखने में सक्षम बनाना। अधिगम के हस्तांतरण और ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित तरीके से सुविधा प्रदान की जाएगी। बाल श्रम की रोकथाम एवं अनुक्रिया के लिए उनकी भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के तरीकों, प्रक्रियाओं एवं तकनीकों का भी वर्णन करते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं की क्षमता का विकास किया जाएगा।

परिणाम

प्रशिक्षण मॉड्यूल, प्रशिक्षण सामग्री और पुस्तिका तैयार कर लिए गए हैं तथा इन्हें अंतिम अंतिम रूप दे दिया गया है। राज्य स्तर के कार्यकर्ताओं को बाल श्रम की रोकथाम एवं अनुक्रिया के लिए कौशल प्रदान किए गए। जिस हद तक राज्य और जिले के कार्यकर्ताओं ने समझ हासिल की है और जिस हद तक उन्होंने बाल श्रम की रोकथाम और अनुक्रिया में लागू ज्ञान और कौशल को अधिक अभिसरण तरीके से प्राप्त किया है, का मानचित्रण करना। सामुदायिक स्तर की संरचना के लिए प्रशिक्षण सामग्री और प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित कर लिया गया है।

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

परियोजना को मार्च 2018 में शुरु, एवं मार्च 2020 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. हेलन आर. सेकर, वरिष्ठ फेलो)

मामला अध्ययन

सामान्य रूप से और कोविड–19 महामारी आपदा के संदर्भ में बाल श्रम का समाधान करनाः घरेलू बाल सहायिका का मामला अध्ययन – डॉ. हेलन आर. सेकर

जारी परियोजनाएं

1. बाल श्रम कानूनों में संशोधनों तथा अतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के अनुसमर्थन के आधार पर बाल श्रम की रोकथाम और पुनर्वास पर राज्य एवं जिला–स्तरीय बहु–हितधारकों की क्षमता का निर्माण (फेज–3)

इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक साझेदारों और हितधारकों को बाल श्रमिक संकेंद्रण वाले शहरों और जिलों में संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से विकसति मॉड्यूल और पुस्तिका का उपयोग करके बहु–हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है।

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

परियोजना को फरवरी 2020 में शुरु किया गया, एवं अगस्त 2020 तक पूरा किया जाना है।

(परियोजना निदेशकः डॉ. हेलन आर. सेकर, वरिष्ठ फेलो)

2. श्रम शोषण से बच्चों की सुरक्षाः तंत्र और संरचना को मजबूत करना – एनसीएलपी की कार्यनीतियों (2018–20) का मूल्यांकन

एनसीएलपी का यह मूल्यांकन अध्ययन श्रम मंत्रालय के आग्रह पर शुरु किया गया है। इस परियोजना के व्यापक उद्देश्य एनसीएलपी सोसायटी और एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केंद्रों की स्थिति और कामकाज का आकलन करना और एनसीएलपी के कार्यान्वयन में अंतरालों का समाधान करने के लिए सुझाव देना; एनसीएलपी के कार्यान्वयन और निगरानी में राज्य सरकारों/जिला प्रशासन और कार्यान्वयन एजेंसियों के पूरक प्रयासों की सीमा और पैटर्न की जांच करना; एनसीएलपी के नए दिशा–निर्देशों की शुरुआत के साथ अप्रैल 2016 से लागू किए गए घटकों के विशेष संदर्भ में परियोजना के विभिन्न घटकों की प्रभावशीलता का अध्ययन करना है।

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

परियोजना को फरवरी 2020 में शुरु किया गया, एवं सितंबर 2020 तक पूरा किया जाना है।

(परियोजना निदेशकः डॉ. हेलन आर. सेकर, वरिष्ठ फेलो; डॉ. अनूप सतपथी, फेलो; डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो; डॉ. मनोज जाटव, एसोसिएट फेलो)

कार्यशालाएं/सम्मेलन/तकनीकी परामर्श

- **विश्व बाल श्रम निषेध दिवस (डब्ल्युडीएसीएल), 2019 पर तकनीकी परामर्श**

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार तथा आईएलओ ने संयुक्त रूप से सतत विकास लक्ष्य, लक्ष्य 8.7 को प्राप्त करने और भारत में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए उभरती रणनीतियों पर एक तकनीकी परामर्श का आयोजन 12 जून 2019 को वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान परिसर में किया। इस तकनीकी परामर्श का आयोजन विश्व बाल श्रम निषेध दिवस (डब्ल्युडीएसीएल), 2019 मनाने के लिए किया गया तथा डब्ल्युडीएसीएल, 2019 का विषय थाः 'बच्चों को खेतों में नहीं, बल्कि सपनों पर काम करना चाहिए'। इसने बाल श्रम को समाप्त करने के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया और बहु–हितधारकों को शामिल करते हुए मूल कारणों को उखाड़ने की तत्परता के साथ बाल श्रम को समाप्त करने के लिए रणनीति विकसित करने का आह्वान किया। डब्ल्युडीएसीएल 2019 तकनीकी परामर्श ने आईएलओ कन्वेंशन 138 और 182 की बेहतर समझ की दिशा में योगदान दिया। भारत में बाल श्रम को दूर करने के लिए नीति और कार्रवाई को सुदृढ़ और सूचित करने वाली प्रमुख रणनीतियों पर चर्चा की गई। परामर्श के तकनीकी सत्र के दौरान श्री इंसाफ निजाम, विशेषज्ञ, मौलिक सिद्धांत और कार्य पर अधिकार, आईएलओ, नई दिल्ली ने 2019 के लिए डब्ल्युडीएसीएल के विषय पर एक प्रस्तुति दी और उन्होंने बाल श्रम समस्या के विभिन्न आयामों को भी साझा किया। डॉ. हेलन आर. सेकर, वरिष्ठ फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान तथा समन्वयक, राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने अपनी प्रस्तुति में उल्लेख किया कि सरकार नीतियों, कानूनों के सख्त प्रवर्तन के माध्यम से इस समस्या को दूर करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। बाल श्रम के शैक्षिक पुनर्वास और बाल श्रमिक परिवारों के वयस्क सदस्यों के आर्थिक पुनर्वास के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। तकनीकी सत्र के बाद 'बाल श्रम के उन्मूलन के लिए रणनीतियां विकसित करना' पर एक पैनल चर्चा हुई। पैनलिस्टों में सिविल सोसायटी संगठनों, कामगार संगठनों, शिक्षा और नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधित्व थे। इस तकनीकी परामर्श में केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों के विभागों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, राज्य सरकारों के विभागों के अधिकारियों; सिविल सोसायटी संगठनों, कामगार संगठनों, शिक्षाविदों तथा नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस तकनीकी परामर्श का समन्वय डॉ. हेलन आर. सेकर, वरिष्ठ फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

- **''महात्मा गाँधी और ग्रामीण औद्योगिकीकरण'' पर कार्यशाला**

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 02 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वें जयंती समारोह की गतिविधियों के एक भाग के रूप में 'महात्मा गांधी और ग्रामीण औद्योगिकीकरण' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें ग्रामीण औद्योगिकीकरण की क्षमता की रोजगार सृजन, ग्रामीण गरीबों की आय बढ़ाने के साथ ही बाल श्रम के समाधान के साथ संबद्धता पर चर्चा की गयी। गांधी के औद्योगिकीकरण के दृष्टिकोण, विशेष रूप से ग्राम स्वराज या ग्रामीण औद्योगीकरण, पर आधारित एक प्रस्तुति बनायी गयी थी जिसमें ग्रामीणों के शोषण के मुद्दे को उजागर किया गया था। प्रस्तुति में उजागर किए गए अन्य मुद्दों में खादी का महत्व और अहिंसा के दर्शन शामिल थे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार, जिसकी कल्पना गांधी जी ने की थी, के लिए पहले पाँच वर्षों में कृषि पर जोर दिया गया था। गांधी के 'शारीरिक श्रम' के विचार और शारीरिक श्रम के एक पहलू के रूप में स्वच्छता के मुद्दे पर चर्चा

डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई; श्री नरेंद्र कुमार मिश्रा, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, ईएसआईसी; एवं प्रो. अमिताभ कुंडू, भूतपूर्व संकाय, जेएनयू की उपस्थिति में प्रस्तुतीकरण देते हुए डॉ. रम्य रंजन पटेल, एसोसिएट फेलो

की गई। रोजगार के लिए शारीरिक श्रम की प्रासंगिकता पर भी शिक्षा के माध्यम से शारीरिक श्रम को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया गया था, जैसा कि गांधीवादी दर्शन में परिलक्षित किया गया था और स्कूल स्तर पर पाठ्यचर्या का हिस्सा बनने के लिए व्यावसायिक शिक्षा के महत्व पर भी विचार–विमर्श किया गया था। इस कार्यशाला में देश के विभिन्न भागों नामतः महाराष्ट्र के जलगांव, घाटकोपर, पुणे, बांद्रा एवं मुंबई जिलों; हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले; ओडिशा के राउरकेला, भुवनेश्वर, गंजम, अंगुल एवं कोरापुट जिलों; तमिलनाडु के तिरुवनमल्ली, कृष्णागिरि एवं तिरुचिरापल्ली जिलों, राजस्थान के झुनझुनु एवं उदयपुर जिलों; मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले; पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद एवं नादिया जिलों; छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले; उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर, साहिबाबाद एवं गाजियाबाद जिलों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सरकारी विभागों, सिविन सोसायटी संगठनों, ट्रेड यूनियनों, स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि सहित 80 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

रोजगार संबंध और विनियमन केंद्र

रोजगार संबंध, और इनके विनियमन का मुद्दा श्रम के क्षेत्र में हमेशा से एक प्रमुख वाद–विवाद करने योग्य एवं आकर्षक मुद्दा रहा है। रोजगार संबंधों में खासकर 1991 से तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं। तदनुसार, संस्थान ने इस मुद्दे को यथोचित प्राथमिकता देते हुए इन परिवर्तनों और अन्य संबद्ध मामलों का अध्ययन करने हेतु काफी पहले, वर्ष 2001 में एक विशिष्ट केंद्र, नामतः रोजगार संबंध एवं विनियमन केंद्र स्थापित किया। इस केंद्र का उद्देश्य बदलते रोजगार संबंधों का अवबोधन विकसित करना है ताकि उचित कानूनी विनियमन ढांचे का नियमन करने तथा उपयुक्त सामाजिक संरक्षण उपाय विकसित करने में मदद मिल सके। केंद्र की अनुसंधान गतिविधियों में मुख्यतः निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाता हैः ट्रेड यूनियनें तथा उभरते सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य में उनकी भूमिका; अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्र में उभरते रोजगार संबंध; अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्र में रोजगार संबंधों के विनियमन में मौजूदा कानूनी ढांचे की सीमा; न्यायिक प्रवृत्ति में परिवर्तन तथा न्यूनतम मजदूरी का विनियमन आदि। केंद्र के अनुसंधान सलाहकार समूह (आरएजी) में शिक्षाविद और ट्रेड यूनियनों के साथ–साथ नियोक्ता संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधि होते हैं।

पूरा किया गया मामला अध्ययन

- औद्योगिक विवादों के प्रभावी निराकरण में तथ्यों का उचित अभिमूल्यन और सुलह अधिकारी की साख की भूमिका – *डॉ. संजय उपाध्याय*

जारी परियोजना

1. औद्योगिक संबंधों पर चुनिंदा प्रथाओं का दस्तावेजीकरण

औद्योगिक संबंध, प्रबंधन और उद्योग से जुड़े श्रमिकों के बीच के संबंध हैं। इन दोनों पक्षों के हित समान होने के साथ–साथ परस्पर विरोधी भी होते हैं। स्वस्थ औद्योगिक संबंध न केवल इन दोनों पक्षों के हित में हैं बल्कि अर्थव्यवस्था, समाज और राष्ट्र के हित में भी हैं। इसलिए, स्वस्थ औद्योगिक संबंधों को सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए। औद्योगिक संबंधों के कुछ प्रमुख तत्वों में उद्योग और श्रमिकों से जुड़े विभिन्न पहलुओं से संबंधित परामर्श, सहयोग, प्रतिभागिता और साझेदारी शामिल हैं। न केवल सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र में, बल्कि निजी क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार के संगठन विभिन्न उपरोक्त पहलुओं यानी परामर्श, सहयोग, प्रतिभागिता और साझेदारी को लागू करने के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाते हैं। किसी भी संगठन में औद्योगिक संबंधों का समग्र स्वास्थ्य उस सीमा तक निर्भर करता है जिस सीमा तक संगठन इन उपायों को लागू करने में सफल होता है। इसी संदर्भ में यह वर्तमान अध्ययन शुरु किया गया है।

उद्देश्य

- सरकारी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में प्रचलित औद्योगिक संबंध प्रथाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना;
- स्वस्थ औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त विधिक और विधि इतर उपायों के लिए सिफारिशें करना।

कार्यप्रणालीः यह अध्ययन मुख्य रूप से द्वितीयक स्रोतों पर आधारित होगा। हालाँकि, जरूरत पड़ने पर यह जरूरत के अनुसार साक्षात्कार अनुसूची और समूह चर्चा का उपयोग भी कर सकता है।

वर्तमान स्थितिः यह अध्ययन साहित्य समीक्षा के चरण में है।

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को दिसंबर 2019 में शुरु किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. संजय उपाध्याय, वरिष्ठ फेलो)

प्रमुख कार्यशाला

- **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के सहयोग से 'सामाजिक संवाद' पर एक राष्ट्रीय त्रिपक्षीय कार्यशाला**

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के सहयोग से एलएनएमएस– महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान में 09 दिसंबर 2019 को *'सामाजिक संवाद'* पर एक राष्ट्रीय त्रिपक्षीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला के उद्देश्य इस प्रकार थेः (i) महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु के संबंध में प्रचलित सामाजिक संवाद प्रथाओं के क्षेत्र में आईएलओ द्वारा हाल ही में किए गए शोध के निष्कर्षों को साझा करना; (ii) सामाजिक संवाद को मजबूत करने के लिए अन्य राज्यों द्वारा आवश्यक तकनीकी सहायता की पहचान करना; (iii) राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक संवाद को मजबूत करने के लिए संभावित कार्रवाई की पहचान करना। इस कार्यशाला में आईएलओ, केंद्रीय ट्रेड यूनियन महासंघों, नियोक्ता संगठनों, राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों एवं छात्रों सहित कुल 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कार्यशाला की शुरुआत डॉ. संजय उपाध्याय, वरिष्ठ फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के स्वागत भाषण से हुई। आईएलओ कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया एंड डिसेंट वर्क टीम फॉर साउथ एशिया के उप निदेशक *श्री सतोशी सासाकी* ने उद्घाटन भाषण दिया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने सामाजिक संवाद संस्थानों के स्वस्थ पोषण में आईएलओ की गहरी प्रतिबद्धता और उनके प्रभावपूर्ण उपयोग में अटूट प्रतिबद्धता पर जोर दिया। *श्री महेंद्र नायडू*, दक्षिण एशिया के लिए सामाजिक संवाद और श्रम प्रशासन विशेषज्ञ, आईएलओ ने आधार व्याख्यान दिया। आईएलओ कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया से *सुश्री रानी सेल्वाकुमार* ने हाल ही में आईएलओ द्वारा संचालित 'महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल में राज्य स्तरीय सामाजिक संवाद संस्थानों को मजबूत बनाना' अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष प्रस्तुत किए।

जहां तक कार्यशाला के प्रमुख परिणामों और सिफारिशों का प्रश्न है, इस तथ्य के संबंध में सभी प्रतिनिधियों के बीच एकमत था कि त्रिपक्षीयवाद और सामाजिक संवाद निश्चित रूप से उद्योग को बढ़ावा देने के साथ–साथ श्रमिकों के हित की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह महसूस किया गया था कि इस उद्देश्य के लिए सामाजिक संवाद तंत्र जहां भी मौजूद हो, इसे और मजबूत करने की जरूरत है तथा राज्य–स्तरीय त्रिपक्षीय सामाजिक संवाद संस्थानों की प्रसिद्धि के पुनर्निर्माण में एक साझा रुचि थी। प्रतिनिधियों द्वारा आगे यह भी व्यक्त किया गया था कि त्रिपक्षीय साधन/तंत्र, चाहे वह वैधानिक हो या नीतिगत निर्देशों से उत्पन्न हो, को विषय में सिद्ध उत्कृष्टता और प्रतिबद्धता के व्यक्तियों के साथ उचित परिश्रम के साथ गठित किया जाना चाहिए।

प्रतिनिधियों का दृढ़ मत है कि त्रिपक्षीयवाद और सामाजिक संवाद लोकतंत्र के स्तंभ हैं और इसलिए इन तंत्रों को मजबूत करना होगा। त्रिपक्षीय घटकों वाले संचार के चैनल हमेशा खुले होने चाहिए और सभी सामाजिक साझेदारों को नए विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए ग्रहणशील होना चाहिए। कार्यशाला आईएलओ कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया से सुश्री रानी सेल्वाकुमार के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ संपन्न हुई।

एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम (आईएलएचआरपी)

एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रमः परिचय

- आईएलएचआरपी एक विशेष अनुसंधान कार्यक्रम है जिसे वीवीजीएनएलआई और एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियंस (एआईएलएच) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है।
- इस कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य भारत में श्रम के संबंध में ऐतिहासिक अनुसंधान प्रारंभ करना तथा संगठित एवं असंगठित, दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों से संबंधित रिकॉर्ड का परिरक्षण करना है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक अनुसंधान का समसामयिक नीति–निर्माण के साथ एकीकरण करना भी है।

कार्यक्रम की संरचना

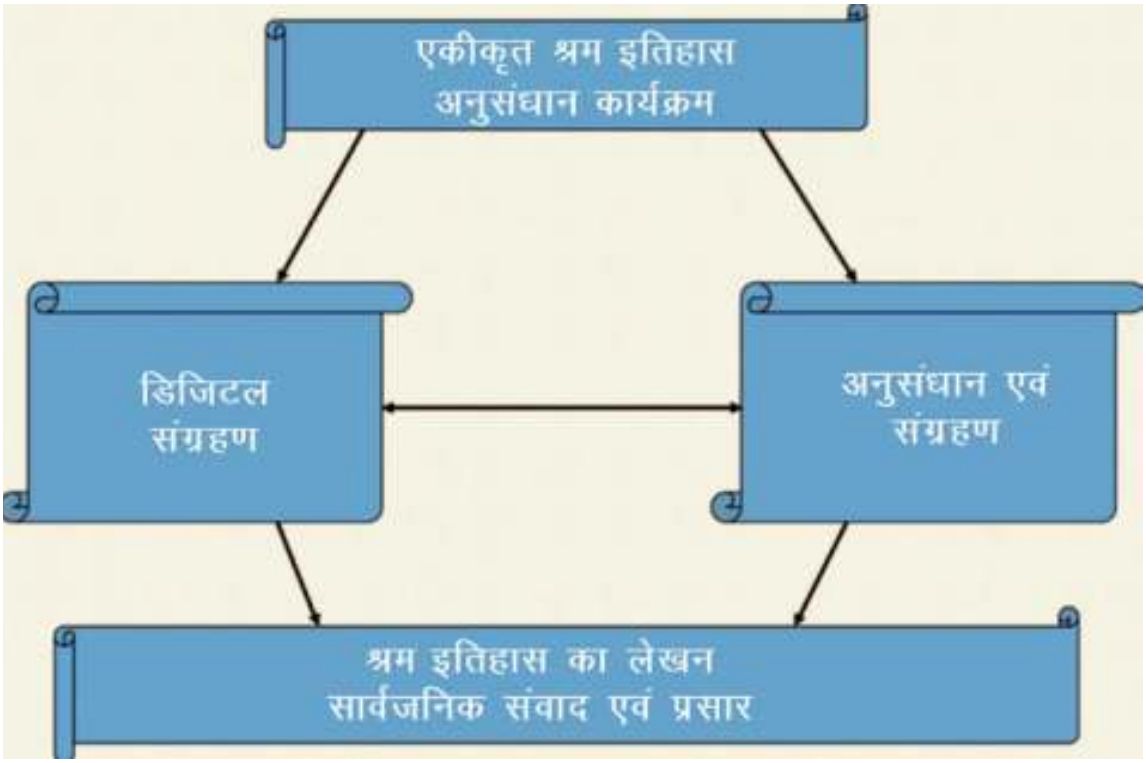

भारतीय श्रमिकों के डिजिटल अभिलेखागार की विशेषताएं

- पूर्णतया डिजिटल संरचना
- एकीकृत मल्टीमीडिया भंडारण एवं पुनःप्राप्ति प्रणाली
- सवंर्धित उपयोगकर्ता पहुंच
- ऐतिहासिक एवं समसामयिक रिकॉर्ड का एकीकरण
- असंगठित सैक्टर के श्रमिकों के रिकॉर्ड पर फोकस

पूरी की गई परियोजनाएं

1. भारत और आईएलओः 1919–2019

उद्देश्य

2019 आईएलओ की स्थापना का शताब्दी वर्ष है। यह भारत और आईएलओ के बीच घटनापूर्ण और उत्पादक सहयोग की एक सदी का भी प्रतीक है। परिवर्तन की कई चुनौतियों की अनुक्रिया में 'एक मानवीय और काम के अच्छे भविष्य' को बढ़ावा देने के आईएलओ के प्रयासों और 'सभी के लिए विकास' के लिए भारत की तलाश की संपूरकता इस अनूठी साझेदारी की ताकत को दोहराती है। आईएलओ के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में आईएलएचआरपी ने भारत और आईएलओः 1919–2019 पर एक प्रमुख संग्रहण–सह–लेखन परियोजना शुरु की।

परिणाम

इस परियोजना के एक हिस्से के तौर पर आईएलएचआरपी द्वारा निम्नलिखित पाँच शोध लेखों को अंतिम रूप दिया गया।

- आईएलओ और भारतः सामाजिक न्याय के लिए साझा खोज की एक सदी *–डॉ. एस. के. शशिकुमार*
- एक सपने के परिशीलन में एक सौ वर्ष *–डॉ. ए. वी. जोस*
- भारत, श्रम, संगठनः आईएलओ का इतिहास, 1919–1935
  –श्री जिब्रान एस. आनंद
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 100 वर्षः उपलब्धियां, मुद्दे एवं चुनौतियां
  –श्री विरजेश उपाध्याय
- आईएलओ तथा भारतीय नियोक्ता *– श्री माइकल डायस*

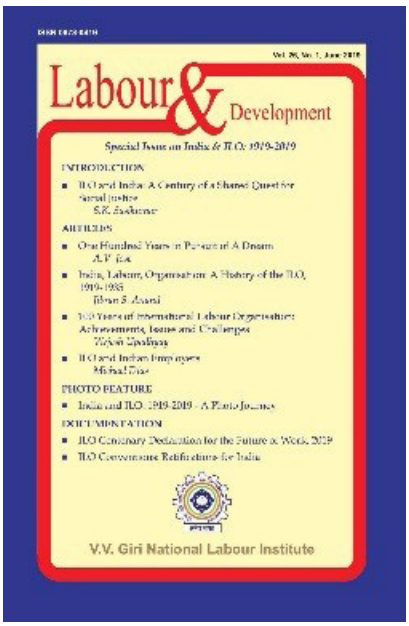

ये लेख **संस्थान की छमाही अकादमिक पत्रिका** *लेबर एंड डेवलपमेंट* **(जून 2019) के विशेष अंक** में प्रकाशित किए गए। इन लेखों के अतिरिक्त, विशेषांक में **1919–2019 के दौरान दुर्लभ और यादगार तस्वीरों के साथ भारत–आईएलओ साझेदारी के इतिहास को चित्रित करते हुए एक फोटो संग्रह** भी शामिल है।

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

परियोजना को अप्रैल 2019 में शुरु, एवं सितंबर 2019 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. एस. के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो)

2. गाँधी और श्रम

उद्देश्य

महात्मा गांधी की 150वें जयंती समारोह के अवसर पर भारतीय श्रम के अभिलेखागार ने गांधी और श्रम से संबंधित दस्तावेजों का एक संग्रह शुरू किया। यह संग्रह गांधी और अन्य व्यक्तियों द्वारा द्वारा उनके जीवन कार्य पर लिखे गए लेख, जो सार्वजनिक डोमेन में और कई स्थानों पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं, के कई स्रोतों (हमारे अपने संग्रह सहित) पर आधारित है।

परिणाम

यह संग्रह विषयगत रूप से गांधी और श्रम से संबंधित लेखों, पत्रों, भाषणों, दस्तावेजों, पुस्तकों और तस्वीरों को एकत्र करता है।

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

परियोजना को सितंबर 2019 में शुरु, एवं मार्च 2020 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. एस. के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो)

3. मौजूदा संग्रह का डिजिटलीकरण

उद्देश्य

भारतीय श्रम के डिजिटल अभिलेखागार के उन्नयन के एक भाग के रूप में आईएलएचआरपी ने डीस्पेस प्लेटफॉर्म के साथ संरेखित करने के लिए मौजूदा संग्रहों के डिजिटलीकरण को जारी रखा।

परिणाम

निम्नलिखित दस्तावेजों को डिजिटल किया गयाः

- अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कॉन्ग्रेस (एआईटीयूसी) संग्रह (170 फाईलें, 44000 पेज)
- श्रमिक आंदोलन का मौखिक इतिहासः 400 घंटे के ऑडियो टेप
- श्रमिक शिक्षा ट्रस्ट संग्रह (12000 पेज फेज II)
- अहमदाबाद में कपड़ा श्रमिक (1093 पेज)
- निर्माण श्रमिकों के विधान के लिए राष्ट्रीय अभियान (2763 पेज)
- मुंबई में कपड़ा श्रमिकों की हड़ताल 1982 (565+ ऑडियो साक्षात्कार)
- महाराष्ट्र वर्ग और जाति आंदोलन 1929–1945 (6000 पेज)

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

परियोजना को जुलाई 2019 में शुरु, एवं मार्च 2020 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. एस. के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो)

4. भारतीय श्रम के उन्नत और पुनर्निर्मित डिजिटल अभिलेखागार का प्रबंधन

उद्देश्य

भारतीय श्रम के उन्नत और पुनर्निर्मित डिजिटल अभिलेखागार का प्रबंधन करना।

परिणाम

भारतीय श्रम के अभिलेखागार को उन्नत एवं पुनर्निमित किया गया और 2018–2019 के दौरान इसका परिचालन डीस्पेस प्लेटफॉर्म पर किया गया। आईएलएचआरपी 2019–2020 के दौरान इस अभिलेखागार का प्रबंधन और उन्नयन जारी रखे हुए है। उन्नत अभिलेखागार में निम्नलिखत प्रमुख संग्रह हैंः

1. श्रम आयोग (1929–2002)
2. भारतीय मजूदर संघ
3. आईएलओ इंडिया मासिक रिपोर्ट (1929–1969)
4. आउटसोर्सिंग के प्रभाव पर विशेष जोर के साथ कोयला श्रमिकों के मौखिक इतिहास का संग्रह
5. बनारस के बुनकरों पर संग्रह
6. भारतीय कपड़ा और परिधान उद्योग में श्रम
7. सेवा – अहमदाबाद शहर के बीड़ी श्रमिक
8. इंदौर नगर का कपड़ा श्रमिक इतिहास
9. छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा पर संग्रह
10. अखिल भारतीय रेलकर्मी महासंघ
11. भारतीय खेत मजदूर यूनियन महासंघ – फेज I
12. भोजपुरी प्रवासी श्रमिकों की संस्कृति और भिखारी ठाकुर का साहित्य
13. गाँधी और श्रम

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

परियोजना को मई 2019 में शुरु, एवं मार्च 2020 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. एस. के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो)

लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र

लिंग और श्रम अध्ययन केंद्र की स्थापना का उद्देश्य कार्य की दुनिया में लैंगिक मुद्दों की समझ को सुदृढ़ बनाना और उसके समाधान के उपाय खोजना है। पूरे विश्व में अनेक देशों की विकासात्मक नीतियों के केंद्र में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण रहे हैं। भुखमरी एवं गरीबी के उन्मूलन में तथा वास्तव में सतत विकास को पाने में वर्ष 2015 के सतत विकास के लक्ष्यों में महिलाओं के सशक्तीकरण एवं लैंगिक समानता की केंद्रीयता को स्वीकार किया गया है। वैश्विक श्रम बाजारों में श्रम बल सहभागिता दरों एवं बेरोजगारी दरों में लैंगिक आधार पर अंतर लगातार बने हुए हैं। श्रम बाजार में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए इन मुद्दों का समाधान किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए शैक्षिक एवं नीतिगत, दोनों स्तरों पर ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

श्रम बाजार लैंगिक अंतराल विकासशील देशों में अधिक हैं, तथा व्यावसायिक पृथक्करण में लैंगिक पैटर्नों के द्वारा अक्सर ये और बढ़ जाते हैं क्योंकि महिलाओं के अधिकतर काम सैक्टरों के सीमित दायरे में केंद्रित होते हैं तथा ये कमजोर एवं असुरक्षित होते हैं। ये कामगार अधिकांशतः अनौपचारिक रोजगार यथा घरेलू कामगार, स्व–नियोजित, अनियत कामगार, उजरती दर कामगार, गृह–आधारित कामगार, तथा कम कौशल, कम आय एवं कम उत्पादकता वाले प्रवासी कामगार होते हैं। इसके अलावा, लैंगिक आधार पर वेतन एवं मजदूरी में अंतर एक गंभीर मुद्दा है जिसका समाधान किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को अभी भी पुरुषों के योगदान के मुकाबले कम करके आंका जाता है तथा तोड़–मरोड़ पेश किया जाता है। उपलब्ध आंकड़े पक्षपातपूर्ण हैं तथा ये देश की अर्थव्यवस्था एवं इसके मानव संसाधनों की प्रकृति की विकृत धारणा को बनाए रखने में योगदान करते हैं, तथा अनुचित विचारों, नीतियों एवं कार्यक्रमों की वजह से पुरुषों एवं महिलाओं के बीच असमानता के दुश्चक्र को स्थिरता प्रदान करते हैं। श्रम बाजार में महिलाओं द्वारा सामना की जा रही बाधाओं को देखते हुए सतत विकास के वैश्विक लक्ष्यों को चिह्नित करने के लिए पूर्ण उत्पादक रोजगार और सामाजिक समावेश के नये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देना एवं महिलाओं को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है।

समावेशी विकास एवं पर्याप्त समानता प्राप्त करने के लिए नीतियों के बारे में जागरूकता, कौशल विकास, क्षमता निर्माण, सामाजिक संवाद तथा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के माध्यम से सशक्तीकरण लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र के कुछ मुख्य कार्यकलाप होंगे। इस रूपरेखा के तहत केंद्र की गतिविधियों में संस्थान की स्थिति को कार्य की दुनिया में लिंग के विभिन्न आयामों पर अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं पक्षसमर्थन के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान बनाने की संकल्पना की गयी है।

पूरी की गई परियोजनाएं

1. दक्षिण एशिया में महिला श्रमिकों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और हिंसा पर कानूनों, नीतियों और प्रथाओं के अवलोकन पर आईएलओ अध्ययन – आईएलओ, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित (अनुसंधान पेपर के तौर पर प्रस्तुत)

उद्देश्य

- अफगानिस्तान, भारत और श्रीलंका में यौन उत्पीड़न का समाधान करने के लिए कानूनों, नीतियों और प्रथाओं पर ज्ञान का एक निकाय बनाना।
- अफगानिस्तान, भारत और श्रीलंका में यौन उत्पीड़न का बेहतर समाधान करने के लिए उन अच्छी प्रथाओं, सबकों तथा क्षेत्रों, जहां और कार्रवाई की आवश्यकता है, की पहचान करना।

- उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां आईएलओ, श्रम मंत्रालय, कामगार और रोजगार संगठन व्यवस्थित परिवर्तन में योगदान कर सकते हैं।

प्रमुख परिणाम

यह अध्ययन एशिया और प्रशांत क्षेत्र में यौन उत्पीड़न को रोकने और उसका समाधान करने की वर्तमान स्थिति, कमियों और अच्छी प्रथाओं का विश्लेषण सहित काम की दुनिया में यौन उत्पीड़न की समस्या को समझने में महत्वपूर्ण योगदान होगा। यह दक्षिण एशिया में यौन उत्पीड़न का बेहतर ढंग से समाधान करने में भविष्य की कार्रवाइयों के बारे में दक्षिण एशिया में चर्चा और नीति संवाद तैयार करने में भी सक्षम होगा। यह अध्ययन दक्षिण एशिया में यौन उत्पीड़न का समाधान करने के लिए त्रिपक्षीय घटकों और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण में भी योगदान देगा।

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को जून 2019 में शुरु, एवं नवंबर 2019 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो)

मामला अध्ययन

- मातृत्व सुरक्षाः एक मामला अध्ययन – *डॉ. शशि बाला, फेलो*
- एक्सपोजर संवाद कार्यक्रम (ईडीपी) – *डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो*

जारी परियोजनाएं

1. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 का कार्यान्वयन

उद्देश्य

- समान वेतन को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय पहलों की समीक्षा करना।
- लैंगिक आधार पर वेतन अंतराल का पता लगाने के लिए विभिन्न सैक्टरों में समान पारिश्रमिक अधिनियम के कार्यान्वयन को मापना।
- सांस्कृतिक मानदंडों, सामान्य, तकनीकी शिक्षा के संबंध में कर्मचारियों/कामगारों की पदोन्नति/करियर प्रगति अवसरों को सह–संबद्ध करना।
- व्यक्तिगत एवं सामूहिक सौदेबाजी तथा मजूदरी अंतर के बीच संबंधों का पता लगाना।
- सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 5 के अनुसार लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम अभिसमय 100 के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों की पहचान करना।
- लैंगिक आधार पर वेतन अंतराल को कम करने के लिए मॉडल विकसित करना।

प्रमुख परिणाम

- सौंदर्य, कृषि, निर्माण और परिवहन उद्योग में सभी स्तरों पर उत्तरदाताओं का अधिकतम हिस्सा असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा था, जबकि होटल, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, शिक्षा और खुदरा उद्योग में उत्तरदाताओं

का अधिकतम हिस्सा संगठित क्षेत्र में काम कर रहा था। शिक्षा उद्योग में यह पाया गया कि संगठित क्षेत्र में महिलाओं की तुलना में अधिक पुरुष काम कर रहे थे।

- शिक्षा के अलावा सभी उद्योगों में अधिकांश उत्तरदाताओं को समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के बारे में जानकारी नहीं थी।
- सभी स्तरों पर अधिकांश उत्तरदाताओं का कहना था कि उन्हें उनके समकक्षों के समान मजूदरी मिल रही है। निर्माण और परिवहन उद्योग में कुछ महिलाकर्मियों ने बताया कि उन्हें समान प्रकृति के कार्य के लिए उनके पुरुष समकक्षों के समान मजूदरी नहीं मिल रही है।
- सभी उद्योगों में से निर्माण और परिवहन उद्योग में महिला उत्तरदाताओं के साथ मजदूरी के संबंध में भेदभाव हो रहा था, लेकिन उन्होंने नौकरी छूटने के डर से अपने नियोक्ता के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की है।
- सभी उद्योगों में प्रवेश स्तर पर अधिकांश उत्तरदाताओं को पदोन्नति के अवसर नहीं मिल रहे थे। सभी उद्योगों में केवल मीडिया ही एकमात्र उद्योग है जिसमें 30 प्रतिशत महिलाओं और 30 प्रतिशत पुरुषों को अपने संगठन में पदोन्नति मिल रही थी। इसमें यह भी पता चला कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों को पदोन्नति के अधिक अवसर प्राप्त हो रहे थे। खुदरा उद्योग में मध्यम स्तर पर अधिकांश उत्तरदाताओं को पदोन्नति के अवसर प्राप्त हो रहे थे। खुदरा उद्योग में उच्च स्तर पर अधिकांश उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें पदोन्नति के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।
- मीडिया और शिक्षा उद्योग में प्रवेश स्तर पर अधिकांश कुशल कामगारों को रु. 20,000–30,000 की मजदूरी मिल रही थी। उन्हें सभी उद्योगों में सबसे अधिक मजूदरी मिल रही थी। शिक्षा और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण उद्योग में मध्यम स्तर पर अधिकांश पुरुष उत्तरदाताओं (कुशल कामगार) को रु. 20,000–30,000 की मजदूरी मिल रही थी जबकि कुशल होने के बावजूद महिला कामगारों को रु. 10,000–20,000 की मजदूरी मिल रही थी।
- अधिकांश उद्योगों में प्रवेश स्तर पर अधिकतम महिला एवं पुरुष कामगारों को रु. 10,000 से कम मजदूरी मिल रही थी, बहुत कम उत्तरदाताओं को रु. 30,000 से ज्यादा मजदूरी मिल रही थी।
- सभी स्तरों पर केवल सौंदर्य एवं खुदरा उद्योग में अधिकतम उत्तरदाताओं का प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त हो रहे थे।
- सभी स्तरों पर और सभी उद्योगों में यह पाया गया कि अधिकतम संगठनों में ट्रेड यूनियन नहीं थी।
- हालांकि अधिकतम नियोक्ताओं ने कहा कि वे समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 लागू कर रहे हैं किंतु अनेक महिला उत्तरदाताओं ने सूचित किया कि उन्हें समान अवसर नहीं दिए जाते।
- अधिकतम उत्तरदाता समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार रजिस्टर बनाए हुए थे। लेकिन इससे प्रशिक्षण, पदोन्नति और स्थानांतरण अवसर से संबंधित सीमित सूचना ही प्राप्त होती है।
- अधिकांश श्रम प्रशासकों ने पिछले पांच वर्षों में अभियोजन के लिए कोई आदेश नहीं दिया है। इस अवधि के दौरान केवल 5.6 प्रतिशत मामलों में ही अभियोजन के मामलों में सजा मिली।

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को जनवरी 2019 में शुरु, एवं 17 अक्टूबर 2019 को प्रस्तुत किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. शशि बाला, फेलो)

2. प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन), अधिनियम, 2017 का रोजगार पर प्रभावः अधिनियम के कार्यान्वयन में सकारात्मक पहलों एवं चुनौतियों की पहचान करना

उद्देश्य

प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन), अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों, बाधाओं तथा महिलाओं के रोजगार पर इसके प्रभाव की पहचान करना।

प्रमुख परिणाम

- कुल मिलाकर, प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 का स्वीकृति नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के लिए सकारात्मक रही है।
- 83.33 प्रतिशत नियोक्ताओं ने मातृत्व अवकाश के प्रति अपने रवैये को सहायक बताया। उनमें से किसी ने भी नहीं कहा कि उन्होंने गर्भावस्था के कारण महिलाओं के रोजगार को समाप्त करने की कोई घटना देखी है।
- 50 प्रतिशत से अधिक नियोक्ताओं ने कहा कि मातृत्व अवकाश में वृद्धि, 12 से 26 सप्ताह करने से नियोक्ता की वित्तीय देयता बढ़ गई है।
- इस अध्ययन के दौरान जांच किए गए क्षेत्रों में, जिसे 2017 अधिनियम के सबसे महत्वपूर्ण संशोधन के रूप में क्या माना जा सकता है – 12 से 26 सप्ताह तक सवेतन मातृत्व अवकाश की बढ़ी हुई अवधि – को लागू किया गया है तथा अनेक नियोक्ताओं द्वारा इसे जहां संभव है 'वर्क फ्रॉम होम' के विकल्प के साथ लागू किया गया है।
- प्रसूता के काम को टीम के बाकी सदस्यों के बीच बांट दिया गया है। अधिकांश नियोक्ताओं ने बताया कि वे अपने कर्मचारियों, जो इन लाभों का लाभ उठाते हैं, के लिए एक सहायक कार्यस्थल प्रदान करने का प्रयास करते हैं।
- ऐसा लगता है कि पितृत्व अवकाश की अवधारणा को प्रोत्साहन नहीं मिला है क्योंकि पिता को केवल 7–10 दिनों का पितृत्व अवकाश प्रदान किया जा रहा है। इस तरह के पितृत्व अवकाश के लिए समर्थन के अभाव के केंद्र में प्राथमिक घरेलू देखभालकर्ता के रूप में महिलाओं की भूमिकाओं पर विचार करने वाली सामान्य धारणाएं और सामाजिक दृष्टिकोण हो सकते हैं; हालांकि दुनिया भर में साझा चाइल्डकेयर की अवधारणा और इसलिए माता–पिता दोनों के लिए अवकाश को महत्व दिया जा रहा है।
- नियोक्ता सहमत थे कि सरकार को इस तरह की लागतों के संबंध में वित्तीय जिम्मेदारी उनके साथ साझा करनी चाहिए।
- अध्ययन की एक बहुत ही सकारात्मक खोज यह थी कि अधिकांश कर्मचारी ऐसे अन्य कानूनी रूप से अनिवार्य कल्याण प्रावधानों जैसे कि यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण), 'वर्क फ्रॉम होम' के विकल्पों, परिवहन का प्रावधान, आदि के बारे में जानते थे क्योंकि उनके संगठन कार्यस्थल पर इन सुधारात्मक नियमों को लागू कर रहे थे।
- 25 प्रतिशत नियोक्ता नियुक्ति पत्र में ही इस तरह की जानकारी सहित संशोधित अधिनियम के तहत अनिवार्य आवश्यकता से अनजान थे।
- करियर विकास के लिए एक ही कार्य (असाइनमेंट) पर लौटना आवश्यक है लेकिन 18.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे पूरी तरह से अलग कार्य में स्थानांतरित हो गए हैं जो भविष्य में संगठन में उनकी वृद्धि में बाधा डालता है।
- हालांकि, महिला और पुरुष दोनों कर्मचारी मातृत्व अवकाश की अवधि में वृद्धि को छोड़कर नए अधिनियम की विशिष्ट विशेषताओं/संशोधनों के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते थे।
- उत्तरदाता बच्चों वाले अधिकांश महिला और पुरुष कर्मचारियों ने कहा कि उन्होंने अपने करियर के दौरान मातृत्व अवकाश का लाभ उठाया था और अपने पूर्व के वेतन ग्रेड, अर्थात संगठन में उनकी भूमिकाओं पर

स्पष्ट/नकारात्मक प्रभाव के बिना, पर काम करने के लिए वापस आ गए थे लेकिन उनके काम की प्रकृति और कुल वेतन अलग था।

- लगभग 75 प्रतिशत नियोक्ता प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम (मूल) 1961 के बारे में जानते हैं, लेकिन केवल 58 प्रतिशत नियोक्ता इसके संशोधन के बारे में जानते हैं।
- हालाँकि, अधिनियम के लाभों की व्यापक जानकारी का अभाव है। ऐसा लगता है कि गोद लेने वाली और सरोगेट माताओं के लिए अवकाश सहित कानून के सकारात्मक नए तथ्यों की जागरूकता का शिकायतों के निवारण के सभी तरीकों के बीच प्रसार नहीं किया गया है। प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 के सभी पहलुओं पर नियोक्ताओं को शिक्षित करने की आवश्यकता है ताकि वे इन लाभों को लागू कर सकें।
- कर्मचारियों को कानून के तहत उनके लिए उपलब्ध निवारण तंत्र के बारे में भी जानकारी नहीं थी, और यह चिंताजनक है।
- कुल मिलाकर, इस अध्ययन से पता चला है कि गर्भावस्था और प्रसूति उपरांत छह महीने तक महिला और पुरुष कर्मचारियों के सकारात्मक उपयोग और प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप कम प्रतिकूल प्रभाव रहा और उनके काम पर लौटने पर कर्मचारियों का ध्यान केंद्रित योगदान रहा।
- यह पूछने पर कि संसाधन के अभाव में काम कैसे प्रबंधित किया जाता है, 75 प्रतिशत नियोक्ताओं ने कहा कि व्यक्ति का काम मौजूदा टीम के सदस्यों के बीच वितरित किया जाता है।
- हालांकि, यह चिंताजनक था कि ऐसे संगठन, जो क्रेच की सुविधा प्रदान करता था और एक प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में नर्सिंग ब्रेक प्रदान कर सकता था, में केवल कुछ प्रतिशत कर्मचारी काम कर रहे हैं या पहले काम किया था। कानून के अनुप्रयोग में इस कमी को दूर किए जाने की आवश्यकता है।

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

परियोजना को 18 अक्टूबर 2019 को शुरु, एवं 22 जनवरी 2020 को प्रस्तुत किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. शशि बाला, फेलो)

प्रमुख कार्यशालाएं/सेमिनार

- **प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन), अधिनियम, 2017 का रोजगार पर प्रभावः अधिनियम के कार्यान्वयन में सकारात्मक पहलों एवं चुनौतियों की पहचान करना**

  वीवीजीएनएलआई ने 22 नवंबर 2019 को 'प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन), अधिनियम, 2017 का रोजगार पर प्रभावः अधिनियम के कार्यान्वयन में सकारात्मक पहलों एवं चुनौतियों की पहचान करना' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस अवसर पर संस्थान के महानिदेशक डॉ. एच. श्रीनिवास ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। श्री राजन वर्मा, मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यशाला में उद्घाटन व्याख्यान दिया। श्री सुरेंद्र नाथ, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) ने कार्यशाला एवं विचार–विमर्श की अध्यक्षता की। सरकार, उद्योग जगत, शिक्षाविदों, ट्रेड यूनियनों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 33 प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला की निदेशक डॉ. शशि बाला, फेलो, वीवीजीएनएलआई थीं।

कार्यशाला के प्रमुख परिणाम

- नियोक्ताओं, मानव संसाधन कार्मिकों, श्रम तंत्र के अधिकारियों के लिए मॉड्यूलों एवं प्रशिक्षण कार्यशालाओं का विकास तथा एनजीओ/ट्रेड यूनियनों/वकीलों के लिए अधिक प्रशिक्षण।
- प्रसूति पर संशोधित कानून की प्रमुख विशेषताओं के बारे में रेडियो विज्ञापनों और टीवी विज्ञापनों के विकास की आवश्यकता।

- संगत मंत्रालयों के साथ चर्चा करना कि जो नियोक्ता लचीली कार्य व्यवस्था में लौटने वाली माताओं को नियुक्त कर रहे हैं और जिन नियोक्ताओं के पास 35 प्रतिशत से अधिक महिला कर्मचारी हैं और कानून का अनुपालन कर रहे हैं, क्या उनके लिए कर रियायत या प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जा सकता है।
- मातृत्व अवकाश पर महिलाओं को 14 सप्ताह के वेतन का 50 प्रतिशत भुगतान करने के सरकार के निर्णय की अधिसूचना और योजना की फास्ट ट्रैकिंग।
- शिशु–गृह (क्रेच) के लिए निकटता, सुविधाओं और समय संबंधी नियमों और सूचनाओं की तत्काल आवश्यकता।
- मंत्रालय द्वारा नीतिगत स्तर पर कम से कम 4 सप्ताह के पितृत्व अवकाश के प्रावधान पर विचार करना।
- नियोक्ताओं के लिए अपनी वेबसाइट पर और कंपनी की रिपोर्ट में वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने और अपने कर्मचारियों को प्रदत्त मातृत्व लाभ से संबंधित विवरण (अनाम सूचना और नंबर) प्रदर्शित करने के लिए अधिसूचना।
- श्रम अधिकारियों की शक्तियों, जिनका प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम (एमबीए) के अनुपालन को सुनिश्चित करने और कानून के हिस्से के रूप में श्रम अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले संगठनों के लिए निरीक्षण और यात्राओं की संख्या निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, का कानूनी अध्ययन।
- महिला कर्मचारियों की शिकायत से निपटने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम (एमबीए) के कार्यान्वयन पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की 'शी बॉक्स' पहल की तरह ऑनलाइन पोर्टल बनाना चाहिए।
- उपायों को हितधारकों तक पहुंचाने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ अभिसरण प्रयास।
- संशोधित कानून और इसके कार्यान्वयन पर एक अधिक विस्तृत क्षेत्रवार शोध अध्ययन।
- महिला कर्मचारियों, चाहे वे किसी भी तरह की स्थापना में लगी हों या उनकी नियुक्ति की प्रकृति कैसी भी हो, के लिए सार्वभौमिक अनुप्रयोग हाने के लिए कानून को संशोधित करना।

श्री राजन वर्मा, मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई; श्री सुरेंद्र नाथ, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) और डॉ. शशि बाला, फेलो, वीवीजीएनएलआई की उपस्थिति में उद्घाटन व्याख्यान देते हुए

- **भारत में महिला श्रम बल भागीदारी पर क्षेत्रीय परामर्श; गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गाँधीनगर, गुजरात**

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यु) ने वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के सहयोग से भारत में महिला श्रम बल भागीदारी पर गाँधीनगर, बेंगलुरु, गुवाहाटी, कटक और चंडीगढ़ में पाँच क्षेत्रीय परामर्शों का आयोजन किया। पहला क्षेत्रीय परामर्श गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (जीएनएलयू) के सहयोग से 04 जनवरी 2020 को जीएनएलयू परिसर, गाँधीनगर में आयोजित किया गया। इस परामर्श का उद्घाटन डॉ. राजुलबेन एल. देसाई, सदस्य, एनसीडब्ल्यु, दिल्ली ने किया। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता डॉ. एस. शांताकुमार, निदेशक, जीएनएलयू ने की तथा इस अवसर पर विशेष अतिथि श्रीमती लीलाबेन अंकोलिया, अध्यक्ष, गुजरात राज्य महिला आयोग थीं। इस परामर्श में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया: (i) भारत में महिला श्रम बल भागीदारी से संबंधित प्रमुख चिंताएं; (ii) मौजूदा विधानों का महिला कामगारों पर प्रभाव; और (iii) बाल संरक्षण नीतियों का एफएलएफपी पर प्रभाव और एफएलएफपी में गिरावट का समाधान करने के लिए नीतिगत परिप्रेक्ष्य। इस कार्यक्रम में एनसीडब्ल्यु, वीवीजीएनएलआई, यूनिसेफ के अधिकारियों; विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों के अध्येताओं; विधि विशेषज्ञों, राज्य महिला आयोग के प्रतिनिधियों, जीएनएलयू के संकाय सदस्यों एवं छात्रों तथा सिविल सोसायटी संगठनों के सदस्यों सहित 21 प्रतिभागियों ने भाग लिया। डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई इस परामर्श में एक पैनलिस्ट थीं और उन्होंने एनसीडब्ल्यु के साथ इस कार्यक्रम का समन्वय किया।

- **'महिला भागीदारी' पर राष्ट्रीय कार्यशाला, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़**

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यु) ने वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के साथ मिलकर पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के सहयोग से पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में एनसीडब्ल्यु और वीवीजीएनएलआई के बीच सहयोगात्मक गतिविधियों के एक भाग के रूप में 06 जनवरी 2020 को एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग; श्री राज कुमार, कुलपति, पंजाब विश्वविद्यालय; सुश्री मीनाक्षी गुप्ता, उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत सरकार तथा डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए, विशेष रूप से महिलाओं को समावेश की सीमा में लाने के लिए अर्थोपाय पर चर्चा करना था।

- **भारत में महिला श्रम बल भागीदारी पर क्षेत्रीय परामर्श; नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु**

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यु) और वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने सेंटर फॉर वीमेन एंड लॉ, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के सहयोग से दूसरे क्षेत्रीय परामर्श का आयोजन 18 जनवरी 2020 को एनएलएसआईयू परिसर, बेंगलुरु में किया। इस परामर्श का उद्घाटन सुश्री रेखा शर्मा, अध्यक्ष, एनसीडब्ल्यु ने किया। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता प्रो. (डॉ.) सरासु इस्थर थॉमस, रजिस्ट्रार, एनएलएसआईयू ने की तथा इस अवसर पर विशेष अतिथि सुश्री श्यामला एस. कुंडर, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग थीं। इस परामर्श में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया: (i) भारत में महिला श्रम बल भागीदारी से संबंधित प्रमुख चिंताएं; (ii) मौजूदा विधानों का महिला कामगारों पर प्रभाव; और (iii) बाल संरक्षण नीतियों का एफएलएफपी पर प्रभाव और एफएलएफपी में गिरावट का समाधान करने के लिए नीतिगत परिप्रेक्ष्य। इस परामर्श में निम्नलिखित पैनलिस्ट थे: सुश्री शुभलक्ष्मी नंदी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वीमेन, प्रो. सरस्वती राजू, भूतपूर्व प्रोफसर, सीएसआरडी, जेएनयू, नई दिल्ली, डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजएनएलआई, डॉ. मंजूनाथ, अपर श्रम आयुक्त, सुश्री आया मतसुरा, जेंडर स्पेशलिस्ट, आईएलओ,

डॉ. कन्नेगी पकियानाथन (आईएएस), अध्यक्ष, तमिलनाडु राज्य महिला आयोग, प्रो. बाबू मैथ्यू, एनएलएसआईयू, बेंगलुरु, डॉ. रंजीत प्रकाश, आईएलओ, नई दिल्ली तथा श्री सोनी कुट्टी जॉर्ज, यूनिसेफ, कर्नाटक, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के लिए बाल संरक्षण विशेषज्ञ। इस कार्यक्रम में एनसीडब्ल्यु, वीवीजीएनएलआई, यूनिसेफ के अधिकारियों; विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों के अध्येताओं; विधि विशेषज्ञों, राज्य महिला आयोग के प्रतिनिधियों, एनएलएसआईयू के संकाय सदस्यों एवं छात्रों तथा सिविल सोसायटी संगठनों के सदस्यों सहित 38 प्रतिभागियों ने भाग लिया। डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई ने एनसीडब्ल्यु, नई दिल्ली के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का समन्वय किया।

- **भारत में महिला श्रम बल भागीदारी पर क्षेत्रीय परामर्श; नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड जुडीशियल एकेडमी, गुवाहाटी**

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यु) और वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड जुडीशियल एकेडमी, गुवाहाटी, असम के सहयोग से तीसरे क्षेत्रीय परामर्श का आयोजन 06 फरवरी 2020 को गुवाहाटी, असम में किया। इस परामर्श का उद्घाटन डॉ. जे. एस. पाटिल, कुलपति, एनएलयू एंड जेए, असम ने किया। इस परामर्श में सुश्री सोसोशाइजा, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने विशेष व्याख्यान दिया। इस परामर्श में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गयाः (i) भारत में महिला श्रम बल भागीदारी से संबंधित प्रमुख चिंताएं; (ii) मौजूदा विधानों का महिला कामगारों पर प्रभाव; और (iii) बाल संरक्षण नीतियों का एफएलएफपी पर प्रभाव और एफएलएफपी में गिरावट का समाधान करने के लिए नीतिगत परिप्रेक्ष्य। इस कार्यक्रम में एनसीडब्ल्यु, वीवीजीएनएलआई, राज्य महिला आयोग के अधिकारियों; केंद्र सरकार के स्थायी वकील; यूनिसेफ, यूएनडीपी के प्रतिनिधियों; विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों के अध्येताओं; विधि विशेषज्ञों तथा एनएलयू एंड जेए के संकाय सदस्यों एवं छात्रों सहित 47 प्रतिभागियों ने भाग लिया। डॉ.. धन्या एम. बी. ने एक पैनलिस्ट के तौर पर वीवीजीएनएलआई का प्रतिनिधित्व किया। डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई ने एनसीडब्ल्यु, नई दिल्ली के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का समन्वय किया।

- **भारत में महिला श्रम बल भागीदारी पर क्षेत्रीय परामर्श; नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, कटक**

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यु) और वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कटक, के सहयोग से चौथे क्षेत्रीय परामर्श का आयोजन 06 मार्च 2020 को कटक, ओडिशा में किया। इस परामर्श में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गयाः (i) भारत में महिला श्रम बल भागीदारी से संबंधित प्रमुख चिंताएं; (ii) मौजूदा विधानों का महिला कामगारों पर प्रभाव; और (iii) बाल संरक्षण नीतियों का एफएलएफपी पर प्रभाव और एफएलएफपी में गिरावट का समाधान करने के लिए नीतिगत परिप्रेक्ष्य। डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई ने एनसीडब्ल्यु, नई दिल्ली के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का समन्वय किया।

- **अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महात्मा गाँधी के 150वें जयंती समारोह के अवसर पर गाँधी और महिला सशक्तीकरण पर कार्यशाला का आयोजन**

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महात्मा गाँधी के 150वें जयंती समारोह के अवसर पर गाँधी और महिला सशक्तिकरण पर कार्यशाला का आयोजन संस्थान परिसर में 13 मार्च 2020 को किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण पर गांधीवादी परिप्रेक्ष्य पर विचार–विमर्श करना था। इस कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने किया। इस कार्यशला में निम्नलिखित संसाधन व्यक्तियों ने अपने विचार रखेः डॉ. सुमन जैन, प्रोफेसर, हिंदी विभाग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय; डॉ. सतीश कालेश्वरी, भूतपूर्व उप महाप्रबंधक, आईएफसीआई लिमिटेड; श्रीमती सुषमा जुगरान

ध्यानी, वरिष्ठ पत्रकार, नई दिल्ली; तथा डॉ. शिव पाठक, एसोसिएट प्रोफेसर, आर्यभट्ट कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय। इस कार्यशाला में संस्थान के सभी संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का समन्वय डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई तथा श्री बीरेंद्र सिंह रावत, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, वीवीजीएनएलआई ने किया।

पूर्वोत्तर भारत केंद्र

उत्तर–पूर्व क्षेत्र (एनईआर) का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.9 प्रतिशत है और यहां की आबादी देश की कुल आबादी का 3.8 प्रतिशत है (जनगणना, 2011)। यह क्षेत्र पूर्वी भाग में हिमालय की तलहटी में फैला हुआ है और बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल एवं म्यांमार से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में 08 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा हैं। ऐतिहासिक और भौगोलिक–राजनैतिक कारणों की वजह से एनईआर देश के सबसे अविकसित क्षेत्रों में से एक है। कम उत्पादकता एवं बाजार तक कम पहुंच के साथ यहां पर अवसंरचना एवं शासन भी ठीक नहीं हैं।

एनईआर में कार्यबल भारत के कुल कार्यबल का 3.6 प्रतिशत है (2011–12)। एनईआर में श्रम परिदृश्य कई कारणों (भौगोलिक, सामाजिक–आर्थिक एवं राजनैतिक) की वजह से देश के अन्य भागों की तुलना में अलग है। इस क्षेत्र में औद्योगिकीकरण की दर कम है एवं आधुनिक सेवा क्षेत्र का यहां सीमित विस्तार हुआ है। यहां पर कृषि कार्य (झूमिंग जैसी विचित्र प्रणालियों की उपस्थिति के कारण) भी भिन्न हैं। श्रम बाजार प्रतिभागिता में सांस्कृतिक लोकाचार भी अलग है, जो अन्य बातों के साथ लिंग एवं सामाजिक श्रेणियों में श्रम बल की विशिष्ट बनावट को दर्शाते हैं। फिर भी प्रवास एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जो आबादी के आंतरिक प्रवास (क्षेत्र के अंदर एवं बाहर) के मामले के साथ–साथ श्रमिकों का राष्ट्र के अन्य भागों से अंतःप्रवेश के मामले में, विभिन्न सामाजिक–राजनैतिक विचारों के कारण और पेचीदा हो गया है।

इसी संदर्भ में संस्थान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में नीति–उन्मुखी अनुसंधान करने, कार्यशालायें/सेमिनार आयोजित करने तथा श्रम, रोजगार एवं सामाजिक संरक्षण के मुद्दों पर प्रशिक्षण देने के लिए 2009 में एक नये केंद्र, पूर्वोत्तर भारत केंद्र (सीएनई) की स्थापना की।

केंद्र के प्रमुख अनुसंधान विषयः

- रोजगार एवं बेरोजगारी प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां
- लिंग एवं रोजगार
- प्रवास एवं विकास
- सामाजिक सुरक्षा
- स्वास्थ्य एवं श्रम
- आजीविका नीतियां
- क्षेत्रक विश्लेषण
- कौशल–अंतर अध्ययन
- औद्योगिक संबंध एवं विनियमन
- श्रमिकों एवं कामगारों के आंदोलन का समाजशास्त्र

केंद्र के प्रमुख प्रशिक्षण विषय

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्षित समूहों में श्रम अधिकारी, केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के महिला कामगार एवं प्रति. निधि, एनजीओ/सिविल सोसायटी, विश्वविद्यालय के छात्र एवं अनुसंधानकर्ता हैं। केंद्र के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कुछ प्रमुख विषय निम्न प्रकार हैं:

- कौशल विकास एवं रोजगार सृजन
- श्रम कानूनों की मौलिकता
- महिला कामगारों से संबंधित श्रम मुद्दों एवं कानूनों पर जागरूकता सुदृढ़ीकरण
- ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम
- सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा
- असंगठित क्षेत्र में श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन
- श्रम अध्ययन में अनुसंधान विधियां
- श्रम और वैश्वीकरण का समाजशास्त्र

मामला अध्ययन

- असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशनः प्रधानमंत्री श्रम योगी मान–धन (पीएम–एसवाईएम) का मामला अध्ययन – *डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम*

जारी परियोजनाएं

1. दिल्ली में उत्तर पूर्व के प्रवासीः एक सामाजिक–आर्थिक अध्ययन

उद्देश्य

- सामान्य रूप से दूसरे राज्यों में और विशेष रूप से दिल्ली में उत्तर पूर्व के लोगों के प्रवास की प्रवृत्तियों और प्रकृति की जांच करना
- दिल्ली में उत्तर पूर्व के प्रवासियों के व्यावसायिक प्रोफाइल और कामकाजी परिस्थितियों का अध्ययन करना
- दिल्ली में उत्तर पूर्व के प्रवासियों के जीवन स्तर का अध्ययन करना और सामाजिक सुरक्षा लाभ, सामाजिक नेटवर्किंग और सामुदायिक भागीदारी तक उनकी पहुंच की जांच करना
- उत्तर पूर्व प्रवासियों पर कोविड–19 महामारी के प्रभाव को समझना।

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

परियोजना को जनवरी 2020 में शुरु किया गया, एवं दिसंबर 2020 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

(परियोजना निदेशकः डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो)

2. असम में चाय बागान श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण

उद्देश्य

- असम में चाय उद्योग का अध्ययन करना
- इस बात की जाँच करना कि चाय बागान श्रमिकों में कौन–कौन आते हैं
- असम में चाय मजदूरों के प्रवास के इतिहास और उनकी बसावट के पैटर्न का आकलन करना

- विभिन्न सुविधाओं, आजीविका सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा तक बागान श्रमिकों की पहुंच की जाँच करना
- असम के चाय बागान श्रमिकों पर कोविड–19 महामारी के प्रभावों को समझना।

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

परियोजना को जनवरी 2020 में शुरु किया गया, एवं दिसंबर 2020 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

(परियोजना निदेशकः डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो)

3. मणिपुर में हथकरघा बुनकरों की सामाजिक सुरक्षा

उद्देश्य

- मणिपुर में हथकरघा उद्योग को समझना
- राज्य में हथकरघा बुनकरों के रुझान एवं पैटर्न की जाँच करना
- सामाजिक सुरक्षा लाभों तक हथकरघा बुनकरों की पहुंच का अध्ययन करना
- हथकरघा बुनकरों के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीमों का मूल्यांकन करना।

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

परियोजना को जनवरी 2020 में शुरु किया गया, एवं दिसंबर 2020 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

(परियोजना निदेशकः डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो)

प्रमुख सेमिनार

- **''उत्तर पूर्वी भारत से शहरी महानगरों में युवाओं का प्रवासन'' विषय पर सेमिनार**

पूर्वोत्तर भारत केंद्र, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) और पूर्वोत्तर भारत केंद्र, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय ने 22–23 अगस्त 2019 को महाराजा अग्रसेन कॉलेज, वसुंधरा एन्क्लेव, नई दिल्ली में ''उत्तर पूर्वी भारत से शहरी महानगरों में युवाओं का प्रवासन'' पर एक दो–दिवसीय

डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो 'उत्तर पूर्वी भारत से शहरी महानगरों में युवाओं का प्रवासन' पर सेमिनार के प्रतिभागियों से बातचीत करते हुए

सेमिनार का आयोजन संयुक्त रूप से किया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य दिल्ली जैसे महानगरों में उत्तर–पूर्व के युवा प्रवासियों की विभिन्न आकांक्षाओं, अवसरों और चुनौतियों को उजागर करना था। इस सेमिनार में दिल्ली विश्वविद्यालय एवं दिल्ली में स्थित अन्य विश्वविद्यालयों के विभिन्न महाविद्यालयों के संकाय सदस्यों और छात्रों ने प्रतिभागिता की। इस सेमिनार का उद्घाटन डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई; डॉ. सुनील सोंढी, प्रधानाचार्य, महाराजा अग्रसेन कॉलेज तथा प्रो. सुनील शर्मा, अध्यक्ष, शासी निकाय–एमएसी ने किया। प्रो. अमिताभ कुंडू ने ''पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक एवं शैक्षिक विकासः युवा बाह्य प्रवास का संदर्भ'' पर आधार व्याख्यान दिया। इस सेमिनार के एक भाग के तौर पर ''शहरी महानगरों में उत्तर–पूर्व के युवाओं की आकांक्षाएं एवं अवसर'' पर एक परस्पर संवादात्मक सत्र का भी आयोजन किया गया। सेमिनार के विषय से संबंधित 25 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। इस सेमिनार का समन्वय डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, वीवीजीएनएीलआई और डॉ. अयेक्पम जीरान मीतेई, एमएसी ने किया।

श्रम एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र

स्वास्थ्य प्रणालियों की वह मात्रा, जो विभिन्न सामाजिक समूहों की जरूरतों को पूरा करती है, दुनियाभर में चिंता का विषय है। यह चिंता उन देशों में और भी अधिक है जो तेजी से आर्थिक विकास एवं संस्थागत बदलाव का अनुभव कर रहे हैं। भारत में, जहां अधिकांश लोग गरीब हैं और अपनी आजीविका के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर हैं, स्वास्थ्य लाभों के साथ–साथ स्वास्थ्य बीमा के संदर्भ में समानान्तर निष्पक्षता उपलब्ध करवाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य प्रावधानों और कार्य की दुनिया के साथ इसकी अंतर–संबद्धता के प्रमुख मुद्दों का समाधान करने के उद्देश्य से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में श्रम एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई। यह विशेषीकृत केंद्र, एक वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में कामगारों के सामने उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों को समझने एवं उनका समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। केंद्र के प्रमुख अनुसंधान कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:

केंद्र के मुख्य अनुसंधान क्षेत्र

- रोजगार एवं उभरते स्वास्थ्य जोखिमों के नये रूप तथा रुग्णता के पैटर्न
- श्रम बाजार रूपान्तरण और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए इसकी चुनौतियां।
- स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच एवं स्वास्थ्य व्यवहारः जाति, वर्ग, धर्म एवं लिंग के आधार पर इंटरफेस
- सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली और इसके प्रभाव
- स्वास्थ्य संरक्षण प्रदान करने में सामाजिक बीमा की भूमिका।

मामला अध्ययन

- अनौपचारिक रोजगार में कामगारों की स्वास्थ्य सुरक्षा पर अच्छी प्रथाएं – राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का मामला अध्ययन – डॉ. रूमा घोष

जलवायु परिवर्तन तथा श्रम केंद्र

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव एक वैश्विक सरोकार है और भारत, जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीब हैं तथा अपनी आजीविका के लिए कृषि एवं अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर हैं, में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव काफी विकट है। इस अनुसंधान केंद्र का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर नीति–उन्मुख अनुसंधान करना और इसका संबंध श्रम तथा आजीविका से स्थापित करना है। केंद्र के मुख्य अनुसंधान क्षेत्र निम्न प्रकार हैं:

केंद्र के मुख्य अनुसंधान क्षेत्र

- जलवायु परिवर्तन, श्रम और आजीविका के बीच अन्तः संबंधों को समझना।
- जलवायु परिवर्तन की रोजगार चुनौतियां तथा ग्रीन जॉब में संक्रमण।
- आजीविका अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तनशीलता के शमन की रणनीतियों, और मैक्रो, मेसो तथा माइक्रो स्तर पर हो रहे परिवर्तन का मूल्यांकन।
- जलवायु परिवर्तन और प्रवासन पर इसका प्रभाव।
- प्राकृतिक संसाधनों, जंगलों तथा जनसाधारण पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव।

विशिष्ट अनुसंधानीय मुद्दों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ऐसे असुरक्षित श्रमिकों की जीविका पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, जो निर्वाह योग्य खेती, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, पर्यटन सेक्टर, समुद्र तटीय मछली पालन/नमक/खेती लगे हैं तथा जो स्थानीय जंगलों पर निर्भर अनुसूचित जनजातियों से हैं।
- उत्पादन प्रक्रियाओं को पुनर्गठित करने, नौकरी खोने पर संरक्षण देने तथा जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने के लिए माइक्रो नीतियों को नई दिशा देने में नियोजकों तथा ट्रेड यूनियनों की भूमिका।
- खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन का सूखे, बाढ़ तथा अति–अनिश्चित मानसून के कारण कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में कमी के साथ संबंधन के द्वारा प्रभाव।
- आजीविका सुरक्षा के बचाव के लिए और जलवायु परिवर्तन को अंगीकृत करने में मनरेगा की भूमिका।
- जलवायु परिवर्तन और लिंगीय मुद्दे।
- जलवायु परिवर्तन एवं तेज होती प्रवास प्रक्रिया पर इसका प्रभाव।
- जलवायु परिवर्तन की स्थानीय अवधारणाओं, स्थानीय नियंत्रणकारी क्षमताओं तथा मौजूदा अंगीकरण रणनीतियों को समझना।
- विभिन्न हितधारकों के लिए जलवायु परिवर्तन विज्ञान, इसके संभाव्य प्रभाव और विभिन्न अंगीकरण एवं प्रवास रणनीतियों के संबंध में क्षमता निर्माण एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम।

मामला अध्ययन

- व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना की अच्छी प्रथाएं एवं इससे सीखे गए सबक – *डॉ. अनूप सतपथी*

प्रमुख कार्यशाला

- **मजदूरी संहिता और कार्यान्वयन कार्य योजना की पहचान पर अभिविन्यास कार्यशाला**

- संस्थान ने 10 जनवरी 2020 को भुवनेश्वर, ओडिशा में मजदूरी संहिता और कार्यान्वयन कार्य योजना की पह. चान पर एक एक–दिवसीय अभिविन्यास कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का आयोजन वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा; राज्य श्रम संस्थान, ओडिशा; तथा श्रम निदेशालय, ओडिशा ने संयुक्त रूप से किया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को मजूदरी संहिता, 2019 की प्रमुख विशेषताओं तथा कर्मचारियों एवं व्यापार के लिए इसके निहितार्थ के बारे में परिचित कराना था। इस कार्यशाला में ओडिशा की न्यूनतम मजूदरी नीति प्रणाली पर भी विचार–विमर्श किया गया तथा मजूदरी संहिता के संदर्भ में बाधाओं एवं चुनौतियों की पहचान की गयी। इस कार्यशाला में राज्य न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के सदस्यों और राज्य श्रम विभाग के वरिष्ठ एवं मध्यम स्तरीय पदाधिकारियों सहित 35 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का उद्घाटन श्री सुभाष सिंह, अध्यक्ष, ओडिशा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ने किया। इस कार्यशाला का समन्वय डॉ. अनूप सतपथी, फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने किया।

(मंचासीन बायें से दायें) श्री अशोक कुमार पांडा, ओएएस(एस), संयुक्त सचिव, एल एंड ईएसआई विभाग, ओबी एंड ओसीडब्ल्युडब्ल्यु बोर्ड; श्री सुभाष सिंह, अध्यक्ष, ओबी एंड ओसीडब्ल्युडब्ल्यु बोर्ड; श्री लक्ष्मीकांता सेठी, ओएएस(एस), संयुक्त सचिव, एल एंड ईएसआई विभाग एवं देशक, एसएलआई ओडिशा; डॉ. अनूप कुमार सतपथी, फेलो, वीवीजीएनएलआई एवं जेवियर इस्टुपिनन, मजदूरी विशेषज्ञ, आईएलओ डीडब्ल्युट/सीओ, नई दिल्ली, कार्यशाला के प्रतिभागियों के साथ

अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग केंद्र

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय संस्थान ऐसे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ प्रोफेशनल सहयोग स्थापित करने के प्रति समर्पित है, जो श्रम तथा इससे संबंद्ध मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं। तदनुसार, संस्थान ने विभिन्न अनुसंधान एवं प्रशिक्षण गतिविधियाँ करने के लिए पिछले कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (यूनिसेफ), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), अंतर्राष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान (आईआईएलएस) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित किये हैं। अभी हाल ही के कुछ वर्षों में संस्थान ने कुछ नई पहलें की हैं, जिनसे न केवल आईएलओ, यूएनडीपी और यूनिसेफ जैसे संगठनों के साथ सहयोग को बल मिला है बल्कि जापान श्रम नीति तथा प्रशिक्षण संस्थान (जेआईएलपीटी), कोरिया श्रम संस्थान (केएलआई), अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन (आईओएम) तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आईटीसी), ट्यूरिन, श्रीलंका श्रम एवं रोजगार संस्थान, यूएन वीमेन, आईजीके वर्क एंड ह्यूमन लाइफसाइकिल इन ग्लोबल हिस्ट्री, हम्बोत यूनिवर्सिटी, जर्मनी तथा सेंटर फॉर मॉडर्न स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंजन, जर्मनी जैसे संस्थानों के साथ नए एवं दीर्घकालीन संबंधों का निर्माण हुआ है। सहयोग के प्रमुख विषयों में बाल श्रम, श्रमिक प्रवास, सामाजिक सुरक्षा, लिंगीय मुद्दे, कौशल विकास, श्रम इतिहास, उत्कृष्ट श्रम तथा श्रम से संबंधित प्रशिक्षण हस्तक्षेप शामिल हैं।

मौजूदा समय में संस्थान भारत सरकार, विदेश मंत्रालय की आईटीईसी/एससीएपी स्कीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए भी प्रशिक्षण संस्थान के रूप में सूचीबद्ध है। वर्ष 2019–20 के दौरान संस्थान ने श्रम में लिंगीय मुद्दे, नेतृत्व विकास, वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में श्रम एवं रोजगार संबंध, विकास एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों का प्रबंधन, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन, श्रम अध्ययनों में अनुसंधान पद्धतियाँ तथा स्वास्थ्य संरक्षण एवं सुरक्षा जैसे मुख्य प्रतिपाद्य विषयों पर 06 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया और इनमें 174 विदेशी अधिकारियों ने भाग लिया।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी) ट्यूरिन, इटली के मध्य व्यावसायिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर पांच वर्ष की अवधि के लिए 28 नवंबर 2018 को हस्ताक्षर किये गये। इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) का उद्देश्य दोनों संस्थानों के मध्य प्रशिक्षण एवं शिक्षा में सहयोग को सुगम बनाना है जिसके परिणामस्वरूप तकनीकी क्षमताओं के साथ–साथ श्रम एवं रोजगार प्रोफाइल के क्षेत्र स्तरीय देश–विशिष्ट अवबोधन को बढ़ाया जा सके।

इस एमओयू के एक हिस्से के तौर पर संस्थान ने आईटीसी–आईएलओ के सहयोग से अफगानिस्तान सरकार के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए:

(i) नाजुक राज्यों में युवा रोजगार को बढ़ावा देना (07–10 मई 2019), तथा

(ii) अफगानिस्तान में टीवीईटी की क्षमता को मजबूत करना (12–15 मई 2019)।

इन कार्यक्रमों में अफगानिस्तान सरकार के अधिकारियों, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एवं वीवीजीएनएलआई के अधिकारियों सहित कुल 37 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को भारत सरकार द्वारा ब्रिक्स देशों के अन्य श्रम संस्थानों के साथ नेटवर्क के लिए नोडल श्रम संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है। तदनुसार, वीवीजीएनएलआई, चीन की अध्यक्षता में वर्ष 2017 में आयोजित ब्रिक्स देशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक में गठित **श्रम अनुसंधान संस्थानों का ब्रिक्स नेटवर्क** का भी एक सहभागी है।

इस नेटवर्क के एक भाग के तौर पर किया गया पहला कार्यकलाप *'साझाकरण अर्थव्यवस्था पर फोकस के साथ प्रौद्योगिकी परिवर्तन एवं रोजगार के नए रूप'* पर एक अनुसंधान अध्ययन था। इस अनुसंधान अध्ययन के निष्कर्षों को अगस्त 2019 में डरबन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित द्वितीय ब्रिक्स रोजगार कार्यकारी समूह तथा 'युवाओं के लिए ब्रिक्स एवं अन्य देशों में बेहतर श्रम बाजार परिणाम को बढ़ावा देना' पर नवम्बर 2018 के दौरान ट्यूरिन, इटली में आयोजित आईएलओ एक्सपर्ट फोरम में प्रस्तुत किया गया।

26 अगस्त 2019 को कज़ान, रूस में आयोजित 'वर्ल्ड स्किल्स' के मानकों के अनुसार वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन प्रोफेशनल स्किल्स के मौके पर रशियन फेडरेशन के श्रम एवं सामाजिक संरक्षण मंत्रालय और अखिल रूस वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान ने आईएलओ डीसेंट वर्क टेक्नीकल सपोर्ट टीम एवं कंट्री ऑफिस फॉर ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया ने ब्रिक्स देशों के श्रम संस्थानों के साथ नेटवर्क के एक हिस्से के तौर पर ***'युवा रोजगार और कार्य का भविष्य'*** पर एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया तथा वीवीजीएनएलआई के कार्यों के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया।

वर्ष 2019 के दौरान 'भारत में युवा एवं श्रम बाजार परिदृश्यः मुद्दे और परिप्रेक्ष्य' पर एक शोध अध्ययन भी किया गया तथा इस अध्ययन के इनपुट 16–20 सितंबर 2019 के दौरान आयोजित रोजगार कार्यकारी समूह और ब्रिक्स श्रम मंत्रीस्तरीय बैठक के मौके पर आयोजित श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क की बैठक में प्रस्तुत किए गए।

प्रशिक्षण और शिक्षा (2019–2020)

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम समस्याओं की जानकारी को बढ़ावा देने तथा उन पर काबू पाने के उपायों और साधनों का पता लगाने के प्रति संकल्पबद्ध है। इस संकल्प की प्राप्ति के लिए यह संस्थान अपनी विभिन्न गतिविधियों के द्वारा संगठित तरीके से श्रमिकों की समस्याओं के बारे में शिक्षा प्रदान करता है। जबकि अनुसंधान गतिविधियों के द्वारा अन्य विषयों के साथ–साथ विभिन्न वर्गों की बुनियादी आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है, अनुसंधान से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग नए प्रशिक्षण कार्यक्रम परिकल्पित करने तथा मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए किया जाता है। प्रशिक्षण मॉड्यूलों को पुनः अभिकल्पित करने के साथ–साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को अद्यतन बनाने के लिए इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले फीडबैक का प्रयोग किया जाता है।

संस्थान के शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के श्रम संबंधों में संरचनात्मक परिवर्तन को भावी साधन माना जा सकता है। ये कार्यक्रम सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अधिक सकारात्मक वातावरण के निर्माण में मदद कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये कार्यक्रम बुनियादी स्तर पर ऐसे नेतृत्व का विकास करने का प्रयास करते हैं जो ग्रामीण श्रमिकों के हितों का ध्यान रखने वाले स्वतंत्र संगठनों का निर्माण कर सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्यवहार परिवर्तन, कौशल विकास तथा ज्ञान की वृद्धि पर समान रूप से बल दिया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दृश्य प्रस्तुतीकरण, व्याख्यानों, समूह चर्चाओं, वैयक्तिक अध्ययनों तथा व्यवहार विज्ञान तकनीकों के उचित मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। संस्थान की फैकल्टी के अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए गेस्ट फैकल्टी को भी आमंत्रित किया जाता है।

संस्थान निम्नलिखित समूहों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करता हैः

- केंद्र, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा विदेशों के श्रम प्रशासक तथा अधिकारी,
- सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों के प्रबंधक एवं अधिकारी,
- असंगठित/संगठित क्षेत्रों के ट्रेड यूनियन नेता तथा आयोजक, और
- अनुसंधानकर्ता, प्रशिक्षक, क्षेत्र कार्यकर्ता तथा श्रम मुद्दों से सम्बद्ध अन्य व्यक्ति।

वर्ष 2019–20 के दौरान संस्थान ने 149 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और इन कार्यक्रमों में 4533 कार्मिकों ने भाग लिया।

श्रम प्रशासन कार्यक्रम

इन कार्यक्रमों को केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के श्रम प्रशासकों और अधिकारियों के लिए तैयार किया जाता है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत श्रम प्रशासन, सुलह, श्रम कल्याण, प्रवर्तन, अर्धन्यायिक कार्य, वैश्वीकरण तथा रोजगार संबंध से संबंधित अनेक विषय शामिल हैं। ऐसे 10 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 255 सहभागियों ने भाग लिया।

औद्योगिक संबंध कार्यक्रम

इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत, औद्योगिक संबंध और अनुशासनिक पद्धतियों के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक, दोनों पहलुओं को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सरकार, नियोक्ताओं और यूनियनों के बीच बेहतर विचार–विमर्श के लिए वरिष्ठ प्रबंधकों, मानव संसाधन अधिकारियों और ट्रेड यूनियन नेताओं को सहभागिता प्रबंधन की जानकारी प्रदान की जाती है। ऐसे 21 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 348 सहभागियों ने भाग लिया।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

ये कार्यक्रम श्रम के क्षेत्र में प्रशिक्षण तैयार करने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा, ये कार्यक्रम औद्योगिक और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों की ट्रेड यूनियनों के संगठनकर्ताओं और श्रमिकों के लिए तैयार किए जाते हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों में आयोजित किए जाते हैं ताकि अधिक संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ऐसे 31 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 947 सहभागियों ने भाग लिया।

बाल श्रम कार्यक्रम

ये कार्यक्रम, बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में कार्यरत व्यक्तियों, समूहों और संगठनों की क्षमताएं विकसित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। इन समूहों में विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी, नियोक्ता, ट्रेड यूनियन, एनसीएलपी अधिकारी, समाज कार्य के विद्यार्थी, पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि आदि शामिल हैं। ऐसे 11 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 437 सहभागियों ने भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह संस्थान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा आई.टी.ई.सी./एस.सी.ए.ए.पी. कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु सूचीबद्ध है। इस अवधि के दौरान संस्थान ने आई.टी.ई.सी./एस.सी.ए.ए.पी. कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न विषयों जैसे कि लिंगीय मुद्दे, श्रम प्रशासन एवं रोजगार संबंध, नेतृत्व विकास, सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास और रोजगार

सृजन, श्रम अध्ययनों में अनुसंधान विधियां, स्वास्थ्य संरक्षण एवं सुरक्षा पर 06 अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें कुल मिलाकर 174 विदेशी नागरिकों ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त, संस्थान ने आईएलओ–आईटीसी के सहयोग से अफगानिस्तान सरकार के लिए दो कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 37 अधिकारियों ने भाग लिया।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र में श्रम एवं रोजगार से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए श्रम प्रशासकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य हितधारकों के लिए विशेष रूप से परिकल्पित कार्यक्रमों पर जोर देता है। इस कमी को पूरा करने के लिए संस्थान ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में हर वर्ष इन कार्यक्रमों को शामिल करने का निर्णय लिया है। इस अवधि के दौरान संस्थान ने उपरोक्त विषयों पर 13 कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 437 कार्मिकों ने भाग लिया।

अनुसंधान पद्धति कार्यक्रम

इन कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों के युवा अध्यापकों एवं अनुसंधानकर्त्ताओं के साथ–साथ सरकारी संगठनों में वृत्तिकों की श्रम अनुसंधान एवं नीति में रुचि बढ़ाने में उनकी मदद करने के लिए तैयार किया जाता है। ऐसे 08 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें 188 सहभागियों ने भाग लिया।

सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान ने समान उद्देश्य वाले संस्थानों तथा राज्य श्रम संस्थानों के साथ नेटवर्किंग तंत्र को संस्थागत बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, ताकि श्रम बाजार की क्षेत्रीय और सेक्टोरल विषमताओं की तरफ ध्यान दिया जा सके और श्रमिकों की समस्त समस्याओं का पर्याप्त रूप से समाधान खोजा जा सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संस्थान, महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान मुबंई; एनसीडीएस, भुवनेश्वर; महात्मा गाँधी श्रम संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात; राज्य श्रम संस्थान, पश्चिम बंगाल; एसएलआई ओडिशा; आईजीएनटीयू इंफाल; सिक्किम विश्वविद्यालय; एनआईसीएस, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी; एनएसटीटीए; मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, राजस्थान; गाँधीग्राम ग्रामीण संस्थान, तमिलनाडु; इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून; गुजरात विकास अनुसंधान संस्थान के सहयोग से असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका, श्रम अध्ययनों में अनुसंधान पद्धतियां, श्रमिक मुद्दे, बाल श्रमिकों का बचाव एवं

पुनर्वास आदि विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। कुल मिलाकर ऐसे 24 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 818 सहभागियों ने भाग लिया।

आंतरिक कार्यक्रम

संस्थान ने विभिन्न आन्तरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जो संगठनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विशेष रूप से तैयार किये गये कार्यक्रम हैं। संस्थान ने ईएसआईसी, भारतीय श्रम सेवा, नेशनल फर्टिलाईजर्स लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, भारतीय रिजर्व बैंक, कैनरा बैंक, भारतीय रेल के आईआरपीएस एवं आईआरएएस सेवा केक अधिकारियों, टीएचडीसी के पदाधिकारियों एवं ट्रेड यूनियन नेताओं, भारतीय नौ सेना और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों के लिए कुल मिलाकर 23 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। कुल मिलाकर 892 प्रतिभागियों ने इन कार्यक्रमों में प्रतिभागिता की।

प्रशिक्षण कार्यक्रम, वित्त वर्ष 2019–2020

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
श्रम प्रशासन कार्यक्रम (एलएपी)				
1.	प्रभावी श्रम कानून प्रवर्तन 03 – 07 जून 2019	05	30	संजय उपाध्याय
2.	महिलाओं की समानता एवं सशक्तिकरण से संबंधित कानून 05 – 09 अगस्त 2019	26	26	शशि बाला
3.	श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के लिए प्रभावी श्रम कानून प्रवर्तन पर प्रारंभिक कार्यक्रम, 05 – 30 अगस्त 2019	05	09	संजय उपाध्याय
4.	सुलह को प्रभावी बनाना 09 – 13 सितंबर 2019	05	27	मनोज जाटव
5.	श्रम निदेशालय, ओडिशा के अधिकारियों के लिए श्रम कानून प्रवर्तन पर पुनश्चर्या कार्यक्रम, 16 – 20 सितंबर 2020	05	20	मनोज जाटव
6.	गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन की दिशा में: चुनौतियां एवं विकल्प, 14 – 17 अक्टूबर 2019	04	26	एस. के. शशिकुमार
7.	सीएलएस अधिकारियों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, 04 नवंबर – 13 दिसंबर 2019	26	33	संजय उपाध्याय
8.	श्रम प्रशासन एवं श्रम निरीक्षण के माध्यम से सुशासन 25 – 29 नवंबर 2019	05	23	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
9.	असंगठित सैक्टर में श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन 10 – 14 फरवरी 2020	05	33	संजय उपाध्याय
10.	प्रौद्योगिकी, रोजगार के नए रूप तथा कार्य का भविष्य 17 – 20 फरवरी 2020	04	28	एस. के. शशिकुमार
	उप–योग 10	**90**	**255**	
औद्योगिक संबंध कार्यक्रम (आईआरपी)				
11.	प्रभावी नेतृत्व विकसित करने के लिए व्यवहार कौशल 06 – 10 मई 2019	05	27	शशि बाला
12.	श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व 27 – 31 मई 2019	05	24	संजय उपाध्याय
13.	उत्पादकता बढ़ाने के लिए संगठनात्मक संस्कृति में सुधार करना, 27 – 30 मई 2019	04	25	शशि बाला
14.	कार्य कुशलता बढ़ाने पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम 10 – 13 जून 2019	04	05	शशि बाला
15.	महिला अधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम 24 – 26 जून 2019	03	16	धन्या एम. बी.
16.	कार्य का प्रभावी प्रबंधन: एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण 24 – 27 जून 2019	04	11	शशि बाला

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
17.	आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यशाला 24 – 28 जून 2019	05	27	पी. अमिताभ खुंटिआ
18.	ट्रेड यूनियन नेताओं का सशक्तिकरण 01 – 05 जुलाई 2019	05	11	रम्य रंजन पटेल
19.	कार्य में उत्कृष्टता के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, 08 – 11 जुलाई 2019	04	11	शशि बाला
20.	कौशल, तकनीक और कार्य का भविष्य 08 – 12 जुलाई 2019	05	10	पी. अमिताभ खुंटिआ
21.	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा औद्योगिक संबंध 29 जुलाई – 02 अगस्त 2019	05	16	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
22.	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम की क्षमता को बढ़ाना, 11 – 13 सितंबर 2019	03	08	शशि बाला
23.	नेतृत्व विकास कार्यक्रम 23 – 27 सितंबर 2019	05	11	शशि बाला
24.	श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व 30 सितंबर – 04 अक्टूबर 2019	05	24	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
25.	बदलती कार्य की दुनिया में औद्योगिक संबंध एवं ट्रेड यूनियनवाद, 29 अक्टूबर – 01 नवंबर 2019	04	11	एस. के. शशिकुमार
26.	एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण, 25 – 29 नवंबर 2018	05	22	रूमा घोष
27.	कार्य का प्रभावी प्रबंधनः एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण 09 – 12 दिसंबर 2019	04	27	रम्य रंजन पटेल
28.	आंतरिक जाँचः सिद्धांत एवं प्रथा 13 – 17 जनवरी 2020	05	10	मनोज जाटव
29.	लिंग, श्रम एवं संगठनात्मक संस्कृति 20 – 23 जनवरी 2020	04	06	शशि बाला
30.	मानव संसाधानों का प्रभावी प्रबंधन 03 – 07 फरवरी 2020	05	08	अमिताभ खुंटिआ
31.	बदलती कार्य की दुनिया में औद्योगिक संबंध एवं ट्रेड यूनियनवाद, 24 – 27 फरवरी 2020	04	38	एस. के. शशिकुमार
	उप–योग 21	**93**	**348**	

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी)				
32.	बीड़ी उद्योग प्रतिनिधियों के नेतृत्व कौशल सुदृढ़ करना 01 – 05 अप्रैल 2019	05	18	रम्य रंजन पटेल
33.	लिंग, गरीबी और रोजगार 08 – 12 अप्रैल 2019	05	41	शशि बाला
34.	श्रमिक मुद्दे और श्रम कानून 15 – 19 अप्रैल 2019	05	34	मनोज जाटव
35.	लिंग और सामाजिक सुरक्षा पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, 22 – 26 अप्रैल 2019	05	24	शशि बाला
36.	लिंग, श्रम कानून और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों पर उभरते परिप्रेक्ष्य, 29 अप्रैल – 03 मई 2019	05	33	एलीना सामंतराय
37.	युवा रोजगार कौशल की क्षमता बढ़ाना 06 – 10 मई 2019	05	27	धन्या एम. बी.
38.	ग्रामीण शिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, 13 – 17 मई 2019	05	19	रम्य रंजन पटेल
39.	मजूदरी नीति और न्यूनतम मजदूरी 20 – 23 मई 2019	04	30	अनूप सतपथी
40.	श्रम एवं विकास के मुद्दों का समाधान करने के लिए अभिसरण एवं साझेदारी, 27 – 31 मई 2019	05	29	पी. अमिताभ खुंटिआ
41.	नेतृत्व विकास कार्यक्रम 17 – 21 जून 2019	05	42	एलीना सामंतराय
42.	अनौपचारिकता से औपचारिकता में संक्रमण 17 – 21 जून 2019	05	25	अनूप सतपथी
43.	जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग 22 – 26 जुलाई 2019	05	25	शशि बाला
44.	नेतृत्व कौशल बढ़ानाः सफाई कर्मचारी 29 जुलाई – 02 अगस्त 2019	05	31	रम्य रंजन पटेल
45.	अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिला कामगारों के लिए कौशल विकास कार्यनीतियां विकसित करना 19 – 23 अगस्त 2019	05	38	शशि बाला
46.	नेतृत्व कौशल बढ़ाना 26 – 30 अगस्त 2019	05	18	रम्य रंजन पटेल
47.	नेतृत्व विकास कार्यक्रम 26 – 30 अगस्त 2019	05	46	मनोज जाटव
48.	असंगठित कामगारों के लिए मथाड़ी मॉडल पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम, 02 – 06 सिंतबर 2019	05	54	मनोज जाटव
49.	श्रम बाजार और रोजगार नीतियां 16 – 19 सितंबर 2019	04	15	अनूप सतपथी

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
50.	प्रवासन एवं विकासः मुद्दे एवं परिप्रेक्ष्य 23 – 26 सिंतबर 2019	04	27	एस. के. शशिकुमार
51.	बीएमएस के नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम 23 – 27 सिंतबर 2019?	05	30	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
52.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर श्रम कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक, 30 सितंबर – 04 अक्टूबर 2019	05	33	रूमा घोष
53.	लिंग, कार्य और स्वास्थ्य 04 – 08 नवंबर 2019	05	29	रूमा घोष
54.	ग्रामीण शिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, 04 – 08 नवंबर 2019	05	28	शशि बाला
55.	घरेलू कामगारों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम 11 – 15 नवंबर 2019	05	20	शशि बाला
56.	चाय/बागान कामगारों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम 25 – 29 नवंबर 2019	05	16	रम्य रंजन पटेल
57.	श्रम एवं विकास के मुद्दे 02 – 06 दिसंबर 2019	05	18	पी. अमिताभ खुंटिआ
58.	बीएमएस के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम 03 – 06 दिसंबर, 2019	04	49	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
59.	श्रमिक मुद्दों पर अभिविन्यास कार्यक्रम 02 जनवरी 2020	01	40	रम्य रंजन पटेल
60.	नेतृत्व कौशल बढ़ानाः कृषि कामगार 27 – 31 जनवरी 2020	05	38	रम्य रंजन पटेल
61.	सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा 17 – 21 फरवरी 2020	05	47	धन्या एम. बी.
62.	श्रम एवं वैश्वीकरण 02 – 06 मार्च 2020	05	23	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
	उप–योग 31	**146**	**947**	
बाल श्रम कार्यक्रम (सीएलपी)				
63.	श्रमिक शोषण के विभिन्न प्रकारों के छुड़ाए गए बच्चों का शैक्षिक पुनर्वास, 29 अप्रैल – 01 मई 2019	03	52	हेलन आर. सेकर
64.	एनसीएलपी के विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, 29 अप्रैल – 01 मई 2019	03	47	हेलन आर. सेकर
65.	विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर तकनीकी परामर्श 12 जून, 2019	01	42	हेलन आर. सेकर
66.	बाल श्रमिक सर्वेक्षण संचालित करना 02 – 04 जुलाई 2019	03	60	हेलन आर. सेकर

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
67.	प्रवासी और तस्करी वाले बच्चों एवं किशोरों की पहचान और बचाव, 30 जुलाई – 01 अगस्त 2019	03	39	हेलन आर. सेकर
68.	बाल श्रम को समाप्त करने और बाल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अभिसरण, 06 – 08 अगस्त 2019	03	17	हेलन आर. सेकर
69.	बाल श्रमिकों के बचाव पूर्व, बचाव के दौरान एवं बचाव के बाद के पहलू, 17 – 19 सितंबर 2019	03	46	हेलन आर. सेकर
7.	पंचायतों के जिला स्तरीय निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए बाल श्रम पर संवेदीकरण कार्यक्रम	03	16	हेलन आर. सेकर
71.	बाल श्रमिकों का प्रत्यावर्तन, पुनर्वास और पुनःएकीकरण 19 – 21 नवंबर 2019	03	37	हेलन आर. सेकर
72.	श्रमिक शोषण के विभिन्न प्रकारों के छुड़ाए गए बच्चों का शैक्षिक पुनर्वास, 10 – 12 दिसंबर 2019	03	32	हेलन आर. सेकर
73.	बाल श्रमिकों एवं बंधुआ मजूदरों की पहचान, बचाव, रिहाई एवं पुनर्वास, 28 – 30 जनवरी 2020	03	49	हेलन आर. सेकर
	उप–योग 11	**31**	**437**	
अनुसंधान पद्धति कार्यक्रम (आरएमपी)				
74.	श्रम अध्ययनों में अनुसंधान पद्धतियां पर पाठ्यक्रम 08 – 19 अप्रैल 2019	12	25	पी. अमिताभ खुंटिआ
75.	लिंग, गरीबी और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर अनुसंधान पद्धतियां, 26 अगस्त – 06 सितंबर 2019	12	24	धन्या एम. बी.
76.	श्रम पर ऐतिहासिक अनुसंधान में पद्धतियां 02 – 06 सितंबर 2019	05	19	एस. के. शशिकुमार
77.	शोधकर्ताओं एवं व्यावसायिकों के लिए श्रम बाजार विश्लेषण, 11 – 15 नवंबर 2019	05	21	एस. के. शशिकुमार
78.	श्रम अनुसंधान में गुणात्मक पद्धतियां पर पाठ्यक्रम 16 – 27 दिसंबर 2019	12	13	रूमा घोष
79.	श्रम अध्ययनों में अनुसंधान पद्धतियां पर पाठ्यक्रम 13 – 24 जनवरी 2020	12	21	अनूप सतपथी
80.	श्रम में लैंगिक मुद्दों पर अनुसंधान पद्धतियां 03 – 14 फरवरी 2020	12	19	एलीना सामंतराय
81.	लैंगिक समानता एवं समावेशन में अनुसंधान पद्धतियां पर पाठ्यक्रम, 24 – 28 फरवरी 2020	05	46	शशि बाला
	उप–योग 08	**75**	**188**	
उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिए कार्यक्रम (एनईपी)				
82.	श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व 13 – 17 मई 2019	**05**	42	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
83.	श्रम में लैंगिक मुद्दे 13 – 17 मई 2019	**05**	30	शशि बाला

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
84.	लिंग, कार्य और सामाजिक संरक्षण 03 – 07 जून 2018	**05**	45	एलीना सामंतराय
85.	कौशल विकास के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देना 15 – 19 जुलाई 2019	**05**	49	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
86.	सामाजिक संरक्षण और आजीविका सुरक्षा 15 – 19 जुलाई 2019	05	40	धन्या एम. बी.
87.	श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व 19 – 23 अगस्त 2019	05	57	संजय उपाध्याय
88.	श्रमिक मुद्दों तथा महिला कामगारों से संबंधित कानूनों पर जागरूकता का सुदृढ़ीकरण, 07–11 अक्टूबर 2019	05	26	धन्या एम. बी.
89.	सामाजिक संरक्षण के साधन के तौर पर विकास योजनाएं, 21 – 25 अक्टूबर 2019	05	40	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
90.	पूर्वोत्तर राज्यों के ट्रेड यूनियन नेताओं और एनजीओ के लिए श्रम बाजार एवं रोजगार अवसरों को समझना 16 – 20 दिसंबर 2019		05	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
91.	नेतृत्व विकास कार्यक्रम 23 – 27 दिसंबर 2019	05	26	शशि बाला
92.	पूर्वोत्तर राज्यों के ट्रेड यूनियन नेताओं और एनजीओ के लिए श्रम बाजार एवं रोजगार अवसरों को समझना 10 – 14 फरवरी 2020	05	21	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
93.	पूर्वोत्तर राज्यों के लिए श्रम में लैंगिक मुद्दे 02 – 06 मार्च 2020	05	19	शशि बाला
94.	पूर्वोत्तर राज्यों के लिए श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व 02 – 06 मार्च 2020	05	22	संजय उपाध्याय
	उप–योग 13	**65**	**437**	
अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी)				
95.	नाजुक राज्यों में युवा रोजगार का संवर्धन 07 – 10 मई 2019	04	30	एलीना सामंतराय
96.	अफगानिस्तान में टीवीईटी की क्षमता, अफगानिस्तान को मजबूत करना, 12 – 15 मई 2019	04	07	एलीना सामंतराय
97.	अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक तथा कार्यस्थल में लैंगिक समानता का संवर्धन, 05 – 23 अगस्त 2019	19	25	एलीना सामंतराय
98.	कौशल विकास एवं रोजगार सृजन 02 – 20 सितम्बर 2019	19	25	पी. अमिताभ खुंटिआ
99.	नेतृत्व कौशल बढ़ाना 07 – 25 अक्टूबर 2019	19	34	रम्य रंजन पटेल
100.	एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में श्रम और रोजगार संबंध 04 – 22 नवम्बर 2019	19	31	एस. के. शशिकुमार

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
101.	कार्य की दुनिया में लैंगिक मुद्दे 02 – 20 दिसम्बर 2019	19	29	शशि बाला
102.	कामगारों की स्वास्थ्य सुरक्षा एवं संरक्षण 10 – 28 फरवरी 2020	19	30	रूमा घोष
	उप–योग 08	**177**	**892**	
आंतरिक कार्यक्रम (आईएनएच)				
103.	ईएसआईसी के सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों के लिए आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, 06 – 18 मई 2019	13	55	अनूप सतपथी
104.	ईएसआईसी के सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों के लिए आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, 20 मई – 01 जून 2019	13	59	अनूप सतपथी
105.	ईएसआईसी के सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों के लिए आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, 03 – 15 जून 2019	13	59	अनूप सतपथी मनोज जाटव
106.	ईएसआईसी के सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों के लिए आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, 17 – 29 जून 2019	13	59	मनोज जाटव रम्य रंजन पटेल
107.	ईएसआईसी के सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों के लिए आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, 01 – 13 जुलाई 2019	13	60	मनोज जाटव रम्य रंजन पटेल
108.	ईएसआईसी के सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों के लिए आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, 15 – 27 जुलाई 2019	13	60	मनोज जाटव रम्य रंजन पटेल
109.	नव–पदोन्नत क्षेत्रीय श्रम आयुक्त तथा उप केंद्रीय श्रम आयुक्त के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 22 – 26 जुलाई 2019	05	19	संजय उपाध्याय
110.	ईएसआईसी के सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों के लिए आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 29 जुलाई – 10 अगस्त 2019	13	60	मनोज जाटव रम्य रंजन पटेल
111.	ईएसआईसी के सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों के लिए आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 19 – 31 अगस्त 2019	13	50	मनोज जाटव रम्य रंजन पटेल
112.	एनएफएल के लिए व्यक्तिगत एवं प्रबंधकीय उत्कृष्टता 09 – 13 सितंबर 2019	05	40	शशि बाला
113.	ऑयल इंडिया लिमिटेड के लिए आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, गंगटोक, 23 – 27 सितंबर 2019	05	30	शशि बाला
114.	आईआरपीएस एवं आईआरएएस के परिवीक्षार्थियों के लिए श्रम कानून एवं श्रमिक मुद्दे 14 – 18 अक्टूबर 2019	05	40	मनोज जाटव
115.	नौसेना के अधिकारियों के लिए श्रम कानून एवं ट्रेड यूनियनवाद, 11 – 16 नवंबर 2019	06	23	एलीना सांमतराय मनोज जाटव
116.	टीएचडीसी के पदाधिकारियों के लिए प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, टिहरी, 21 – 22 नवंबर 2019	03	30	रम्य रंजन पटेल

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
117.	आरबीआई के अधिकारियों के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल, 23 – 27 दिसंबर 2019 (श्रेणी III)	05	28	शशि बाला
118.	एनएफएल के लिए व्यक्तिगत एवं प्रबंधकीय उत्कृष्टता 06 – 10 जनवरी 2020	05	35	रम्य रंजन पटेल
119.	आरबीआई के अधिकारियों के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल, 13 – 17 जनवरी 2020	05	27	रम्य रंजन पटेल
120.	आरबीआई के अधिकारियों के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल, 20 – 24 जनवरी 2020 (श्रेणी III)	05	24	शशि बाला
121.	आरबीआई के अधिकारियों के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल, 03 – 07 फरवरी 2020	05	26	शशि बाला
122.	आरबीआई के अधिकारियों के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल, 17 – 21 फरवरी 2020	05	28	रम्य रंजन पटेल
123.	आरबीआई के अधिकारियों के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल, 24 – 28 फरवरी 202	05	30	रम्य रंजन पटेल
124.	ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, टीएचडीसी, टिहरी, 05 – 08 फरवरी 2020	04	26	रम्य रंजन पटेल
125.	आरबीआई के अधिकारियों के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल, 02 – 06 मार्च 2020	05	24	शशि बाला
	उप–योग 23	**177**	**892**	
सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीटीपी)				
126.	लिंग, कार्य और सामाजिक सरंक्षण, महिला अध्ययन विभाग, गोवा विवविद्यालय, 06 – 10 मई 2019	05	35	पी. अमिताभ खुंटिआ
127.	पूर्वोत्तर में आजीविका एवं सामाजिक संरक्षण का प्रबंधन (आईजीएनटीयू, इंफाल), 10 – 14 जून 2019	05	70	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
128.	विकासात्मक कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुशासन (एसएलआई, ओडिशा), 22 – 26 जुलाई 2019	05	35	पी. अमिताभ खुंटिआ
129.	पूर्वोत्तर क्षेत्र में नियोजनीयता एवं उद्यमिता हेतु महिलाओं का कौशल विकास, 19 – 23 अगस्त 2019	05	49	पी. अमिताभ खुंटिआ
130.	श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व (एमआईएलएस, मुंबई) 02 – 06 सितंबर 2019	05	30	संजय उपाध्याय
131.	श्रम बाजार विश्लेषण तथा राष्ट्रीय कॅरिअर सर्विस प्रोजेक्ट, एनआईसीएस, 14 – 18 अक्टूबर 2019	05	12	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
132.	आईआरएस अधिकारियों, प्रशिक्षुओं के लिए श्रम एवं रोजगार के मुद्दे, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी, फरीदाबाद, 05 नवंबर 2019	01	51	एलीना सामंतराय
133.	खनन कामगारों के नेतृत्व कौशल बढ़ाना एसएलआई ओडिशा, 13 – 15 नवंबर 2019	03	34	रम्य रंजन पटेल
134.	वैश्वीकरण के बाद के युग में श्रमिक मुद्दे (एमआईएलएस), 06 दिसंबर 2019	01	11	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम पी. अमिताभ खुंटिआ
135.	आईएसईसी, एनएसएसटीए के लिए एक–दिवसीय अनावृति कार्यक्रम, 20 दिसंबर 2019	01	16	एलीना सामंतराय
136.	असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा एसलआई ओडिशा, 26 – 28 दिसंबर 2019	03	41	मनोज जाटव
137.	लिंग, कार्य एवं सामाजिक संरक्षण एसलआई ओडिशा, 26 – 28 दिसंबर 2019	03	34	एलीना सामंतराय
138.	श्रम अनुसंधान में मात्रात्मक एवं गुणात्मक पद्धतियां (एमजीएलआई) अहमदाबाद 30 दिसंबर 2019 – 03 जनवरी 2020	05	23	शशि बाला
139.	श्रम अध्ययनों में अनुसंधान पद्धतियां, एलएमएनएल, महाराष्ट्र, 30 दिसंबर 2019 – 03 जनवरी 2020	05	24	रूमा घोष
140.	श्रम एवं विकास, एनसीडीएस 02 – 06 जनवरी 2020	05	35	पी. अमिताभ खुंटिआ
141.	सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा कला महाविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान, 06 – 10 जनवरी 2020	05	60	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
142.	ग्रामीण भारत में श्रम के समावेशन पर अनुसंधान पद्धति पाठ्यक्रम (जीआरआई, तमिलनाडु) 06 – 10 जनवरी 2020	05	30	शशि बाला
143.	श्रम बाजार और रोजगार नीतियां (एसएलआई, ओडिशा) 08 – 09 जनवरी 2020	02	33	अनूप सतपथी
144.	भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए श्रम एवं रोजगार संबंध (इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून), 17 जनवरी 2020	01	45	एस. के. शशिकुमार
145.	भारत में श्रम कानून एवं श्रम सुधारः परिप्रेक्ष्य एवं चुनौतियां (एमआईएलएस, मुंबई) 22 – 24 जनवरी 2020	03	28	संजय उपाध्याय
146.	लैंगिक एवं श्रमिक मुद्दे (जीआईडीआर) 25 – 27 फरवरी 2020	03	30	एलीना सामंतराय

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
147.	लिंग, श्रम कानून और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों पर उभरते परिप्रेक्ष्य, एसएलआई, ओडिशा, 04 – 06 मार्च 2020	03	25	एलीना सामंतराय
148.	श्रम कानून और श्रमिक कल्याण, एसएलआई, ओडिशा, 04 – 06 मार्च 2020	03	30	मनोज जाटव
149.	बाल श्रम की रोकथाम और उन्मूलन एसएलआई, ओडिशा, 04 – 06 मार्च 2020	03	37	हेलन आर. सेकर
	उप–योग 24	**85**	**818**	
	कुल योग 149	**884**	**4533**	

वित्त वर्ष 2019 – 20 के दौरान आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	कार्यक्रम के दिनों की सं.	सहभागियों की संख्या
1.	श्रम प्रशासन कार्यक्रम (एलएपी)	10	90	255
2.	औद्योगिक संबंध कार्यक्रम (आईआरपी)	21	93	348
3.	क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी)	31	146	947
4.	बाल श्रम कार्यक्रम (सीएलपी)	11	31	437
5.	अनुसंधान पद्धति कार्यक्रम (आरएमपी)	08	75	188
6.	पूर्वोत्तर कार्यक्रम (एनईपी)	13	65	437
7.	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपी)	08	122	211
8.	आंतरिक कार्यक्रम (इनहाउस)	23	177	892
9.	सहयोगात्मक कार्यक्रम (सीपी)	24	85	828
	जोड़	**149**	**884**	**4533**

एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र

एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र (एनआरडीआरसीएलआई) देश में श्रम अध्ययन के क्षेत्र में एक अत्यन्त विख्यात पुस्तकालय–सह–प्रलेखन केंद्र है। केंद्र का नाम संस्थान के संस्थापक डीन स्वर्गीय (श्री) नीतिश आर. डे की स्मृति में 01 जुलाई 1999 को संस्थान के रजत जयंती समारोह के अवसर पर बदलकर एन. आर. डे श्रम सू. चना संसाधन केंद्र रखा गया था। केंद्र पूरी तरह कंप्यूटरीकृत है और अपने प्रयोगकर्त्ताओं को निम्नलिखित सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करता है:

1. भौतिक सम्पदा

पुस्तकें: अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान पुस्तकालय में 260 किताबें/रिपोर्ट्स/सजिल्द पत्र.पत्रिकाएं खरीदी गयीं जिसके कारण पुस्तकालय में इन पुस्तकों/रिपोर्टों/सजिल्द पत्र–पत्रिकाओं की संख्या **65,530** तक पहुंच गई।

पत्र–पत्रिकाएं: पुस्तकालय ने इस अवधि के दौरान **148** व्यावसायिक पत्र–पत्रिकाओं, मैंगजीनों और अखबारों का मुद्रित और इलैक्ट्रॉनिक दोनों रूपों में, नियमित रूप से अंशदान किया।

2. सेवाएं

पुस्तकालय निरंतर रूप से अपने उपभोक्ताओं के लिए निम्न सेवाएं बनाए रखता है:

- वेब–आधारित पुस्तकालय सेवाओं को शुरु करने के लिए रु. 11,50,000/– का नया उन्नत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर **''एलआईबीएसवाईएस 10 ईजेबी''**
- सूचना का चयनात्मक प्रचार–प्रसार (एसडीआई)
- वर्तमान जागरूकता सेवा
- ग्रन्थ विज्ञान सेवा
- ऑन–लाइन सेवा
- पत्रिकाओं का लेख सूचीकरण
- समाचार पत्रों के लेखों के कतरन
- माइक्रो फिच सर्च और प्रिंटिंग
- रिप्रोग्राफिक सेवा
- सीडी–रोम सर्च
- दृश्य–श्रव्य सेवा
- वर्तमान विषय– वस्तु सेवा
- आर्टिकल अलर्ट सेवा
- लेंडिंग सेवा
- इंटर–लाइब्रेरी लोन सेवा

3. उत्पाद

पुस्तकालय प्रयोगकर्त्ताओं के लिए निम्नलिखित उत्पाद मुद्रित रूप में उपलब्ध करता है:

- **आवधिक साहित्य की मार्गदर्शिका**: तिमाही अंतःसंस्थान प्रकाशन, जो 175 से भी अधिक चुनिंदा पत्रिकाओं/मैगनीजों में छपे लेखों की संदर्भ सूचना प्रदान करता है।
- **करेंट जागरूकता बुलेटिन**: तिमाही अंतःसंस्थान प्रकाशन, जो एनआरडीआरसीएलआई में श्रम सूचना केंद्र में संग्रहीत संदर्भ सूचना प्रदान करता है।

- **आर्टिकल अलर्ट**: यह एक साप्ताहिक सेवा है, जिसे जनता की पहुंच के लिए संस्थान की वेबसाइट पर डाला जाता है।
- **आर्टिकल अलर्ट**: यह एक साप्ताहिक सेवा है, जिसे जनता की पहुंच के लिए संस्थान की वेबसाइट पर डाला जाता है।
- **वर्तमान विषय–वस्तु सेवा**: यह मासिक प्रकाशन है। यह अंशदान दिए गए जर्नलों के विषय.वस्तु वाले पृष्ठों का संकलन है।
- **आर्टिकल अलर्ट सेवा**–साप्ताहिक प्रकाशन, जिसमें चुनिंदा पत्रिकाओं/मैगनीजों में छपे महत्त्वपूर्ण लेखों की संदर्भ जानकारी प्रदान की जाती है।
- **ई–न्यूजपेपर कतरन सेवा** – यह श्रम एवं संबंधित विषयों संबंधी सभी प्रमुख खबरों की स्कैन कॉपी की साप्ताहिक सेवा है।

4. विशिष्टीकृत संसाधन केंद्र का रखरखाव

पुस्तकालय भवन में निम्नलिखित दो विशिष्टीकृत संसाधन केद्रों का सृजन किया गया है और संदर्भ सेवाओं के लिए उनका रखरखाव किया जाता है:

- राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र
- राष्ट्रीय लैंगिक अध्ययन संसाधन केंद्र

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाए गए कानूनी उपबंधों तथा विभिन्न संवैधानिक उपबंधों को लागू करने के लिए वर्ष 1983 में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया था और बाद में दिन–प्रतिदिन के प्रशासनिक काम में राजभाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम और नियमित तथा सामयिक रूप से प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशनों के माध्यम से परिणामों का प्रचार करने के संबंध में संस्थान के उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता करने के लिए हिन्दी प्रकोष्ठ का गठन किया गया।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति इस वर्ष के दौरान भी काम करती रही। समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में क्रमशः 20.06.2019, 26.09.2019, 30.12.2019 और 19.03.2020 को नियमित रूप से आयोजित की गई थीं। इन बैठकों के दौरान राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के संबंध में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए और तदनुसार लागू किए गए।

हिन्दी कार्यशाला

संस्थान ने, अनुवाद पर आश्रित रहने के बजाए हिन्दी में मूल रूप से काम करने में संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित कीं। ये कार्यशालाएं 07.06.2019, 02.08.2019, 13.11.2019 और 28.02.2020 को आयोजित की गई थीं। इन कार्यशालाओं के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पणी और आलेखन तैयार करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशालाओं में भाग लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को, भारत सरकार की राजभाषा नीति, विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं, राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों और अपने प्रतिदिन के काम में प्रतिभागियों द्वारा सामना की जा रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के बारे में भी बताया गया।

इसके अतिरिक्त, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नौएडा के सदस्य कार्यालयों के लिए संस्थान द्वारा 26 दिसम्बर 2019 को हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 18 सदस्य कार्यालयों के 37 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

तिमाही रिपोर्ट

सभी चारों तिमाहियों, अर्थात 31 मार्च 2019, 30 जून 2019, 30 सितम्बर 2019 और 31 दिसम्बर 2019 को समाप्त तिमाहियों से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों को नियमित आधार पर राजभाषा विभाग की वेबसाइट में अपलोड किया गया था।

हिंदी पखवाड़ा

संस्थान में हिंदी पखवाड़ा 14 – 30 सितम्बर 2019 तक आयोजित किया गया। इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें निबंध एवं पत्र लेखन, सुलेख एवं श्रुतलेख, टिप्पण एवं आलेखन, हिन्दी टंकण एवं वर्ग पहेली, त्वरित भाषण प्रतियोगिता, हिंदी काव्य पाठ और राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी शामिल हैं।

इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया और पुरस्कार जीते। हिदी पखवाड़ा के दौरान संस्थान के कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक चित्रकारी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। चित्रकारी प्रतियोगिता में तीन श्रेणियां रखी गयी थीं, अर्थात कक्षा 1–5 में पढ़ने वाले बच्चे, कक्षा 6–8 में पढ़ने वाले बच्चे एवं कक्षा 9–12 में पढ़ने वाले बच्चे, और प्रत्येक श्रेणी में दो पुरस्कार रखे गये थे। महात्मा गाँधी के 150वें जयंती समारोह के एक हिस्से के तौर पर हिंदी पखवाड़ा गाँधी जी को समर्पित था और प्रत्येक प्रतियोगिता में अधिकतर प्रश्न गाँधी जी के कार्यों से संबंधित थे। 30.09.2019 को समापन सत्र को संस्थान के महानिदेशक डॉ. एच. श्रीनिवास ने संबोधित किया और उसके बाद उन्होंने पुरस्कार वितरित किए।

संसदीय राजभाषा समिति

संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करने और उस पर सिफारिशें करते हुए महामहिम राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करने हेतु संसदीय राजभाषा समिति केंद्र सरकार के कार्यालयों का राजभाषायी निरीक्षण करती है। तदनुसार, संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप–समिति ने 22 जनवरी 2020 को होटल द अशोक, नई दिल्ली में आयोजित निरीक्षण बैठक में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा के साथ–साथ राष्ट्रीय जैविक संस्थान, सैक्टर–62, नौएडा और एनसीआरटीसी कॉर्पोरेट ऑफिस, सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली का राजभाषा नीति के समुचित कार्यान्वयन और सरकारी कामकाज में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए निरीक्षण किया ।

राजभाषा को बढ़ावा देना

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), नौएडा द्वारा दिनाँक 29.01.2020 को राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, सैक्टर – 62 नौएडा में आयोजित नराकास, नौएडा की 39वीं बैठक में निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गयाः i) वर्ष 2018–19 के दौरान राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन संबंधी कार्यकलापों में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार, तथा ii) पिछले कई वर्षों से राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में निरंतर और सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए राजभाषा रत्न।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), नौएडा के तत्वावधान में दिनाँक 26.12.2010 को वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा में आयोजित हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता (हिंदीतर भाषा–भाषी श्रेणी) में संस्थान की श्रीमती सुधा गणेश, आशुलिपिक ग्रेड–I ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। नराकास, नौएडा की 39वीं बैठक में उक्त प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया गया।

प्रकाशन

विभिन्न श्रम संबंधी सूचनाओं का सामान्य तौर पर और संस्थान की अनुसंधान संबंधी उपलब्धियों का खासतौर पर प्रचार–प्रसार करने के लिए वीवीजीएनएलआई का एक गतिशील प्रकाशन कार्यक्रम है। इस कार्य को पूरा करने की दृष्टि से संस्थान जर्नल, अनियमित प्रकाशन, पुस्तकें और रिपोर्टें प्रकाशित करता है।

जर्नल/पत्र–पत्रिकाएं

लेबर एंड डेवलपमेंट

लेबर एंड डेवलपमेंट संस्थान की एक छमाही पत्रिका है। यह पत्रिका सैद्धांतिक विश्लेषण और अनुभवजन्य परीक्षणों के माध्यम से श्रम के विभिन्न पहलुओं की समझ को बढ़ाने के प्रति समर्पित है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक के साथ–साथ विधिक पहलुओं पर जोर देने के साथ श्रम एवं संबंधित क्षेत्रों में उच्च अकादमिक स्तर के लेख और विशेषकर विकासशील देशों के संदर्भ में अनुसंधान नोट एवं पुस्तक समीक्षा प्रकाशित किए जाते हैं। यह जर्नल श्रम संबंधी अध्ययन में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले प्रेक्टिशनरों और विद्वानों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

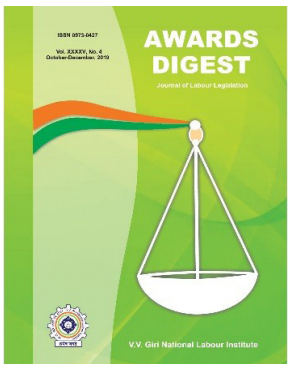

अवार्ड्स डाइजेस्ट

अवार्ड्स डाइजेस्ट एक तिमाही पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णीत कानूनी मामलों का सार दिया जाता है। इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और केंद्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय दिए जाते हैं। इसमें लेख, श्रम कानूनों के संशोधन और अन्य संबंधित सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और वर्करों, श्रम कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के माध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

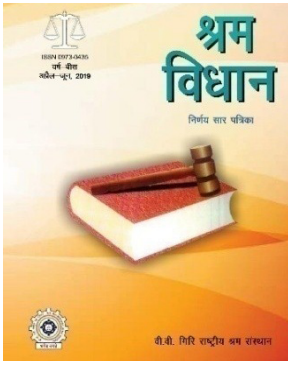

श्रम विधान

श्रम विधान एक तिमाही हिन्दी पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णीत कानूनी मामलों का सार दिया जाता है। इस पत्रिका में, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों तथा केंद्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय रिपोर्ट किए जाते हैं। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं वर्करों, श्रम कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रेक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

इंद्रधनुष

संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला यह एक द्विमासिक न्यूजलेटर है जिसमें संस्थान की अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं शिक्षा, कार्यशाला, सेमिनार आदि विविध गतिविधियों की जानकारी दी जाती है। इस न्यूजलेटर में संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न घटनाओं की जानकारी भी दी जाती है। इसमें संस्थान के दौरों पर आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के प्रोफाईल के साथ ही फैकल्टी और अधिकारियों की शैक्षिक गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला जाता है।

चाइल्ड होप

चाइल्ड होप संस्थान का तिमाही न्यूजलेटर है। यह समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाकर, इस दिशा में अपने प्रयासों को गति प्रदान करते हुए बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक मुख्य मार्ग तैयार करने के लिए निकाला जा रहा है।

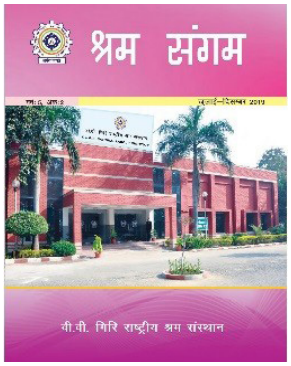

श्रम संगम

श्रम संगम एक छमाही राजभाषा पत्रिका है जिसका प्रकाशन हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ावा देने की ओर कर्मचारियों को उन्मुख करने तथा इसके प्रसार में उनकी सृजनशीलता का उपयोग करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें कर्मचारियों द्वारा रचित कविताओं, निबंधों एवं कहानियों के अलावा कला एवं संस्कृति, ज्ञान–विज्ञान, समसामयिक घटनाओं, खेलकूद आदि से संबंधित ज्ञानवर्धक एवं प्रेरक लेखों और महापुरुषों/साहित्यकारों की जीवनी को शामिल किया जाता है।

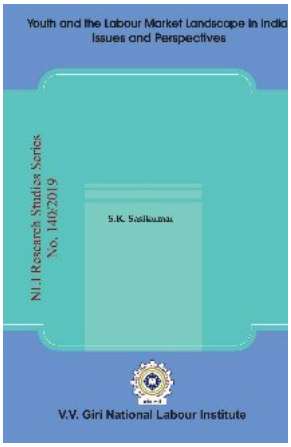

एन.एल.आई. अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला

संस्थान अपने अनुसंधानिक निष्कर्षों को प्रसारित करने के एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला शीर्षक वाली एक श्रृंखला का प्रकाशन भी कर रहा है। अभी तक संस्थान ने इस श्रृंखला में 140 अनुसंधान निष्कर्षों को प्रकाशित किया है। 2019–20 में प्रकाशित अनुसंधान अध्ययन में निम्न शामिल हैं:

139/2019 रूरल इंडस्ट्रलाइजेशन एंड ऑप्शंस फॉर सेल्फ एंप्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़ – डॉ. पूनम एस. चौहान एवं डॉ. शशि बाला

140/2019 यूथ एंड दि लेबर मार्किट लैंडस्केप इन इंडिया: इश्यूज़ एंड पर्सपेक्टिव्ज़ – डॉ. एस. के. शशिकुमार

वीवीजीएनएलआई पॉलिसी पर्सपेक्टिवज़

वीवीजीएनएलआई पॉलिसी पर्सपेक्टिवज़ में सरकार के प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेपों और श्रम एवं रोजगार पर इनके प्रभाव तथा उन कार्यनीतियों/नीतिगत पहलों, जिन्हें भविष्य में श्रम एवं रोजगार के क्षेत्र में अपनाया जा सकता हैं, पर फोकस किया जाता है।

- भारत की मजदूरी संहिताः सतत एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करना – डॉ. एच. श्रीनिवास

वीवीजीएनएलआई मामला अध्ययन श्रृंखला

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रवासन सुशासन पर अच्छी प्रथाएं: भारत के ईमाइग्रेट का मामला अध्ययन – डॉ. एस. के. शशिकुमार
- सामान्य रूप से और कोविड–19 महामारी आपदा के संदर्भ में बाल श्रम का समाधान करनाः घरेलू बालिका का मामला अध्ययन – डॉ. हेलन आर. सेकर
- औद्योगिक विवादों के प्रभावी निराकरण में तथ्यों का उचित अभिमूल्यन और सुलह अधिकारी की साख की भूमिका – डॉ. संजय उपाध्याय
- अनौपचारिक रोजगार में कामगारों की स्वास्थ्य सुरक्षा पर अच्छी प्रथाएं – राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का मामला अध्ययन – डॉ. रूमा घोष
- व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना की अच्छी प्रथाएं एवं इससे सीखे गए सबक – डॉ. अनूप सतपथी
- मातृत्व सुरक्षाः एक मामला अध्ययन – डॉ. शशि बाला
- एक्सपोजर संवाद कार्यक्रम (ईडीपी) – डॉ. एलीना सामंतराय
- असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशनः प्रधानमंत्री श्रम योगी मान–धन (पीएम–एसवाईएम) का मामला अध्ययन – डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
- रोजगार और आजीविका संवर्धन के लिए ग्रामीण गरीब युवाओं का कौशल प्रशिक्षणः फील्ड इंटरैक्शंस से मामले – श्री पी. अमिताभ खुंटिआ
- सेवा और कुडंबश्री के अनुभवः सामाजिक सुरक्षा आधार – डॉ. धन्या एम. बी.
- गाँधी के एक नेता के रूप में उभरने पर मामला अध्ययनः डॉ. रम्य रंजन पटेल
- असंरक्षित की रक्षा करनाः संगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए माथाडी मॉडल का एक मामला अध्ययन – डॉ. मनोज जाटव

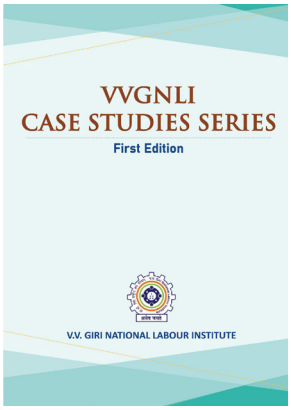

समसामयिक प्रकाशन

- वर्कशॉप रिपोर्ट ऑन 'दि इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, 19776, 1976: आइडेंटिफाइंग दि अफर्मेटिव इनीशिएटिव एंड चैलेंजिज इन दि इंप्लीमेंटेशन ऑफ दि एक्ट'

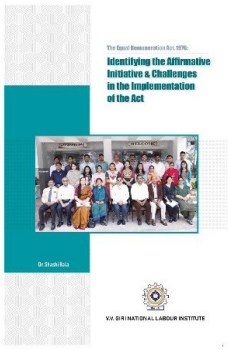

वर्ष 2019–20 के दौरान संस्थान ने 38 प्रकाशन प्रकाशित किए।

अधिक जानकारी तथा ब्यौरे के लिए कृपया संपर्क करें :

प्रकाशन (प्रभारी)
वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान,
सैक्टर 24, नौएडा–201301
टेलीफोनः 0120–2411533/34/35
ई–मेल publications.vvgnli@gov.in

पक्ष समर्थन और प्रसार

वंचित लोगों और पिछड़े क्षेत्रों को लाभान्वित करने हेतु शुरु किए गए कल्याणकारी कार्यक्रमों के विस्तार को बढ़ाने के लिए प्रासंगिक सूचना का पक्ष समर्थन और प्रसार करने को प्रमुख कार्यनीति समझा जाता है। ऐसे पक्ष समर्थन एवं प्रसार कार्यकलापों का हिस्सा बनने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालय एवं संगठन समय–समय पर वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान से अनुरोध करते हैं। नवीनतम अभिनव सरकारी योजनाओं और लोगों के कल्याण को बढ़ाने हेतु किए गए सरकारी हस्तक्षेपों पर जानकारी का प्रसार करने के लिए संस्थान ने वर्ष 2019–20 के दौरान पाँच बड़े पक्ष समर्थन एवं प्रसार कार्यकलापों, 29–31 अगस्त 2019 के दौरान हाँसी, हरियाणा में आयोजित राइज़ इन हरियाणा; 04–06 दिसंबर 2019 के दौरान कठुआ, जम्मू और कश्मीर में आयोजित संरचना–2019; 18–20 दिसंबर 2019 के दौरान सुरेंद्रनगर, गुजरात में आयोजित डेस्टिनेशन गुजरात; 14–16 फरवरी 2020 के दौरान गाजियाबाद में आयोजित राइज़ इन उत्तर प्रदेश, 2020 और 26 जनवरी – 03 फरवरी 2020 के दौरान बलिया, उत्तर प्रदेश में आयोजित स्वदेशी मेले में भाग लिया। इस तरह के कार्यकलापों में भाग लेते हुए संस्थान मुख्य रूप से अपने प्रशिक्षण एवं अन्य व्यावसायिक कार्यकलापों से संबंधित जानकारी का प्रसार करने पर ध्यान केंद्रित करता है तथा श्रम के विभिन्न पहलुओं जैसे कि रोजगार, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम, बाल श्रम, लिंग एवं कार्य, ग्रामीण एवं कृषि श्रमिक आदि पर तकनीकी जानकारी भी प्रदान करता है। संस्थान इस तरह के आयोजनों में अपने सभी प्रकाशनों को भी प्रदर्शित करता है।

▪ राइज़ इन हरियाणा 2019

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने टीएआरएमईएच ईवेंट्स द्वारा आयोजित ''राइज़ इन हरियाणा'' कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसरो को प्रथम उप विजेता तथा आयुष मंत्रालय को द्वितीय उप विजेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, परमाणु ऊर्जा मंत्रालय के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, पर्यटन मंत्रालय, जी. बी. पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, यूआईडीएआई, उत्तर पूर्व हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड, शहरी मामले मंत्रालय (हुडको), नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया, केन एंड बैम्बू टेक्नोलॉजी सेंटर, स्पाइसेज बोर्ड, कॉयर बोर्ड, नाल्को, एनएचपीसी, विज्ञान प्रसार, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान, कृषि मंत्रालय (हरियाणा सरकार) जैसे लगभग तीस केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राष्ट्रीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान आगतुकों को संस्थान के कार्यकलापों यथा अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रकाशन के साथ बाल श्रम पर सुग्राहीकरण, लैंगिक मुद्दे तथा कार्य का भविष्य पर जागरूक किया गया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की प्रमुख पहलों जैसे पेंसिल पोर्टल, राष्ट्रीय कॅरिअर सेवा पोर्टल, पीएमआरपीवाई, प्रसूति प्रसुविधा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम–एसवाईएम), ईएसआई और ईपीएफ की पहलों, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की विधायी एवं शासन संबंधी पहलों के साथ–साथ डीडीयू–जीकेवाई, पीएमकेवीवाई, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जागरूकता एवं सुग्राहीकरण कार्यकलाप किए गए। स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के छात्रों एवं शिक्षकों, कर्मचारियों, श्रमिकों, आम जनता सहित लगभग 15,000 व्यक्ति इस कार्यक्रम में पधारे। पुरस्कार का चयन आगंतुकों द्वारा भरे गए सर्वेक्षण के आधार पर किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल डी. पी. वत्स, माननीय सांसद राज्यसभा; श्री धर्मवीर सिंह, माननीय सांसद लोक सभा; सुश्री सुनीता दुग्गल, माननीय सांसद लोक सभा; श्री बीरेंद्र सिंह, माननीय सांसद लोक सभा; प्रोफेसर गुरदयाल सिंह, कुलपति, एलयूवीएएस ने वीवीजीएनएलआई के स्टॉल का दौरा किया तथा संस्थान की गतिविधियों एवं पहलों की सराहना की। इस कार्यक्रम के लिए वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम

संस्थान से श्री पी. अमिताभ खुंटिआ, एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई कार्यक्रम निदेशक थे। श्री राजेश कुमार कर्ण, वीवीजीएनएलआई और वीवीजीएनएलआई के पूर्व छात्र सुश्री उज्ज्वला सिंह, सुश्री अनायत गिल, श्री राजीव शुक्ला इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

▪ संरचना 2019

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 04 – 06 दिसंबर 2019 के दौरान कठुआ, जम्मू और कश्मीर में आयोजित तीन–दिवसीय प्रदर्शनी 'संरचना 2019' में भाग लिया, इसमें भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता का सृजन किया गया। इस प्रदर्शनी में लगभग 30 केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राष्ट्रीय संस्थानों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भाग लिया तथा लगभग 10,000 आगंतुक पधारे। वीवीजीएनएलआई टीम ने टीम ने संस्थान की गतिविधियों और श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की प्रमुख पहलों के बारे में जानकारी दी। श्री शमशेर सिंह मन्हास, माननीय सांसद राज्य सभा ने वीवीजीएनएलआई के स्टॉल का दौरा किया तथा संस्थान की गतिविधियों एवं पहलों की सराहना की।

▪ डेस्टिनेशन गुजरात 2019

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 18 – 20 दिसंबर 2019 के दौरान सुरेंद्रनगर, गुजरात में आयोजित 'डेस्टिनेशन गुजरात 2019 में भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन संसा फाउंडेशन ने किया था तथा इसमें लगभग 40 केंद्रीय मंत्रालयों, राष्ट्रीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भाग लिया। वीवीजीएनएलआई टीम ने टीम ने संस्थान की गतिविधियों और श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की प्रमुख पहलों के बारे में जानकारी दी। संस्थान ने 'प्रशिक्षण कार्यक्रम जागरूकता में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल' का पुरस्कार जीता। डॉ. महेंद्र मुंजपारा, माननीय सांसद, लोक सभा ने संस्थान के स्टॉल का दौरा किया तथा संस्थान की गतिविधियों एवं पहलों की सराहना की।

▪ राइज़ इन उत्तर प्रदेश, 2020

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने टीएआरएमईएच ईवेंट्स द्वारा 14–16 फरवरी 2020 के दौरान एचआरआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, गाजियाबाद में आयोजित ''राइज़ इन उत्तर प्रदेश, 2020'' कार्यक्रम में प्रथम उप–विजेता (द्वितीय सर्वश्रेष्ठ स्टॉल) का पुरस्कार प्राप्त किया। इस कार्यक्रम में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, सीएसआईआर, इसरो, पर्यटन मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, जी. बी. पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान, आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थान, एनएसएसओ, यूआईडीएआई, उत्तर पूर्व हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड आदि सहित 40 केंद्रीय मंत्रालयों, राष्ट्रीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भाग लिया। **श्री संतोष कुमार गंगवार,** माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, भारत सरकार ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन तथा **डॉ. अनिल कुमार अग्रवाल,** माननीय सांसद, राज्य सभा; **सुश्री आशा शर्मा,** मेयर, गाजियाबाद के साथ वीवीजीएनएलआई स्टॉल का दौरा किया। इस तीन–दिवसीय कार्यक्रम के दौरान आगंतुकों को संस्थान के कार्यकलापों यथा अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रकाशन

के साथ लैंगिक और बाल श्रम संबंधी मुद्दों और उनके समाधान पर जागरूक किया गया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की प्रमुख पहलों जैसे पेंसिल पोर्टल, राष्ट्रीय कॅरिअर सेवा पोर्टल, पीएमआरपीवाई, प्रसूति प्रसुविधा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम–एसवाईएम), ईएसआई और ईपीएफ की पहलों, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की विधायी एवं शासन संबंधी पहलों के साथ–साथ अन्य केंद्रीय मंत्रालयों की पहलों यथा चाइल्ड लाईन, डीडीयू–जीकेवाई, पीएमकेवीवाई, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जागरूकता एवं सुग्राहीकरण कार्यकलाप किए गए। स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के छात्रों एवं शिक्षकों, कर्मचारियों, श्रमिकों, आम जनता सहित लगभग 15,000 व्यक्ति इस कार्यक्रम में पधारे। डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय, माननीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री; डॉ. जितेंद्र सिंह, माननीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय; जनरल वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त), माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री; श्री अनुराग ठाकुर, माननीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले राज्य मंत्री ने अलग–अलग दिनों में इस आयोजन एवं संस्थान के स्टॉल का दौरा किया, कार्यकलापों एवं पहलों की सराहना की। डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई; श्री वी. के. शर्मा, सहायक प्रशासन अधिकारी; श्री श्रीनिवास वर्मा, सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी; सुश्री वर्णिका द्विवेदी, सुश्री जयंती नेगी, श्री राहुल जोशी, सुश्री आशि प्रवीण, राष्ट्रीय कॅरिअर सेवा संस्थान के युवा पेशेवर; श्री राजीव शुक्ला, सुरक्षा विशेषज्ञ अलग–अलग दिनों में उपस्थित रहे। श्री पी. अमिताभ खुंटिआ, एसोसिएट फेलो, इस कार्यक्रम के निदेशक थे और उन्होंने श्री राजेश कर्ण के साथ मिलकर तीन–दिवसीय कार्यकलापों का संचालन किया।

▪ स्वदेशी मेला, 2020

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने प्रतिभागियों के मध्य संस्थान की सभी गतिविधियों नामतः अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन आदि तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों और पहलों के बारे में जानकारी का प्रसार करने के उद्देश्य से 26 जनवरी – 03 फरवरी 2020 के दौरान स्वदेशी जागरण मंच द्वारा बलिया, उत्तर प्रदेश में आयोजित *स्वदेशी मेला,* 2020 में भाग लिया। विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों और शिक्षकों सहित 30000 से अधिक लोगों ने संस्थान के स्टॉल का दौरा किया। प्रतिभागियों को इस बात की जानकारी दी गई कि कैसे संस्थान अपनी स्थापना के बाद से अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रकाशनों के माध्यम से उन सभी तक पहुँचने का प्रयास कर रहा है जो संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रम के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं। कई युवाओं को राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल के बारे में जागरूक किया गया और नामांकन प्रक्रिया में उनकी मदद की गई। मेला में संस्थान के कुछ नवीनतम प्रकाशन भी प्रदर्शित किए गए। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार; अनेक सांसदों और विधायकों सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने वीवीजीएनएलआई स्टॉल का दौरा किया और संस्थान के प्रयासों की सराहना की। वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को प्रमाण पत्र और पदक देकर सम्मानित किया गया।

वर्ष 2020–21 के दौरान संस्थान विभिन्न सरकारी एजेंसियों और सामाजिक भागीदारों के अनुरोधों के आधार पर इस तरह की पक्ष समर्थन और प्रसार गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने का प्रस्ताव करता है।

संस्थान के ई–गवर्नेंस एवं डिजिटल अवसंरचना का उन्नयन

राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) तथा डिजिटल इंडिया की अवसंरचना को बढ़ावा देने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के साथ समन्वय में संस्थान ने अपने ई–गवर्नेंस तथा डिजिटल अवसंरचना का अगले स्तर तक उन्नयन करने के लिए कई कदम उठाये हैं। इस संबंध में उठाये गये प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:

1. **ई–ऑफिस प्रणाली का संचालन एवं स्थायीकरण:** कार्यकारी कुशलता में सुधार तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए संस्थान ई–ऑफिस प्रणाली का संचालन शुरु करके 'कम कागज प्रयोगकर्ता कार्यालय' बनने की ओर उन्मुख हुआ। एनआईसी के सहयोग से प्रयोगकर्ताओं के लिए उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके इस प्रणाली का स्थायीकरण किया गया तथा इसे टिकाऊ बनाया गया। ऐसा करने से संकाय सदस्यों, अधिकारियों तथा स्टाफ में स्वामित्व की भावना का संचार हुआ तथा अपने दैनिक कार्यों को इस प्रणाली में करने हेतु उनका विश्वास बढ़ा। ई–ऑफिस प्रणाली के अलावा, संस्थान ने ई–ऑफिस प्रणाली के तहत डाक के इलैक्ट्रोनिक प्रबंधन एवं ई–मेल को डायरीकृत करने के लिए भी स्वचालित केंद्रीय रजिस्ट्री यूनिट (सीआरयू) को सफलतापूर्वक स्थायीकृत किया है। इसके अतिरिक्त, ई–ऑफिस प्रणाली में ई–सर्विस बुक मॉड्यूल शुरु करने के लिए संस्थान को मंत्रालय से अनुमति मिल गई है और संस्थान ने वैयक्तिक प्रबंधन सुचना प्रणाली (पीआईएमएस) में अंतरण एवं एकीकरण के लिए अपेक्षित कर्मचारी मास्टर डाटा (ईएमडी) एनआईसी एवं मंत्रालय के आईटी प्रकोष्ठ को भेज दिया है।

2. **नई वेबसाइट का शुभारंभ एवं सुदृढ़ीकरण:** संस्थान ने नई द्विभाषी वेबसाइट http://www.vvgnli.gov.in/ का शुभारंभ किया। नई वेबसाइट विशिष्ट है, इसमें कई नई सुविधाएं हैं और यह उपयोगकर्ताओं के बेहद अनुकूल है। इसके बाद वेबसाइट के होम पेज में नये फीचर्स जोड़े गये हैं जिनमें विशेषकर महापरिषद एवं कार्यपरिषद के अध्यक्षों के परिचयपत्र हैं, सुरक्षा फीचर्स को मजबूत किया गया है तथा कैप्शन की गई तस्वीरों एवं दृश्यों को अपलोड करके संस्थान के कार्यकलापों के व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाता है।

Computer Room in Hostel

3. **परिसर में वाई–फाई एवं निगरानी प्रणाली का शुभारंभ:** राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों, अतिथि विद्वानों एवं स्टाफ को परिसर में चौबीसों घंटे व्यापक वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने तथा परिसर के अंदर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए संस्थान ने वाई–फाई एवं निगरानी परियोजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है। इस परियोजना के एक भाग के रूप में, सहज एवं निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए संस्थान के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थानीय एरिया नेटवर्क (लैन), वायरलेस लैन, एडेप्टर, नेटवर्क केंद्र एवं निगरानी कैमरे स्थापित किए गए हैं। इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन एवं संचालन के साथ संस्थान ने कार्यपरिषद (ईसी) द्वारा दिए गए आदेश को पूरा कर लिया है।

कर्मचारियों की संख्या
(31.03.2020 को)

समूह	स्वीकृत संख्या	पदस्थ
महानिदेशक	01	01
संकाय सदस्य	15	12
समूह क	05	03
समूह ख	13	09
समूह ग	24	09
समूह घ	25	18
योग	**83**	**52**

फैकल्टी

संस्थान की फैकल्टी में विविध विषयों, जिनमें अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, श्रम कानून, सांख्यिकी, लोक प्रशासन आदि शामिल हैं, के प्रतिनिधि रखे गए हैं। इस विविधता से अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा को अंतर्विषयक आधार मिलता है। फैकल्टी सदस्यों और अधिकारियों की सूची निम्नलिखित है:

एच. श्रीनिवास, बी.एससी (ऑनर्स), एम.एससी., पीजीडीएम (एमडीआई), पीएच.डी., आईआरपीएस	महानिदेशक

संस्थान की फैकल्टी

1.	एस. के. शशिकुमार, एम.ए. पीएच.डी.	वरिष्ठ फेलो
2.	हेलन आर. सेकर, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	वरिष्ठ फेलो
3.	संजय उपाध्याय, एल.एल.एम., पीएच.डी	वरिष्ठ फेलो
4.	रूमा घोष, एम.ए., एम.फिल. पीएच.डी.	फेलो
5.	अनूप के. सतपथी, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	फेलो
6.	शशि बाला, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	फेलो
7.	एलीना सामंतराय, एम.फिल., पीएच.डी	फेलो
8.	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, एम.ए., एम.फिल.	फेलो
9.	प्रियदर्शन अमिताभ खुंटिआ, एम.ए., एम.फिल.	एसोसिएट फेलो
10.	एम. बी. धन्या, एम.ए, पीएच.डी.	एसोसिएट फेलो
11.	आर. आर. पटेल, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	एसोसिएट फेलो
12.	मनोज जाटव, एम.ए., पीएच.डी.	एसोसिएट फेलो

अधिकारी

1.	हर्ष सिंह रावत, एम.बी.ए., एफसीएमए	प्रशासन अधिकारी
2.	वी. के. शर्मा, बी.ए.	सहायक प्रशासन अधिकारी
3.	शैलेश कुमार, बी. कॉम	लेखा अधिकारी

स्टाफ

समूह ख

1.	एस. के. वर्मा	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी
2.	मदन लाल	व. वै. सहायक
3.	बी. एस. रावत	व. हिंदी अनुवादक
4.	ए. के. श्रीवास्तव	पर्यवेक्षक
5.	मोनिका गुप्ता	आशुलिपिक ग्रेड – I
6.	पिंकी कालड़ा	आशुलिपिक ग्रेड – I
7.	सुधा वोहरा	आशुलिपिक ग्रेड – I
8.	गीता अरोड़ा	आशुलिपिक ग्रेड – I
9.	सुधा गणेश	आशुलिपिक ग्रेड – I

समूह ग

1.	एस. पी. तिवाड़ी	सहायक ग्रेड – I
2.	विजय कुमार	सहायक ग्रेड – I
3	सुरेन्द्र कुमार	सहायक ग्रेड – I
4.	जे. पी. शर्मा	सहायक ग्रेड – I
5.	राजेश कुमार कर्ण	आशुलिपिक ग्रेड – II
6.	वलसम्मा बी. नायर	आशुलिपिक ग्रेड – II
7.	राम किशन	आशुलिपिक ग्रेड – II
8.	नरेश कुमार	सहायक ग्रेड – II
9.	रंजना भारद्वाज	सहायक ग्रेड – II

लेखापरीक्षा रिपोर्ट
और
लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा
2019–2020

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा (गौतम बुद्ध नगर) के लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संबंध में संस्थान का जवाब

क्रम सं.	लेखापरीक्षा पैरा	संस्थान का जवाब
(क)	**सामान्य**	
(क.1)	अनुसूची–6 अचल परिसंपत्तियां को सीएबी के लिए निर्धारित प्रारूप में तैयार नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप कुल परिसंपत्तियों का उल्लेख नहीं हुआ है।	प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार संस्थान अचल परिसंपत्तियों के वार्षिक मूल्यांकन के लिए संचित मूल्यह्रास पद्धति का पालन कर रहा है तथा मूल्यह्रास को हर साल आय और व्यय विवरण में अलग से दिखाया गया है तथा इस तथ्य का उल्लेख अनुसूची 18 (6) – लेखों पर टिप्पणियां में किया गया है। अचल परिसंपत्तियों के मूल्यांकन और मूल्यह्रास से संबंधित आवश्यक जानकारी को दर्शाया गया है। तथापि, जानकारी को लेखापरीक्षा द्वारा सुझाए गए प्रारूप में संकलित करना भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है। इसलिए, इस पैरा को छोड़ दिया जाए।
(क.2)	संस्थान ने ₹ 42.14 लाख पूंजीगत निधि से विकास निधि में 'मूल्यह्रास आरक्षित निधि' के तहत अंतरित किए गए हैं। संस्थान द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का प्रकटीकरण महत्वपूर्ण लेखा नीति/लेखों पर टिप्पणियां में नहीं किया गया है। इसका प्रकटीकरण करने की जरूरत है।	भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।
(ख)	**सहायता अनुदानः** संस्थान को ₹ 1751.85 लाख (सहायता अनुदान ₹ 1200.00 लाख तथा आंतरिक प्राप्तियां ₹ 551.85 लाख) प्राप्त हुए। इसमें ₹ 42.00 लाख का प्रारंभिक शेष मिलाने पर कुल राशि ₹ 1793.85 लाख हुई। संस्थान ने ₹ 1673.96 लाख (सहायता अनुदान ₹ 1200.00 लाख तथा आंतरिक प्राप्तियां ₹ 473.96 लाख) का उपयोग किया तथा ₹ 119.89 लाख का अंत शेष रहा।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।

संस्थान के उपरोक्त स्पष्टीकरणों को देखते हुए उठायी गयी आपत्तियों को छोड़ देने का अनुरोध है।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

अनुबंध

क्रम सं.	टिप्पणी	संस्थान का जवाब
1.	**आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता** संस्थान का अपना आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं है। हालांकि, वर्ष 2019–20 के लिए संस्थान की आंतरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकार फर्म द्वारा की गई ।	चूंकि संस्थान का एक छोटा संगठन है, संस्थान की आंतरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकार फर्म के साथ–साथ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की आंतरिक लेखापरीक्षा टीम द्वारा की जाती है।
2.	**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता** जाँच किए गए परीक्षण क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं पाई गई जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता को इंगित करता है।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
3.	**अचल परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली** वर्ष 2019–20 के लिए अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
4.	**वस्तु–सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली** वर्ष 2019–20 के लिए वस्तु–सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
5.	**सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता** संस्थान ने सांविधिक देयताओं का समय पर भुगतान किया है।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।

स्पीड पोस्ट द्वारा

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) लखनऊ
शाखा कार्यालय – प्रयागराज
15–ए, दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, प्रयागराज

पत्र संख्याः म.नि0ले0प0 (केन्द्रीय)/पृ.ले.प.–09/2020–21/ दिनांक : .12.2020

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
श्रम एवं सेवायोजन मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन,
नई दिल्ली -110001

विषयः वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के वर्ष 2019–20 के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

महोदय,

इस पत्र के माध्यम से वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के वर्ष 2019–20 के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अंग्रेजी) अग्रसारित किया जा रहा है।

2. कृपया सुनिश्चित करें कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं सम्बन्धित लेखे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत हुए।

3. कृपया पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष अन्तिम रूप–से प्रस्तुत करने की तिथि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ–साथ इस कार्यालय को भी सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,
ह0/–
महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय)

पत्र संख्याः म.नि0ले0प0 (केन्द्रीय)/पृ.ले.प.– 09/2020–21/75 दिनांक :11.12.2020

निदेशक,वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान,सेक्टर 24, गौतम बुद्ध नगर,नोएडा–201301को संस्थान के वर्ष 2019–20 के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अंग्रेजी) की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। संस्थान यदि आवश्यकता अनुभव करे, तो इस प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद करवा सकता हैं। परन्तु इस प्रतिवेदन के हिन्दी अनुवाद में निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित होना चाहिए: '

'प्रस्तुत प्रतिवेदन मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।''

हिन्दी अनुवाद की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपर्युक्तानुसार।

निदेशक (केन्द्रीय व्यय)

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने, नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत 31 मार्च 2020 को यथास्थिति, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा (संस्थान) के संलग्न तुलन–पत्र और उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखों की लेखापरीक्षा की है। यह लेखापरीक्षा 2022–23 तक की अवधि के लिए सौंपी गई है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी संस्थान के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में केवल लेखांकन संव्यवहार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां है। विधि, नियमों एवं विनियमों (औचित्य तथा नियमितता) और दक्षता व कार्य–निष्पादन संबंधी पहलुओं, यदि कोई हों, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेनों पर लेखापरीक्षा की टिप्पणी की सूचना, अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से दी जाती है।

3. हमने, भारत में आमतौर पर अपनाये गये लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि हम इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण, सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हैं या नहीं। लेखापरीक्षा में, राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की, एक परीक्षण के आधार पर जांच करना शामिल हैं। लेखापरीक्षा में इस्तेमाल किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन करने के साथ.साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा उचित तथ्यों पर आधारित है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि:

   i. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे;

   ii. इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र और आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सामान्य प्रपत्र पर बनाये गये हैं;

   iii. हमारी राय में, जहां तक ऐसी लेखाबहियों की हमारी जांच से पता चलता है, और जैसे कि संस्थान के संगम ज्ञापन तथा नियम और विनियम के अनुच्छेद XVI के तहत आवश्यक हैं, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा अपने लेखों की उचित लेखाबहियां और अन्य संबंधित रिकॉर्ड रखे गए हैं।

   iv. हम आगे सूचित करते हैं कि:

(क) सामान्य

(क.1) अनुसूची–6 अचल परिसंपत्तियां को सीएबी के लिए निर्धारित प्रारूप में तैयार नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप कुल परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक का उल्लेख नहीं हुआ है।

(क.2) संस्थान ने ₹ 42.14 लाख पूंजीगत निधि से विकास निधि में 'मूल्यह्रास आरक्षित निधि' के तहत अंतरित किए गए हैं। संस्थान द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का प्रकटीकरण लेखा में महत्वपूर्ण लेखा नीति/लेखों पर टिप्पणियां में नहीं किया गया है। इसका प्रकटीकरण करने की जरूरत है।

(ख) सहायता अनुदान

संस्थान को ₹ 1751.85 लाख (सहायता अनुदान ₹ 1200.00 लाख तथा आंतरिक प्राप्तियां ₹ 551.85 लाख) प्राप्त हुए। इसमें ₹ 42.00 लाख का प्रारंभिक शेष मिलाने पर कुल राशि ₹ 1793.85 लाख हुई। संस्थान ने ₹ 1673.96 लाख (सहायता अनुदान ₹ 1200.00 लाख तथा आंतरिक प्राप्तियां ₹ 473.96 लाख) का उपयोग किया तथा ₹ 119.89 लाख का अंत शेष रहा।

v. पिछले पैराग्राफों में दी गई हमारी टिप्पणियों के अधीन हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र और आय एवं व्यय लेखे, लेखाबहियों से मेल खाते हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखांकन नीतियों और लेखाओं पर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित और ऊपर उल्लिखित महत्त्वपूर्ण मामलों तथा अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों की शर्त के अधीन उक्त वित्तीय विवरण निम्नलिखित के संबंध में, भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं:

अ. जहां तक यह 31 मार्च 2020 को यथास्थिति वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा (गौतम बुद्ध नगर) के कार्य के तुलन–पत्र से संबंधित है; और

ब. जहां तक यह, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 'घाटे' के आय एवं व्यय लेखे से संबंधित है;

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक की ओर से

ह0/–

प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (सेन्ट्रल)

स्थान : लखनऊ

दिनांक : 11.12.2020

अनुबंध

1. आन्तरिक लेखापरीक्षा की पर्याप्तता

संस्थान का अपना आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं है। हालांकि, वर्ष 2019–20 के लिए संस्थान की आंतरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकार फर्म द्वारा की गई ।

2. आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

जाँच किए गए परीक्षण क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं पाई गई जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता को इंगित करता है।

3. अचल परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2019–20 के लिए अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।

4. वस्तु–सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2019–20 के लिए वस्तु–सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।

5. सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

संस्थान ने सांविधिक देयताओं का समय पर भुगतान किया है।

ह0/–
निदेशक (सी ई)

कृष्ण कुमार चनानी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
5/1, क्लाइव रो, तृतीय तल, कमरा सं. 78, कोलकाता – 700001
दूरभाषः 033–22302096/22309315

सेवा में,
महानिदेशक,
वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वित्त वर्ष 2019–20)

हमने 31 मार्च 2020 को यथा स्थिति वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संलग्न तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखा परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों, जो वित्तीय स्थिति एवं निष्पादन की सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं, को तैयार करने की जिम्मेदारी संस्थान के प्रबंधन की है। इस जिम्मेदारी में ऐसे आंतरिक नियंत्रण, जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं उनके प्रस्तुतीकरणों के संगत हों और निष्पादन की सही एवं उचित तस्वीर पेश करते हों तथा सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हों, चाहे उसका कारण धोखाधड़ी हो अथवा त्रुटि, को तैयार करना, लागू करना एवं उसका अनुरक्षण करना है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विविरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने लेखापरीक्षा पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण, सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हैं या नहीं। लेखापरीक्षा में, परीक्षण आधार पर जांच करना, राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में प्रकटनें शामिल होते हैं। लेखापरीक्षा में, इस्तेमाल किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन करना और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा इन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के सबंध में उचित आधार प्रदान करती है।

हमारी राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखाओं पर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं।

क) जहां तक यह, दिनांक 31 मार्च 2020 को यथास्थिति वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

के कार्य के तुलन पत्र से संबंधित है और,

ख) जहां तक यह, दिनांक 31 मार्च 2020 को यथास्थिति संस्थान की आय से अधिक खर्चों के आय

एवं व्यय लेखा से संबंधित है और,

ग) जहां तक यह उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियों तथा भुगतान के प्राप्ति एवं

भुगतान लेखा से संबंधित हैं।

हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थीं।

हमारी राय में इन बहियों की जांच करने से प्रतीत होता है कि संस्थान ने कानूनी रूप से जरूरी लेखा बहियां उचित ढंग से तैयार की हुई हैं।

हमारी राय में इस रिपोर्ट के साथ तैयार तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

कृष्ण कुमार चनानी
साझेदार कृष्ण कुमार चनानी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 322232 ई
सदस्यता सं. 056045
यूडीआईएनः 20056045एएएएजीएच2413

नई दिल्ली, 17 जुलाई 2020

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2020 को यथास्थिति तुलनपत्र

देयताएं	अनु.	31.03.2020 के अनुसार आंकड़े	31.03.2019 के अनुसार आंकड़े
पूँजीगत निधि	1	104,368,017.97	99,639,969.38
विकास निधि	2	141,831,197.88	127,511,967.14
उद्दिष्ट निधि	3	59,377,078.33	67,313,080.67
चालू देयताएं एवं प्रावधान	4	86,011,878.47	68,403,741.47
योग		**391,588,172.65**	**362,868,758.66**
परिसंपत्तियाँ			
अचल परिसंपत्तियाँ (निबल ब्लॉक)	5	116,259,339.00	114,502,525.00
निवेशः उद्दिष्ट निधि	6	150,082,545.11	135,331,860.37
चालू परिसंपत्तियाँः ऋण एवं अग्रिम	7	125,246,288.54	113,034,373.29
योग		**391,588,172.65**	**362,868,758.66**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ, 17
आकस्मिक देयताएं एवं लेखों की टिप्पणियाँ 18
सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के संबंध में हस्ताक्षरित
कृतेः कृष्ण कुमार चनानी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार (एफआरएन 322232 ई)

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
कृष्ण कुमार चनानी	शैलेश कुमार	हर्ष सिंह रावत	डॉ. एच. श्रीनिवास
साझेदार (सद. सं. 056045)	लेखा अधिकारी	प्रशासन अधिकारी	महानिदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनाँकः 17 जुलाई 2020
यूडीआईएनः 20056045एएएएजीएच2413

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

विवरण	अनु.	31.03.2020 के अनुसार आंकड़े	31.03.2019 के अनुसार आंकड़े
आय			
सहायता अनुदान	8	117129373.00	99,893,927.00
फीस एवं अंशदान	9	37477534.00	24,102,778.10
अर्जित ब्याज	10	1934452.00	2,282,866.00
अन्य आय	11	15773498.26	21,690,187.50
पूर्व अवधि आय	12	0.00	-
जोड़ (क)		**172314857.26**	**147,969,758.60**
व्यय			
स्थापना व्यय	13	68266703.00	65,437,867.00
प्रशासनिक व्यय	14	28554475.67	27,611,886.73
पूर्व अवधि व्यय	15	574820.00	109,662.00
योजनागत अनुदान एवं सहायिकियों पर व्यय	16	62929868.00	50,596,517.00
जोड़ (ख)		**160,325,866.67**	**143,755,932.73**
मूल्यह्रास से पूर्व व्यय से आय की अधिकता (क–ख)		11,988,990.59	4,213,825.87
घटायें:			
मूल्यह्रास	5	13,875,469.00	14,108,696.00
शेष, जिसे घाटे के कारण			
पूंजी निधि में ले जाया गया		**(1,886,478.41)**	**(9,894,870.13)**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ, **17**
आकस्मिक देयताएं एवं लेखों की टिप्पणिया **18**
सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के संबंध में हस्ताक्षरित
कृतेः कृष्ण कुमार चनानी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार (एफआरएन 322232 ई)

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
कृष्ण कुमार चनानी	शैलेश कुमार	हर्ष सिंह रावत	डॉ. एच. श्रीनिवास
साझेदार (सद. सं. 056045)	लेखा अधिकारी	प्रशासन अधिकारी	महानिदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनाँकः 17 जुलाई 2020
यूडीआईएनः 20056045एएएएजीएच2413

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा

पिछला वर्ष 31.03.2019	प्राप्तियाँ	राशि (रुपये) 31.03.2020	पिछला वर्ष 31.03.2019	भुगतान	राशि (रुपये) 31.03.2020
	आदि शेष			**व्यय**	
31,796.95	हस्तगत रोकड़	3,891.95	61,155,323.00	स्थापना व्यय	63,554,872.00
	बैंक में शेष		26,009,439.73	प्रशासनिक व्यय	21,435,822.84
19,600,137.88	चालू खाता	8,055,356.74	53,349,866.00	योजनागत अनुदान का उपयोग	62,427,696.00
4,427,746.44	बचत खाता परियोजना	2,585,955.44	16,665,795.00	उद्दिष्ट निधि से लौटाया गया अनुदान	
313,748.55	बचत खाता – आईओबी	324,813.55			
91,434.27	बचत खाता–कॉर्पोरेशन बैंक	97,019.27	1,436,266.00	अचल परिसंपत्तयाँ	1,478,735.00
118,972,038.14	खाते में जमा–विकास निधि	127,511,967.14			
5,430,784.26	ग्रेच्युटी खाता–1130025	13,103,240.76	4,245,152.50	विभिन्न परियोजनाओं के लिए व्यय	503,757.34
4,897,279.38	छुट्टी का नकदीकरण–1130026	10,164,499.38	7,138,769.00	अन्य एजेंसियां – व्यय	4,011,647.00
28,245.00	हस्तगत डाक टिकट	34,801.00			
4,027,790.66	ईएमडी एवं जमा प्रतिभूति	3,706,645.81			
12,587,976	कार्पोरेशन बैंक – फ्लेक्सी बचत खाता 150025	43,027.03	3 73,184.00	**स्टाफ को अग्रिम**	243,421.00
-	आइजीएल में जमा प्रतिभूति	42,073			
	प्राप्त अनुदान		1,386,500.00	विभागीय अग्रिम	1,285,424.00
105,900,000.00	भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से	120,000,000.00			
1,787,375.00	अन्य एजेंसियों से	3,229,230.00		**अन्य भुगतान**	
2,243,583.00	अन्य परियोजनाओं से	-	502,763.00	जमा प्रतिभूति की वापसी	430,835.00
	प्राप्त ब्याज				
8,539,929.00	विकास निधि	14,319,230.74		**अंतशेष**	
-	उद्दिष्ट निधि	-			
4,103.00	वाहन अग्रिम	5,256.00	3,891.95	**हस्तगत रोकड़**	4,083.95
2,278,763.00	बचत खाता	1,929,196.00		**बैंक में शेष**	
159,832.00	ब्याजः परियोजना खाता	94,027.00	8,055,356.74	चालू खाता	20,388,176.42
28,287,901.74	**फीस/अभिदान**	28,390,815.17	324,813.55	बचत खाता – आईओबी	336,272.55
16,611,316.00	**अन्य आय**	16,111,244.26	97,019.27	बचत खाता – कार्पोरेशन बैंक	103,171.27
-	**पूर्व अवधि आय**	-	13,103,240.76	ग्रेच्युटी खाता–1130025	13,548,113.47
1,360,023.00	विभागीय अग्रिम	1,373,633.00	10,164,499.38	छुट्टी का नकदीकरण–1130026	11,565,615.28
	अग्रिमों की वसूली		34,801.00	हस्तगत डाक टिकट	29,163.00
354,546.00	स्टाफ से	317,709.00	127,511,967.14	जमाः विकास निधि	141,831,197.88
	अन्य प्राप्तियाँ		2,585,955.44	बचत खाता – परियोजना	2,176,225.10
-	आयकर वापसी	835,490.00	3,706,645.81	ईएमडी और जमा प्रतिभूति . 1150006	3,538,315.63
			43,027.03	कार्पोरेशन बैंक – फ्लेक्सी बचत खाता 150025	894,504.51
-	प्राप्त जमा प्रतिभूति	50,000.00	42,073	आइजीएल में जमा प्रतिभूति	42,073
			-	जेम (जीईएम) पूल खाता	2500000
337,936,349.30	**जोड़**	**352,329,122.24**	**337,936,349.30**	**जोड़**	**352,329,122.24**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ, **17**
आकस्मिक देयताएं एवं लेखों की टिप्पणियाँ **18**
सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के संबंध में हस्ताक्षरित
कृतेः कृष्ण कुमार चनानी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार (एफआरएन 322232 ई)

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
कृष्ण कुमार चनानी	शैलेश कुमार	हर्ष सिंह रावत	डॉ. एच. श्रीनिवास
साझेदार (सद. सं. 056045)	लेखा अधिकारी	प्रशासन अधिकारी	महानिदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनाँकः 17 जुलाई 2020
यूडीआईएनः 20056045एएएएजीएच2413

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

अनुसूची 1 – पूँजीगत निधि

		31.03.2020 के अनुसार आंकड़े		31.03.2019 के अनुसार आंकड़े
वर्ष के आरम्भ में शेष		99,639,969.38		105,483,322.51
जोड़ें: विकास निधि में अंतरण		(4,213,826.00)		-
जोड़ें: पूंजीगत निधि में अंशदान				
योजनागत अनुदानों से	15,812,081.00		4,051,517.00	
घटाएं: पूंजीगत निधि से उद्दिष्ट निधि	(4,983,728.00)			
		10,828,353.00		4,051,517.00
व्यय से आय की अधिकता		(1,886,478.41)		(9,894,870.13)
जोड़		**104,368,017.97**		**99,639,969.38**

अनुसूची 2 – विकास निधि

	31.03.2020 के अनुसार आंकड़े	31.03.2019 के अनुसार आंकड़े
वर्ष के आरम्भ में शेष	127,511,967.14	118,972,038.14
जोड़ें: मूल्यह्रास आरक्षित निधि	4,213,826.00	-
जोड़ें: बचत खाते पर ब्याज	10,105,404.74	8,539,929.00
जोड़	**141,831,197.88**	**127,511,967.14**

अनुसूची 3 – उद्दिष्ट निधि

(क) परिक्रामी एचबीए निधि	31.03.2020 के अनुसार आंकड़े	31.03.2019 के अनुसार आंकड़े
वर्ष के आरम्भ में शेष	7,249,016.93	6,859,099.93
जोड़ें: बैंक (एसबी, एफडीआर) से प्राप्त ब्याज	377,278.00	345,160.00
जोड़ें: एचबीए पर स्टाफ से प्राप्त ब्याज	33,531.00	44,757.00
जोड़ (क)	**7,659,825.93**	**7,249,016.93**

(ख) परिक्रामी कंप्यूटर निधि	31.03.2020 के अनुसार आंकड़े	31.03.2019 के अनुसार आंकड़े
वर्ष के आरम्भ में शेष	570,876.30	549,923.30
जोड़ें: बैंक से प्राप्त ब्याज	19,092.00	18,020.00
जोड़ें: स्टाफ से उपार्जित ब्याज	1,553.00	2,933.00
जोड़ (ख)	**591,521.30**	**570,876.30**

अनुसूची 3 – उद्दिष्ट निधि (जारी....)

(ग) परियोजना निधि	31.03.2020 के अनुसार आंकड़े	31.03.2019 के अनुसार आंकड़े
वर्ष के आरम्भ में शेष	2,585,955.44	4,427,746.44
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त		2,243,583.00
जोड़ें: बैंक से प्राप्त ब्याज	94,027.00	159,832.00
घटाएं: वर्ष के दौरान हुए व्यय, यदि कोई हो	(503,757.34)	(4,245,206.00)
जोड़ (ग)	**2,176,225.10**	**2,585,955.44**

घ. चल रहा कार्य	31.03.2020 के अनुसार आंकड़े	31.03.2019 के अनुसार आंकड़े
वर्ष के आरम्भ में शेष	56,907,232.00	71,618,471.00
जोड़ें: ढांचागत कार्य के लिए योजनागत अनुदान (आगे ले जाया गया)	2,000,000.00	4,569,807.00
घटाएं: मंत्रालय को लौटाया गया सहायता अनुदान		(16,665,795.00)
जोड़ें: (घटाएं) वर्ष के दौरान अग्रिम (पूंजीकृत) की राशि	(14,941,454.00)	
घटाएं: वर्ष के दौरान अग्रिम (पूंजीकृत) की राशि		(2,615,251.00)
जोड़ें: पूंजीगत निधि से उद्दिष्ट	4,983,728.00	
जोड़ (घ)	**48,949,506.00**	**56,907,232.00**
जोड़ (क+ख+ग+घ)	**59,377,078.33**	**67,313,080.67**

अनुसूची 4 – चालू देयताएं एवं प्रावधान

क – चालू देयताएं	31.03.2020 के अनुसार आंकड़े	31.03.2019 के अनुसार आंकड़े
ईएमडी और जमा प्रतिभूति	2,378,978.00	2,759,813.00
विविध कर्जदारों सहित बकाया देयताएं	11,434,245.00	3,330,869.00
जीएसटी आउटपुट	1,583,678.47	390,098.47
बाहरी एजेंसियों की विविध परियोजनाएं	6,510,973.00	991,525.00
अप्रयोज्य मदों की बिक्री से अग्रिम		390,580.00
जोड़ (क)	**21,907,874.47**	**7,862,885.47**
ख – प्रावधान		
सेवानिवृत्ति पर देय सांविधिक देयताएं	64,104,004.00	60,540,856.00
जोड़ (ख)	**64,104,004.00**	**60,540,856.00**
जोड़ (क+ख)	**86,011,878.47**	**68,403,741.47**

अनुसूची 5 – अचल परिसंपत्तियाँ

विवरण	मूल्यह्रास की दर	01 अप्रैल 2019 को घटता मान	परिवर्धन		वर्ष के दौरान हटाए	31.03.20 को जोड़	मूल्यह्रास की राशि	31.03.20 को घटता मान
			03.10.19 तक	03.10.19 के बाद				
भूमि*	0%	-	-	-	-	-	-	-
भवन	10%	98,629,552	97,940	14,369,884		113,097,376	10,591,243	102,506,133
फर्नीचर व फिटिंग्स	10%	3,320,435	122,256	63,910	550,265	2,956,336	292,438	2,663,898
उपकरण	15%	7,204,144	393,043	42,899		7,640,086	1,142,795	6,497,291
वाहन	15%	268,851				268,851	40,328	228,523
पुस्तकालय की पुस्तकें	40%	337,542	756,598	2,089		1,096,229	438,074	658,155
कंप्यूटर	40%	915,030			237,641	677,389	270,956	406,433
सूचना प्रौद्योगिकी (अमूर्त आस्तियां)	25%	3,826,971	571,570			4,398,541	1,099,635	3,298,906
		114,502,525	1,941,407	14,478,782	787,906	130,134,808	13,875,469	116,259,339

* भूमि को राज्य सरकार द्वारा 1981 में केंद्र सरकार को दान में दिया गया था, इसलिए इसमें लागत शामिल नहीं है।

अनुसूची 6 – निवेश : उद्दिष्ट निधियाँ

क. विकास निधि	31.03.2020 के अनुसार आंकड़े	31.03.2019 के अनुसार आंकड़े
सावधि जमा खाते	131,895,705.20	115,837,483.83
एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज	9,919,675.63	11,659,488.00
इंडियन ओवरसीज बैंक: एस.बी. खाता	15,817.05	14,995.31
जोड (क)	**141,831,197.88**	**127,511,967.14**

ख. परिक्रामी एचबीए निधि	31.03.2020 के अनुसार आंकड़े	31.03.2019 के अनुसार आंकड़े
इंडियन ओवरसीज बैंक: एफडीआर	4,678,550.00	4,508,234.00
एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज	337,799.00	172,461.00
इंडियन ओवरसीज बैंक: एस.बी. खाता	1,355,779.93	1,122,409.93
स्टाफ को एचबीए अग्रिम	1,287,697.00	1,445,912.00
जोड़ (ख)	**7,659,825.93**	**7,249,016.93**

ग. परिक्रामी कंप्यूटर निधि	31.03.2020 के अनुसार आंकड़े	31.03.2019 के अनुसार आंकड़े
इंडियन ओवरसीज बैंक: एसबी खाता	566,298.30	535,206.30
स्टाफ को कंप्यूटर अग्रिम	25,223.00	35,670.00
जोड़ (ग)	**591,521.30**	**570,876.30**
जोड (क+ख+ग)	**150,082,545.11**	**135,331,860.37**

अनुसूची 7 – चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम

अ. चालू परिसंपत्तियाँ	31.03.2020 के अनुसार आंकड़े	31.03.2019 के अनुसार आंकड़े
क. नकदी एवं बैंक में शेष		
हस्तगत नकदी	4,083.95	3,891.95
बैंक में शेष:		
इंडियन ओवरसीज बैंक में चालू खातों में	20,388,176.42	8,055,356.74
कार्पोरेशन बैंक: एसबी फ्लेक्सी खाता सं. 1150025	894,504.51	43,027.03
इंडियन ओवरसीज बैंक: एसबी खाता	336,272.55	324,813.55
कार्पोरेशन बैंक: एसबी खाता	103,171.27	97,019.27
ग्रेच्युटी खाता – 1130025	13,548,113.47	13,103,240.76
छुट्टी का नकदीकरण – 1130026	11,565,615.28	10,164,499.38
ईएमडी और जमा प्रतिभूति एसबी खाता – 1150006	3,538,315.63	3,706,645.81
डाक टिकट खाता	29,163.00	34,801.00
आईजीएल में जमा प्रतिभूति	42,073.00	42,073.00
वीवीजीएनएलआई जेम (जीईएम) पूल खाता	2,500,000.00	
जोड़ (क)	**52,949,489.08**	**35,575,368.49**

ख. परियोजना निधि

	31.03.2019 के अनुसार आंकड़े	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	बैंक ब्याज	वर्ष के दौरान व्यय	बैंक प्रभार	31.03.2020 के अनुसार आंकड़े
आईओबी में एसबी खाता में						
एफसीएनआर खाता–10500	150,014.44	-	5,319.00		59.00	155,274.44
यूनीसेफ बाल श्रम पर अनुक्रिया–50722	2,434,574.00		88,660.00	503,648.00	50.34	2,019,535.66
कार्पोरेशन बैंक, एसबी खाता						
वीवीजीएनएलआई कर्मचारी कल्याण निधि 4098	1,367.00	-	48.00			1,415.00
जोड़ (ख)	**2,585,955.44**	**-**	**94,027.00**	**503,648.00**	**109.34**	**2,176,225.10**
जोड़(अ) (क+ख)	**38,161,323.93**					**55,125,714.18**

ब. ऋण एवं अग्रिम

क. स्टाफ को	31.03.2019 के अनुसार आंकड़े	वर्ष के दौरान दिए गए अग्रिम	वर्ष के दौरान वसूली/समायोजन	31.03.2020 के अनुसार आंकड़े
कार अग्रिम	146,179.00	2,415.00	14,400.00	134,194.00
स्कूटर अग्रिम	2,336.00	2,841.00	4,800.00	377.00
एलटीसी अग्रिम	60,344.00	238,165.00	298,509.00	-
जोड़ (क)	**208,859.00**	**243,421.00**	**317,709.00**	**134,571.00**

अनुसूची 7 – चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम (जारी....)

ख. बाहरी ऐजेंसियों को	31.03.2019 के अनुसार आंकड़े	वर्ष के दौरान दिए गए अग्रिम	वर्ष के दौरान वसूली/समायोजन	31.03.2020 के अनुसार आंकड़े
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम –योजनागत 2000–01	487,691.00	-	487,691.00	
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम –योजनागत 2005–06	3,755,713.00	-	3,755,713.00	
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम – 2015–16	5,054,990.00	2,615,269.00	4,614,944.00	3,055,315.00
एन.आई.सी.एस.आई. को अग्रिम – 2015–16	3,239,720.00	(2,615,269.00)	571,570.00	52,881.00
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम – 2016–17	25,533,041.00	-	3,806,023.00	21,727,018.00
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम – 2017–18	5,324,525.00	-	775,486.00	4,549,039.00
एन.आई.सी.एस.आई. को अग्रिम – 2016–17	13,925,473.00	-	-	13,925,473.00
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम – 2018–19	4,569,807.00	-	930,027.00	3,639,780.00
एन.आई.सी.एस.आई. को अग्रिम – 2018–19	676,015.00	-	656,303.00	19,712.00
जोड़ (ख)	**62,566,975.00**	**-**	**15,597,757.00**	**46,969,218.00**

ग. अन्य अग्रिम	31.03.2020 के अनुसार आंकड़े	31.03.2019 के अनुसार आंकड़े
बाहरी एजेंसियों को अग्रिम	934,972.00	1,503,603.00
व्यय (प्राप्ति): विविध बाहरी एजेंसियों की परियोजनाएं	3,212,134.00	1,861,086.00
स्रोत पर कर की कटौती	6,166,417.00	4,136,713.00
टीडीएस पर जीएसटी		70,200.00
विभागीय अग्रिम (एन.पी.)	3,668.00	97,758.00
विभागीय अग्रिम (पी.)	68,455.00	62,574.00
पूर्वदत्त खर्चे	1,482,320.00	640,209.00
विविध देनदार	11,148,819.36	3,725,072.36
जोड़ (ग)	**23,016,785.36**	**12,097,215.36**
जोड़ (अ+ब)	**125,246,288.54**	**113,034,373.29**

अनुसूची 8 – सहायता अनुदान

	31.03.2020 के अनुसार आंकड़े	31.03.2019 के अनुसार आंकड़े
भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से सहायता अनुदान	120,000,000.00	105,900,000.00
जोड़	**120,000,000.00**	**105,900,000.00**
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्रयुक्त सहायता अनुदान		
घटाएं: अवसंरचना के लिए उद्दिष्ट सहायता अनुदान	2,000,000.00	4,569,807.00
घटाएं: पूंजीकृत सहायता अनुदान	870,627.00	1,436,266.00
	(2,870,627.00)	**(6,006,073.00)**
आय और व्यय खातों में दर्शायी गयीं राशियाँ	**117,129,373.00**	**99,893,927.00**

अनुसूची 9 – फीस एवं अभिदान

	31.03.2020 के अनुसार आंकड़े	31.03.2019 के अनुसार आंकड़े
शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुल्क	37,363,984.00	24,028,178.10
अवार्ड्स डाइजेस्ट का अभिदान	42,760.00	23,930.00
लेबर एंड डेवलपमेंट का अभिदान	28,890.00	22,510.00
श्रम कानून–शब्दावली की बिक्री से प्राप्तियाँ	22,500.00	11,000.00
श्रम विधान अभिदान	19,200.00	16,920.00
अन्य प्रकाशनों की बिक्री से प्राप्तियाँ	200.00	240.00
जोड़	**37,477,534.00**	**24,102,778.10**

अनुसूची 10 – अर्जित ब्याज

	31.03.2020 के अनुसार आंकड़े	31.03.2019 के अनुसार आंकड़े
स्कूटर/वाहन अग्रिम पर ब्याज	5,256.00	4,103.00
प्राप्त ब्याज	1,929,196.00	2,278,763.00
जोड़	**1,934,452.00**	**2,282,866.00**

अनुसूची 11 – अन्य आय

	31.03.2020 के अनुसार आंकड़े	31.03.2019 के अनुसार आंकड़े
गैर–योजनागत आय	3,303,879.26	3,059,906.00
हॉस्टल के उपयोग से आय	11,243,468.00	10,719,520.00
निविदा फार्मों की बिक्री	5,500.00	19,000.00
फोटोस्टेट से आय	751,491.00	457,914.00
स्टाफ क्वार्टरों से किराया.लाइसेंस शुल्क	167,100.00	148,086.00
बाहरी परियाजनाओं से आय	-	5,469,451.50
फैकल्टी परामर्श प्रभार	192,000.00	1,669,200.00
अन्य प्राप्तियों से आय	58,492.00	147,110.00
अप्रयोज्य वस्तुओं की बिक्री	51,568.00	-
जोड़	**15,773,498.26**	**21,690,187.50**

अनुसूची 12 – पूर्व अवधि आय

	31.03.2020 के अनुसार आंकड़े	31.03.2019 के अनुसार आंकड़े
पूर्व अवधि आय	-	-
जोड़	-	-

अनुसूची 13 – स्थापना व्यय

	31.03.2020 के अनुसार आंकड़े	31.03.2019 के अनुसार आंकड़े
स्टाफ को वेतन	51,697,105.00	49,960,521.00
भत्ते एवं बोनस	3,645,625.00	4,481,713.00
एनपीएस में अंशदान	5,492,926.00	3,946,894.00
कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभ पर व्यय	6,680,351.00	6,092,519.00
प्रतिनियुक्ति स्टाफ का छुट्टी वेतन एवं पेंशन	750,696.00	956,220.00
जोड़	**68,266,703.00**	**65,437,867.00**

अनुसूची 14 – प्रशासनिक व्यय

	31.03.2020 के अनुसार आंकड़े	31.03.2019 के अनुसार आंकड़े
विज्ञापन एवं प्रचार	150,948.00	280,309.00
भवन मरम्मत और उन्नयन	574,617.00	379,736.00
विद्युत एवं पॉवर प्रभार	7,391,584.00	6,769,791.00
हिंदी प्रोत्साहन व्यय	472,204.00	206,047.00
बीमा	6,036.00	70,316.00
विधिक एवं व्यावसायिक व्यय	930,688.00	76,749.00
विविध व्यय	202,041.67	404,601.27
सशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यय	14,350,386.00	15,063,032.00
फोटोस्टेट व्यय	167,240.00	130,511.00
डाक टिकट, तार और संचार प्रभार	58,261.00	81,684.00
मुद्रण और लेखन सामग्री	251,166.00	190,990.00
नई परिसंपत्तियों की खरीद	608,108.00	
मरम्मत एवं रखरखाव		
क. कंप्यूटर	200,144.00	117,132.00
ख. कूलर/ए.सी	816,247.00	766,977.00
ग. कार्यालय भवन और संबद्ध	247,936.00	109,024.00
स्टाफ कल्याण व्यय	534,046.00	433,435.00
टेलीफोन, फैक्स और इंटरनेट प्रभार	466,928.00	458,134.00
यात्रा एवं वाहन भत्ता संबंधी खर्चे	813,679.00	1,168,796.00
वाहन चालन एवं रखरखाव संबंधी खर्चे	566,184.00	548,073.46
जल प्रभार	354,140.00	356,549.00
आय और व्यय लेखों में अंतरित धनराशियां	**29,162,583.67**	**27,611,886.73**
पूंजीकृत परिसंपत्तियों की लागत	608,108.00	-
जोड़	**28,554,475.67**	**27,611,886.73**

अनुसूची 15 – पूर्व अवधि व्यय

	31.03.2020 के अनुसार आंकड़े	31.03.2019 के अनुसार आंकड़े
पूर्व अवधि व्यय	574,820.00	109,662.00
जोड़	574,820.00	109,662.00

अनुसूची 16 – योजनागत अनुदानों पर व्यय

क. अनुसंधान, शिक्षण और प्रशिक्षण	**31.03.2020 के अनुसार आंकड़े**	**31.03.2019 के अनुसार आंकड़े**
अनुसंधान परियोजनाएं, कार्यशाला और प्रकाशन	9,766,162.00	9,384,742.00
शिक्षण कार्यक्रम	17,298,861.00	12,766,768.00
ग्रामीण कार्यक्रम	4,593,735.00	3,243,367.00
सूचना प्रौद्योगिकी	1,008,308.00	719,013.00
परिसर सेवाएं	20,731,503.00	14,235,143.00
जोड़ (क)	**53,398,569.00**	**40,349,033.00**

ख. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कार्यक्रम/परियोजनाएं	**31.03.2020 के अनुसार आंकड़े**	**31.03.2019 के अनुसार आंकड़े**
शिक्षण कार्यक्रम	7,949,742.00	7,570,616.00
परियोजनाएं (जिनमें कार्यशाला, सूचना प्रौद्योगिकी/अवसंरचना/प्रकाशन शामिल हैं)	857,475.00	855,746.00
जोड़ (ख)	**8,807,217.00**	**8,426,362.00**

ग. पुस्तकालय सुविधाओं को बढ़ाना	**31.03.2020 के अनुसार आंकड़े**	**31.03.2019 के अनुसार आंकड़े**
पत्र/पत्रिकाओं के लिए अभिदान	724,780.00	1,738,894.00
पुस्तकालय की पुस्तकें	758,687.00	3,151.00
पुस्तकालय का विस्तार/आधुनिकीकरण	111,242.00	82,228.00
जोड़ (ग)	**1,594,709.00**	**1,824,273.00**

घ. अवसंरचना	**31.03.2020 के अनुसार आंकड़े**	**31.03.2019 के अनुसार आंकड़े**
प्रशासनिक खंड : नवीकरण एवं उन्नयन	-	4,161,710.00
अवसंरचना विकास	2,000,000.00	1,841,212.00
जोड़ (घ)	**2,000,000.00**	**6,002,922.00**
योजनागत अनुदानों पर कुल व्यय (क से घ)	**65,800,495.00**	**56,602,590.00**
उद्दिष्ट निधि में अंतरित राशि	2,000,000.00	4,569,807.00
घटाएं: पूंजीकृत परिसम्पत्तियों की लागत	870,627.00	1,436,266.00
	2,870,627.00	6,006,073.00
आय और व्यय लेखों में अंतरित धनराशियां	**62,929,868.00**	**50,596,517.00**

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
30 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

अनुसूची सं. 17 : महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

क. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. वित्तीय औचित्य के मानक

हर स्तर पर वित्तीय आदेश एवं सख्त अर्थव्यवस्था को लागू करने के क्रम में सभी संगत वित्तीय मानकों का, जो वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान जैसी स्वायत्त संस्थाओं के लिए निर्धारित हैं, पालन किया जाता है।

2. वित्तीय विवरण

वित्तीय विवरणों को प्रोद्भूत आधार पर तैयार किया गया है सिवाय अन्यत्र बतायी गई और अनुप्रयोज्य लेखा. करण मानकों पर आधारित सीमा के। संस्थान के वित्तीय विवरणों में आय एवं व्यय लेखा, प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा और तुलनपत्र शामिल हैं।

3. अचल परिसम्पत्तियां

अचल परिसम्पतियों का कथन ऐतिहासिक लागत रहित मूल्यह्रास पर दिया जाता है। संस्थान की भूमि को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निरूशुल्क प्रदान किया गया था और इसलिए इसे तुलनपत्र में शून्य मूल्य पर दर्शाया गया है।

4. मूल्यह्रास

अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास दर आयकर अधिनियम 1961 के धारा 32 के अनुसार ह्रासित मूल्य विधि पर किया जाता है जो निम्नलिखित है।

परिसम्पत्तियों की श्रेणी	मूल्यह्रास की दर
भवन	10%
फर्नीचर एवं जुड़नार	10%
कार्यालय उपकरण	15%
वाहन	15%
पुस्तकालय की पुस्तकें	40%
कंप्यूटर एवं सहायक यंत्र	40%
सूचना प्रौद्योगिकी (अमूर्त आस्तियां)	25%

5. पूँजीगत वस्तुओं पर इनपुट कर क्रेडिट (जीएसटी)

धारा 2 (19) के अनुसार 'पूँजीगत वस्तुओं' का आशय ऐसी वस्तुओं से है जिनका मूल्य इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने वाले व्यक्तियों के खाता बहियों में पूँजीकृत किया जाता है तथा व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है अथवा उपयोग किया जा सकता है। संस्थान ने क्रय की गयी पूँजीगत वस्तुओं के संदर्भ में किसी आईटीसी का दावा नहीं किया है तथा धनराशि को संबंधित परिसंपत्तियों के साथ पूरी तरह पूँजीकृत किया गया है।

6. पूर्व अवधि समायोजन

01.04.2010 से लेखाकरण प्रणाली के नकदी लेखाकर प्रणाली से प्रोद्भूत लेखाकरण प्रणाली में बदलाव के कारण पूर्व अवधि समायोजनों के प्रभाव को संस्थान के अंतिम लेखा में अलग से दर्शाया गया है।

7. वस्तु सूचियाँ

वस्तु सूचियों, जिनमें वर्ष के दौरान खरीदी गई लेखनसामग्री/विविध स्टोर मदें शामिल हैं, को राजस्व लेखा में प्रभारित किया गया है।

8. कर्मचारी हितलाभ

संस्थान ने वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अनुदेशों के अनुसार फरवरी 2012 से भारत सरकार की नई पेंशन योजना को चुना है।

अनुसूची सं. 18 : लेखा पर टिप्पणियां

1. लेखांकन का आधार

31.03.2010 को समाप्त वर्ष तक संस्थान जो एक गैर–लाभ वाला संगठन है, के लेखों को नकदी आधार पर तैयार किया जाता था। मंत्रालय से प्राप्त की गई सभी अनुदान राशि और आंतरिक रूप से कमाई गई धनराशि को उन्हीं प्रयोजनों हेतु खर्च किया गया, जिनके लिए इन्हें प्राप्त किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2010–11 से संस्थान के लेखे प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए जा रहे हैं और इनमें निम्न को छोड़कर तदुनसार प्रावधान किए गए हैं:

क. केंद्र सरकार से प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को देय वेतनों एवं भत्तों को प्रदत्त आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ख. खरीदी गई लेखन सामग्री एवं अन्य मदों को नकदी आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

2. निवेश नीति

संगम ज्ञापन और नियम एवं विनियम की धारा XIV (ii) के अनुसार निवेश राष्ट्रीयकृत बैंकों में किया जा रहा है।

3. सहायता अनुदान

संस्थान, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्रति वर्ष सहायता अनुदान प्राप्त करता है और उपयोग प्रमाणपत्र हर वर्ष श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।

4. पूंजीगत एवं राजस्व लेखा

पूंजीगत स्वरूप के व्यय को सामान्य वित्तीय नियमों में उल्लिखित दिशा.निर्देशों अथवा सरकार द्वारा निर्धारित विशेष आदेश के अनुसार हमेशा राजस्व व्यय से अलग रखा जाता है।

5. विविध देनदार और विविध लेनदार

संस्थान, ऐसे व्यावसायिक कार्यकलाप एवं शैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है, जिन्हें अन्य संस्थानों, मंत्रालय एवं विभाग आदि द्वारा प्रायोजित किया जाता है, और इन पर व्यय ऐसी एजेंसियों की ओर से करता है। इन एजेंसियों से अग्रिमों अथवा ऊपर उल्लिखित कार्यकलापों के संबंध में व्यय की प्रतिपूर्ति को प्राप्ति अथवा भुगतान–बाहरी कार्यक्रम अथवा एजेंसी शीर्ष के तहत दर्शाया जा रहा है।

6. अचल परिसम्पत्तियां एवं मूल्यह्रास

क. अचल परिसम्पत्तियों का कथन ऐतिहासिक लागत रहित मूल्यह्रास पर दिया जाता है। संस्थान ह्रासित मूल्य आधार पर लेखाकरण नीतियों (उपरोक्त) के पैरा 4 में विनिर्दिष्ट दरों पर निर्धारित मूल्यह्रास प्रदान कर रहा है और मूल्यह्रास को लेखाकरण वर्ष के दौरान अचल सम्पत्तियों के परिवर्धन और/अथवा विलोपन को समंजित करने के बाद अथवा डब्ल्यू.डी.वी. पर प्रभारित किया जाता है।

ख. मूल्यह्रास को उन परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास के आधे दरों पर प्रभारित किया गया है, जिन्हें वर्ष के दौरान 180 से कम दिनों के लिए इस्तेमाल किया गया था। 10,000 रुपये से कम लागत वाली परिसम्पत्तियों (पुस्तकालय की पुस्तकों के अलावा) को राजस्व लेखा में प्रभारित किया जाता है।

7. परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन

संस्थान की परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जाता है और परिसम्पत्तियों का अस्तित्व इस प्रयोजन हेतु निर्धारित समिति द्वारा प्रमाणित होता है।

8. सरकारी धन का रुकना

संस्थान द्वारा अवसरंचना संबंधी कार्य आम तौर पर सीपीडब्ल्युडी और एनआईसीएसआई के माध्यम से किए गए। विभिन्न सिविल एवं इलैक्ट्रिकल आदि कार्यों के निर्माण/नवीनीकरण/आईटी अवसंरचना के लिए इन सरकारी एजेंसियों को अग्रिम दिया जाता है। वर्ष 2019–20 के दौरान 1,55,97,757 रुपए का उपयोग किया गया तथा इन एजेंसियों से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा इसे पूंजीकृत किया गया है। सीपीडब्ल्युडी और एनआईसीएसआई से 4,69,69,218/– रुपए का उपयोग प्रतीक्षित है।

9. संस्थान ने चालू वर्ष के दौरान 31.03.2020 तक की अवधि तक उपदान एवं देय अर्जित अवकाश का बीमांकिक आधार पर प्रावधान किया है।

विवरण	31.03.2020 तक प्रावधान	31.03.2019 तक प्रावधान
उपदान	36,921,345.00	34,965,032.00
अर्जित अवकाश	27,182,659.00	25,575,824.00
	64,104,004,00	**60,540,856.00**

10. आयकर विवरणी

संस्थान ने 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय की विवरणी दायर की थी।

संस्थान ने संदर्भाधीन वर्ष के दौरान अपनी तिमाही टीडीएस विवरणी दायर की थी।

11. आगे ले जाया गया अधिशेष

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संस्थान को योजनागत एवं गैर योजनागत कार्यकलापों के लिए स्वीकृत अनुदानों को राष्ट्रीयकृत बैंक में चालू खाते के माध्यम से प्रचालित किया जाता है और उसी वर्ष में इनका पूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है, जिस वर्ष में इसे स्वीकृत किया जाता है। परिणामतः संस्थान के पास अगले वर्ष हेतु आगे ले जाने के लिए कोई अधिशेष नहीं है। तथापि, संस्थान के कार्यों के लिए उद्दिष्ट निधि, जो वर्ष के अंत तक पूरी तरह खर्च नहीं की गयी थी, को अगले वर्ष हेतु आगे ले जाया जा रहा है।

12. आकस्मिक देयताएं

वर्तमान में कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

13. आरक्षित एवं अधिशेष अनुसूची

लेखा परीक्षा के निदेशानुसार एचबीए, कंप्यूटर एवं बाहरी परियोजना निधि को उद्दिष्ट निधि में शामिल किया गया है।

14 पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी उन्हें तुलनीय बनाने के लिए आवश्यक समझा गया है, पुनः वर्गीकृत/समूहित/व्यवस्थित किया गया है।

अनुसूचियां 1 से 18 हस्ताक्षरित

कृतेः कृष्ण कुमार चनानी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार (एफआरएन 322232 ई)

कृतेः वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
कृष्ण कुमार चनानी	शैलेश कुमार	हर्ष सिंह रावत	डॉ. एच. श्रीनिवास
साझेदार (सद. सं. 056045)	लेखा अधिकारी	प्रशासन अधिकारी	महानिदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनाँकः 17 जुलाई 2020
यूडीआईएनः 20056045एएएएजीएच2413

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है।

विज़न

''संस्थान को श्रम अनुसंधान और प्रशिक्षण में वैश्विक रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त ऐसे संस्थान के रूप में विकसित करना जो उत्कृष्टता का केंद्र हो तथा कार्य की गुणवत्ता और कार्य संबंधों को बढ़ावा देने के प्रति कृत संकल्प हो।''

मिशन

संस्थान का मिशन निम्नलिखित के माध्यम से श्रम तथा श्रम संबंधों को विकास की कार्यसूची में विशेष केंद्र के रूप में स्थापित करना है:–

- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना;
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना;
- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना; और
- ऐसे विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण और साझेदारी बनाना जो श्रम से संबंधित हैं।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

सैक्टर 24, नौएडा–201 301

उत्तर प्रदेश (भारत)

वेबसाइट : www.vvgnli.gov.in